खण्ड-396, अंक-6
बृहस्पतिवार, 31 ज्येष्ठ, शक संवत् 1912
(21 जून, 1990 ई0)

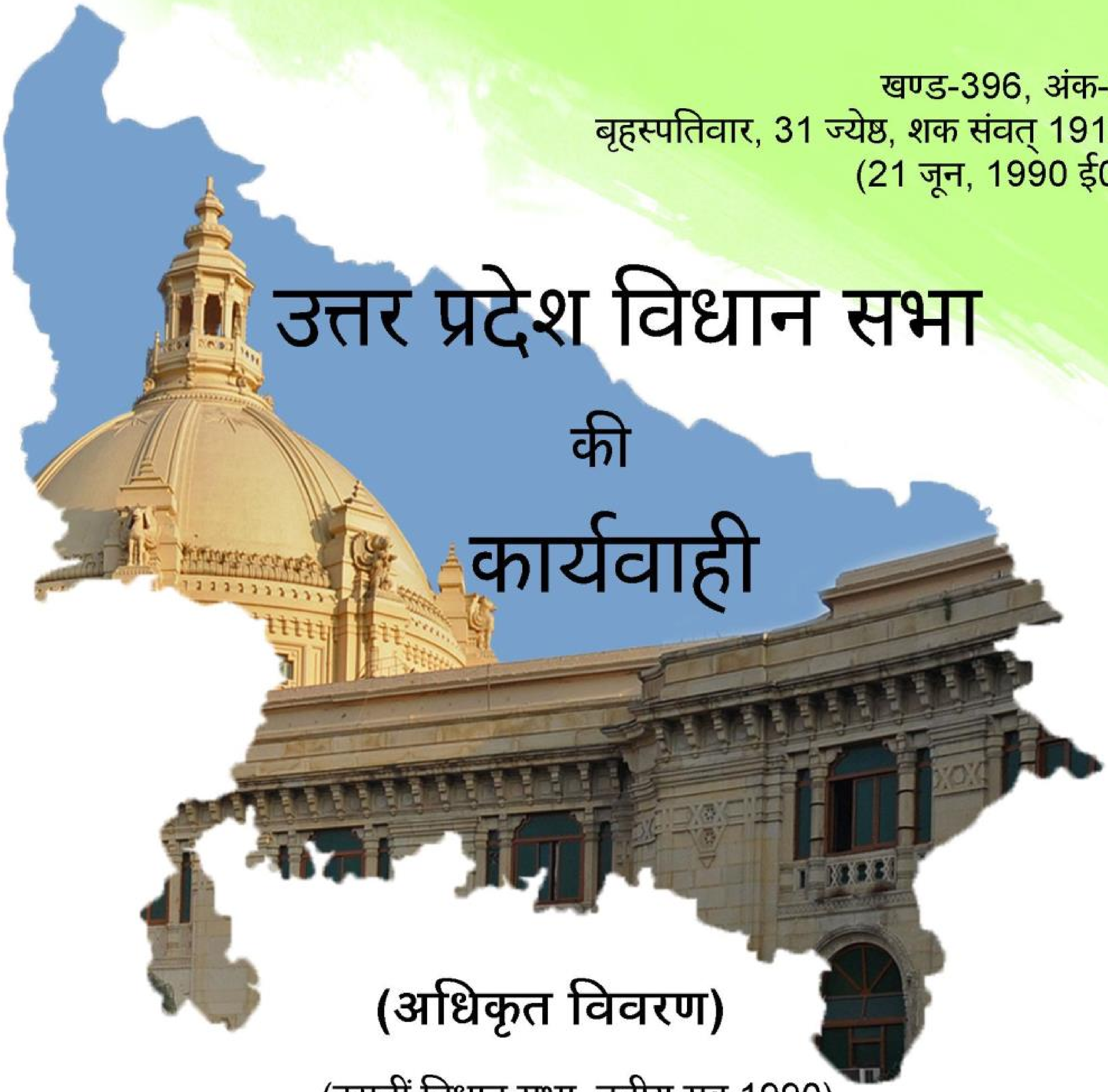

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1--91
महान संत देवरहा बाबा एवं पंडित श्री राम शर्मा के निधन पर शोकोद्गार .	91--96
दिनाक 7 मार्च, 1990 को स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निधन पर सदन में हुए हंगामे की घटना के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	97--105
पत्रकारों द्वारा प्रश्न काल का बहिष्कार किये जाने के संबंध में चल रहे प्रकरण की स्थिति की जानकारी देने की मांग	105--107
नियम 301 की सूचनाएं	107
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में उप आबकारी आयुक्तों के प्रमोशन में हुई अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानन्द नगर स्थित सहकारी चीनी मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद सुल्तानपुर में नगरपालिका व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनधिकृत गुमटी हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
जनपद फतहपुर के वंशगोपाल इन्टर कालेज के छात्रों के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
राज्य विद्युत परिषद वाराणसी एवं समस्त प्रदेश में उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर आदि साधनों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	111
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या -3 उत्तर प्रदेश सरकार .. (पटल पर रखा गया) ..	111
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल), 1989 की संख्या -4 उत्तर प्रदेश सरकार .. (पटल पर रखा गया)	111
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1989 की संख्या -2, उत्तर प्रदेश सरकार (पटल पर रखा गया)	111
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) 1989 की संख्या -5, उत्तर प्रदेश सरकार (पटल पर रखा गया।)	112
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (जारी) ..	112

श्री कृष्ण किंकर सिंह, सदस्य विधान सभा का निलम्बन प्रस्ताव तथा निलम्बन प्रस्ताव को वापसी 117
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 118
वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) .. 127
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 155
नत्थियाँ 156–164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 21 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अकबर अली, श्री	जालौन
अख्तर, श्री	गाजियाबाद
अशोक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अरबिन्द कुमार श्री	ललितपुर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
इन्दल सिंह चौहान श्री	मैनपुरी
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा
चन्द्रभान मौर्य	आगरा
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चौधरी शंकर सिंह, श्री	जालौन
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
दशरथ सिंह, श्री	गोण्डा
धर्मज्ञ मिश्र, श्री	हरदोई
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
फकीरे लाल वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बिजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मो० हयात, श्री	मुरादाबाद
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री	इटावा
राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद
राजा मो० अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
रामकरन आर्य, श्री	बस्ती
रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
रिफाकत हुसैन श्री	मुरादाबाद
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लटूरी सिंह, श्री	एटा
विक्रमादित्य, श्री	बलिया
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
पी. टी. आई. श्री	मैनपुरी
शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हृदय नारायण, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 21 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला आपूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालयों द्वारा राशन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया

**1—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के नागरिकों को जिला आपूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालयों द्वारा तुरन्त राशन कार्ड बनाये जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किए गये हैं ? यदि हां, तो इस नये आदेश में राशन कार्ड तुरन्त जारी करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या यह सत्य है कि राशन कार्ड पर बयान हल्फी आदि कागजों की पूर्ति हेतु 25 रुपये (पच्चीस रुपये) व्यय करने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

जी हां, जिला मुख्यालय पर कुछ श्रेणी के आवेदकों को जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है, तुरन्त ही काउन्टर से राशनकार्ड जारी करने से संबंधित निर्देश शासनादेश दिनांक 5 अप्रैल, 1990 द्वारा जारी किए गये हैं ।

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन-पत्र उचित दर की दुकान, जिला पूर्ति कार्यालय तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालयों में इस कार्य हेतु खुले काउन्टर से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । (अ) श्रेणी के आवेदकों द्वारा संगत प्रमाण-पत्र के साथ 11 बजे से 1.30 बजे के बीच काउन्टर पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र का अंकन काउन्टर रजिस्टर में करने के बाद उसी समय बिना किसी पूर्व जांच के राशन कार्ड निर्गत किये जाने के आदेश हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 156 पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को एक टेढ़ी खीर बना दिया है । मकान मालिक जब जलकर/गृहकर की रसीद देगा तब उसे राशन कार्ड दिया जायेगा । होता यह है कि जब कोई मकान मालिक राशन कार्ड बनवाने के लिए जाता है तो उससे गृहकर/जलकर आदि के नो डियूज सर्टीफिकेट्स की मांग की जाती है । साथ ही जो आदमी किरायेदार है और मकान मालिक उस किरायेदार को किराये की रसीद नहीं देता है, तो उसको राशन कार्ड बनवाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई मकान मालिक किराये की रसीद नहीं देता है तो उसका राशन कार्ड कैसे बनेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को गृहकर/जलकर का नो डियूज सर्टीफिकेट्स प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो । वह गृहकर/जलकर की कोई भी रसीद प्रस्तुत करके राशन कार्ड बनवा सकता है । देखा केवल यह जाता है कि राशन कार्ड बनवाने वाला व्यक्ति वास्तव में गृहस्वामी है, अथवा नहीं, या वह निश्चित रूप से उस मकान में रह रहा है अथवा नही ।

श्री रघूबर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी, आप जो केवल रसीद दिखाने की बात कर रहे हैं, वह वास्तव में ऐसा है नहीं । लोगों को मजबूर किया जाता है कि वह नो डियूज सर्टीफिकेट लेकर आयें ? फिर सैकड़ों मकान मालिक ऐसे हैं जो किराये की रसीद देते ही नहीं उनको किस तरह से राशन कार्ड मिले ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, नो डियूज सर्टीफिकेट की बात कहीं नहीं लिखी है । सरलीकरण का मतलब यही है कि यह साबित हो जाय की अमुख व्यक्ति निश्चित रूप से वहीं रह रहा है । अगर कोई गृहकर/जलकर की रसीद ही दिखा देता है तो वह पर्याप्त है । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, अगर कहीं की कोई शिकायत वे बतायेंगे तो उसको देख लिया जायेगा । मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि विभाग को इस बात का सबूत चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में वहां पर रह रहा है, जिससे जो जांच प्रक्रिया चलाई जाती है, वह न करनी पड़े । मान्यवर, माननीय सदस्य अपने प्रश्न के दूसरे भाग को दोहरा दें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्नों को गम्भीरता से सुनकर ध्यान रखेंगे, लेकिन मंत्री जी एक ही अनुपूरक में घबड़ा गये । श्रीमन् मैंने पूछा था कि जिस गृह में जो व्यक्ति रह रहा है और उसको मकान के किराये की रसीद नहीं मिलती है या उसके पास रसीद नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, तो उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने की कौन सी सरल प्रक्रिया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अगर कोई व्यक्ति किराये की रसीद नहीं पाता है, तो (अ) श्रेणी के अलावा जो अन्य लोग निवास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उसके लिए भी वही प्रक्रिया लागू होगी, जैसे रसीद लाने वालों के लिए लागू होती है। अगर वह अन्य कोई प्रमाण पत्र दे देता है कि वह व्यक्ति दूसरे जगह से हटकर यहां पर शहर में आया है, तो वह उसका प्रमाण पत्र जमा कर दे, या वह अर्द्ध सरकारी या सरकारी कर्मचारी है, तो वह अपने कार्यालय से प्रमाण-पत्र लाकर जमा कर दे, उसमें कई कालम होते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जोकि इन किन्हीं श्रेणियों में नहीं आता है और किरायेदार की श्रेणी में आता है और उसे रसीद नहीं मिल रही है, तो जो नियम शहर के (अ) श्रेणियों के निवासियों के लिए लागू होता है, वही उनके लिए भी लागू होगा।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं विधायक हूं और मेरा खुद का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। मैं किराये के मकान में 6 साल से रह रहा हूं और मकान मालिक किराये की रसीद नहीं देता है और बिजली का कनेक्शन भी उसके नाम से लगा है और बिल भी उसी के नाम से आता है। मान्यवर, हमारे लिए कहा गया कि मकान के किराये की रसीद या बिजली के बिल की रसीद दीजिए, तब राशन कार्ड बनेगा। मैं उस मकान में 6 वर्षों से रह रहा हूं, उस क्षेत्र का मैं विधायक हूं। अब आप यह बतायें कि इस तरह से मेरा राशन कार्ड किस प्रकार से बन पायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस मकान में रह रहे हैं, उसके लिए तो वह स्वयं सक्षम हैं वह जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे दें, उनका राशन कार्ड तुरन्त बन जायगा।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, यह जनता की परेशानी की बात है, यह माननीय विधायक की परेशानी की बात नहीं है। आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मान्यवर, विधायक की परेशानी तो डी0 एम0 दूर कर देगा, लेकिन जनता की परेशानी कौन दूर करेगा?

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, नगर के अलावा ग्रामीण अंचलों में जब हम लोग बी0 डी0 सी0 की बैठक में जाते हैं, तो वहां प्रायः शिकायत मिलती है कि राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं और काफी मामले वहां पर लम्बित हैं। क्या नगर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी तुरन्त राशन कार्ड बनाये जाने के लिए कोई सरलीकरण की। इस प्रकार की नीति बनायेंगे ताकि वहां पर त्वरित गति से राशन कार्ड बन सकें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह स्वयं शासन के संज्ञान में है। जो एक प्रक्रिया है उससे कुछ हद तक शहरों में सरलीकरण लाने का प्रयास किया गया है। देहातों में भी इस प्रकार का सरलीकरण लाने का प्रयास किया गया है। देहातों में भी इस प्रकार का सरलीकरण किया जाना चाहिए यह हम लोगों के संज्ञान में है, इस पर गहन विचार चल रहा है, शीघ्र ही इस पर कोई न कोई निर्णय अवश्य लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरलीकरण की यह जो प्रक्रिया इन्होंने अपनायी है उसकी शायद यह मंशा रही है कि पिछले दिनों में राशनकार्ड फर्जी भी बनते रहे हैं। उस फर्जी राशनकार्ड को रोकने के लिए मान्यवर और कौन सी ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं कि फर्जी राशन कार्ड जो दुकानदार बनाये हुए हैं, उनको चेक कराके दंडित करने की ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं? (व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, फर्जी राशनकार्ड की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। फर्जी राशन कार्ड अथवा फर्जी यूनिट्स, मान्यवर, राशनकार्ड भले सही हो लेकिन यूनिट्स गलत चढ़ी हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, किस तरह से उनकी चेकिंग करायी जाय, किस तरह से उनका निराकरण किया जाय। यह मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लेकर आदेश प्रसारित किये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

मैं माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे पूरे प्रदेश के अन्दर राशनकार्ड बनाने की व्यवस्था आपने की है तो इसमें जो लोग राशनकार्ड बनाते हैं, वह बगैर पैसा लिए राशनकार्ड नहीं बनाते हैं या बिचौलियों को बीच में फिट करके इस तरह का काम करते हैं। क्या इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे और कब तक पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर राशनकार्ड बनाने का काम पूरा कर लेंगे और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, राशनकार्ड बनाने में जैसा कि माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि इसमें परेशान किया जाता है, पैसा लिया जाता है तो यह सरलीकरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है कि कुछ श्रेणी के लोगों को तुरन्त राशनकार्ड जारी कर दिये जायं, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है व इस तरह का भ्रष्टाचार जो यहां कहा जा रहा है कि पैसा लिये बगैर राशनकार्ड नहीं बनता, वह इसको कुछ हद तक समाप्त करने का एक कदम है। मैं यह नहीं कहता कि निराकरण है लेकिन कुछ हद तक समाप्त करने का एक कदम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लें। मूल प्रश्न रघुबर दयाल वर्मा जी का है (व्यवधान) मा0 विकल जी बैठ जायं, आपके दल से तीन लोग प्रश्न पूछ चुके हैं। मा0 उपनेता किसी एक व्यक्ति को बता दें, वह प्रश्न कर लें, 11.20 हो रहा है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हो रहा है .. (व्यवधान) क्या आप चाहते हैं कि यही प्रश्न होता रहे, आप पीछे देखिये, आपके दल के कितने लोग खड़े हैं मैं किसका नाम ले लूं। पंचानन राय राय जी और कोई आपके दल से खड़े न हो। विकल जी आप अपने दल के लोगों को बैठा लें। एक आदमी प्रश्न कर लें।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

यहां नये सदस्य किस लिये आए हैं ? आपकी दृष्टि पुराने मा0 सदस्यों की ओर ही रहती है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जब मा0 राजेन्द्र त्रिपाठी जी मंत्री थे तो उन्होंने कई फर्जी राशन कार्ड बनवाए थे, उनको निरस्त करने के आदेश आपने दे दिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1981 की जनगणना के आधार पर सामान का आवंटन करते हैं और 1990 की संख्या के आधार पर कार्ड बनाते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराए जायं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

राशन कार्ड तो वर्तमान जनसंख्या के आधार पर ही बनाए जा रहे हैं, 1981 और 1989 की जनसंख्या के आधार पर नहीं बनाए जा रहे । आज जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, उनको कार्ड दिये जा रहे हैं ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

मान्यवर, मूल प्रश्न के आधार पर मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कुछ कागजात निःशुल्क प्राप्त होने की दुकानें जिला पूर्ति कार्यालय के बाहर खोल दी गयी हैं । ये दुकानें सरकारी हैं या गैर सरकारी । दूसरे जिस नीति के तहत राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिये गये हैं, उनमें सामान्य व्यक्ति का कार्ड बना दिया जायगा । तीसरे गांव में रहने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड के लिये सर्टिफिकेट कौन व्यक्ति देगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, मा0 सदस्य आगरा को शायद भ्रम हो गया है । मैंने यह नहीं कहा था कि जिला पूर्ति कार्यालय के सामने दुकानें खोल दी गयी हैं, प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिये । राशन कार्ड बनाने के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया जायगा, उसका फार्म कहां से उपलब्ध होगा, इसके बारे में बताया कि राशन की दुकानों से, फार्म पाया जा सकता है, जिला पूर्ति कार्यालय से और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय से फार्म पाया जा सकता है । सरकार ने दुकान नहीं खुलवाई है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो उल्लेख किया है, उन्होंने श्रेणी विभक्त की है । अ श्रेणी में से लेकर 7 तक में जो लोग आते हैं उसके लिये प्रक्रिया बतायी है । अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में तमाम दिक्कतें आती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें, काफी समय हो गया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं प्रश्न कर रहा हूं, बयान हल्फी न लेने के आदेश निर्गत कर देंगे कार्ड के लिए?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, बयान हल्फी लेने के कोई आदेश ही नहीं दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठें, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

राजकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों से खून, पेशाब आदि का जांच शुल्क बन्द किये जाने की सूचना

*2–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि सन् 1989 से राजकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी रोगियों से खून, पेशाब आदि सभी प्रकार की जांचों, पलंग व दवाओं तथा भोजन और एक्स-रे आदि का शुल्क लिया जाना लागू किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जन-कल्याण की दृष्टि से उक्त जांच लेना बन्द किये जाने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

राजकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों से विभिन्न पैथालाजिकल जांचों, पलंग, दवाओं व भोजन आदि हेतु शुल्क लिये जाने के आदेश तो बहुत पहले से लागू थे। उन शुल्कों में वृद्धि करके एवं कतिपय सीमा तक अति निर्धन/निराश्रित रोगियों से सर्विज चार्जेज व शुल्क न लेने के आदेश 27-10-1986 को जारी किये गये थे।

राजकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले एवं आउटडोर के रोगियों से दवाओं, सेवाओं व परीक्षण आदि के लिए कोई शुल्क न लेने तथा जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले सभी रोगियों का भोजन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश 30 दिसम्बर, 1989 को ही निर्गत किये जा चुके हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 27-10-86 से पहले से व्यवस्था लागू थी, विभिन्न पैथालाजिकल जांचों, दवाओं व भोजन आदि हेतु शुल्क लिये जाने के आदेश तो बहुत पहले से लागू थे। 27-10-86 को कतिपय वृद्धि करके आदेश जारी किये गये। जो आदेश दिये गये हैं उनमें 27-10-86 से पहले जो व्यवस्था लागू थी, वह समाप्त कर दी गयी है। यह कहना है कि अब कोई शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता दवायें मुफ्त दी जाती हैं अथवा पहला जैसा शुल्क अभी तक लागू है?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, सदन में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने के लिये जो हमने 30 दिसम्बर, 1989 को नये आदेश जारी किये गये हैं उसको मैं बता दूं। इसी से मामला स्पष्ट हो जायेगा।

सरकारी चिकित्सालयों/औषधालयों, जिनमें चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, पंजीकरण शुल्क जो वसूल की जायेगी, वह इस प्रकार से है-(1) जिन-जिन अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क 2 रु0 है वहां यह धनराशि 1 रु0 कर दी गयी है। उसके बाद है, जिन अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क 1 रु0 है अथवा 1 रु0 से कम है वहां यथावत् बना रहेगा। उसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में कोई पंजीकरण शुल्क न लिया जाय। उसके बाद है, नगरीय क्षेत्रों में 30 शैय्या तक के चिकित्सालयों में कोई पंजीकरण शुल्क न लिया जाय। यह तो शुल्क के सम्बन्ध में व्यवस्था हो गयी है। अब जो दूसरी व्यवस्था की गयी है उसे भी बता दूं। सभी राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इन्डोर प्रवेश शुल्क की धनराशि जो 5 रु0 थी को घटाकर 2 रु0 कर दिया गया है। तीसरी व्यवस्था यह की गयी है कि सरकारी चिकित्सालयों के आउटडोर के एवं जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले रोगियों से औषधियों, सेवाओं व परीक्षण आदि के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। चौथा यह है कि जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले सभी रोगियों को भोजन निःशुल्क दिया जायेगा। यह दिया जा रहा है जब से यह व्यवस्था लागू हुई है। पांचवा यह है कि प्राइवेट/पेईंग वार्ड में भर्ती रोगियों से शासनादेश दिनांक 27-10-1986, 17-12-86

एवं 29 जुलाई, 1987 के अनुसार सभी प्रकार के सेवा शुल्क एवं अन्य शुल्क पूर्व की भांति लिये जायेंगे । जो प्राइवेट वार्ड में भर्ती होंगे उनके लिये यह है । मान्यवर, यह सारी व्यवस्थायें की गयी हैं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसका समय समाप्त हो गया है, माननीय विकल जी अंतिम प्रश्न कर लें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत उत्तर इस सम्बन्ध में दिया । किसी भी प्रकार का कोई शुल्क न लिये जाने वाले आदेश नहीं है, पंजीकरण शुल्क भी लागू है । पलंगों का शुल्क भी लागू है । दूसरी बात पूछना चाहता हूं मंत्री जी से उन्होंने उत्तर में कहा है कि दवायें वगैरह बिल्कुल नि:शुल्क दिये जाने के आदेश दिये गये हैं । मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं, मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, आज भी अस्पतालों में आमतौर पर निर्धन गरीब लोग ही इलाज कराने जाते हैं असहाय लोग ही वहां जाते हैं, जो समर्थवान लोग हैं, वे आपके अस्पतालों में न जाकर नर्सिंग होम में इलाज करवाते हैं । ऐसे निर्धन लोगों से दवाओं का पूरा पैसा लिया जाता है । वहां पट्टी, सुई-इन्जेक्शन आदि के लिये भी उनको पर्चियों की लिस्ट पकड़ा दी जाती है जिसे उन्हें क्रय करना होता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । जो कहा है कि दवाओं का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, व्यवहार में वह नहीं हो रहा है । सब चीजों के पैसे लिये जा रहे हैं । क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे यह आश्वस्त करेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों में दवायें निर्धन रोगियों को बिल्कुल नि:शुल्क मिलेंगी?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, विकल जी के पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे यह निवेदन करना है कि हमने काफी शुल्क घटा दिये हैं जो एक रु0 टोकन के रूप में ले रहे हैं वह इसलिये ले रहे हैं अगर यह बिल्कुल लेना बंद करेंगे तो जो पर्चियां देते हैं हमारा विभाग देता है पर्चियां उनको वे कहीं नष्ट कर देंगे खो देंगे, पर्चियों में फिर लिखने में समस्या होगी। इसलिये टोकन के रूप में एक रु0 ले रहे हैं। काफी शुल्क हमने घटा दिये हैं। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि यह आदेश निकलने के बाद भी दवायें रोगियों को खरीदनी पड़ती है पट्टियां खरीदनी पड़ती हैं । मान्यवर, जो शासनादेश है हम जानते हैं और हमें विश्वास है कि दवायें अस्पतालों में मुफ्त मिल रही हैं । यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कहीं कोई बात है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सक्षम हैं आप जांच कर सकते हैं और हम से भी शिकायत कर सकते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । यह नियमों के विरुद्ध है, 12-20 बजे तक का इस पर समय था, 12-25 हो गया है । अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज में दवायें आदि हैं ही नहीं तो यह मुफ्त कहां से देंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री रविदास मेहरोत्रा तथा रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल के भाव खुले बाजार में काफी बढ़े हैं और उनकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । प्रदेश में चीनी के भाव खुले बाजार में बढ़े नहीं हैं बल्कि इसमें गिरावट आयी है । मिट्टी का तेल एक नियंत्रित वस्तु है जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिकती है ।

यह कहना सही नहीं है कि इसकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है ।

प्रवर्तन कार्य में तीव्रता-निर्धारित समय सारिणी के अनुसार इन्हें, जिलों, जिलों के ब्लाक गोदामों तथा ब्लाक गोदामों से दुकानों तक ले जाया जा रहा है । ब्लाकों से सामग्री इशू करने का सप्ताह निर्धारित कर दिया गया है तथा इसकी सूचना सभी प्रधानों को भी दी गई है । वास्तविक उठान से संबंधित सूचना क्षेत्र समिति में प्रदर्शित की जाती है । इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार कराया गया है ताकि उपभोक्ताओं में जागृति आये ।

2–अब महीने की 20 तारीख को उपभोक्ता का कोटा लैप्स नहीं करता । अगली उठान तक वह सामग्री प्राप्त कर सकता है ।

3–प्रवर्तन कार्य में तीव्रता लाकर 24,109 छापे मारे गये तथा 547 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । एक व्यक्ति को मिट्टी तेल की कालाबाजारी में लिप्त पाने के कारण "कालाबाजारी निरोधक एवं आपूर्ति व सम्भरण अधिनियम" 1980 के अंतर्गत निरुद्ध भी किया गया है । इन प्रयासों से चीनी के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही कन्ट्राडिक्शन स्पष्ट परिलक्षित है। मैं उनसे दो बातें जानना चाहूंगा। अगर कालाबाजारी नहीं हो रही है और बाजार में भाव नहीं बढ़ रहे हैं, तो वह कौन से कारण थे, जिसके कारण आपको 24,109 छापे मारने पड़े और तमाम लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि इन छापों में कुल कितने क्विंटल चीनी का इन्वाल्वमेंट था तथा आपकी राशन की दुकानों पर साढ़े 4 रुपये किलो चीनी मिलती है तथा खुले बाजार में यह 8-साढ़े 8 रुपये प्रति किलो से कम नहीं मिल रही है, कभी-कभी 10-12 रुपये तक पहुंच जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी की निगाह में सस्ते गल्ले की दुकानों और खुले बाजार में चीनी के दामों का अन्तर असंतोषजनक या काफी नहीं है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और वास्तव में यहां की प्रक्रिया को मैंने इन्हीं से सीखा है। इसमें जैसा कि आपने कहा कि मेरे उत्तर में विरोधाभास है, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे उत्तर को देख लें और माननीय सदस्य के प्रश्न को देख लें। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो मैंने कहा कि वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि वृद्धि करने की प्रवृत्ति दुकानदारों में नहीं रहती है, इसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिये छापे मारे जा रहे हैं, ताकि जो दुकानदारों में मुनाफाखोरी और मूल्यों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति है, उस पर सरकार द्वारा समुचित नियंत्रण रखा जा सके।

जहां तक कोटे की दुकानों पर और खुले बाजार में चीनी के दामों का प्रश्न है, उसके संबंध में माननीय सदस्य जानते हैं कि लेवी शुगर का मूल्य भिन्न होता है और खुले बाजार की फ्री सेल चीनी का मूल्य भिन्न होता है ? इन दोनों में भिन्नता की जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस तरह की बात की मैं वरिष्ठ सदस्य से उम्मीद नहीं करता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि आज भी देहात और शहर में मिट्टी का तेल 5-6 रुपये लीटर बिक रहा है और इसकी कालाबाजारी हो रही है। जो सस्ते गल्ले की दुकाने हैं, वहां से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिल रहा है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि सस्ते गल्ले की दूकानों में चीनी का दाम और खुले बाजार में चीनी के दाम में जो वैरीयेशन है, जो सरकार की दोहरी नीति के कारण है और जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है तो क्या सरकार इस खुले बाजार में चीनी के दाम के फलकचुवेशन को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठायेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जहां तक मिट्टी के तेल का देहातों में मिलने का प्रश्न है, यह सही है कि अभी इसके संबंध में समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है, यद्यपि उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा तथा आपके माध्यम

से माननीय सदन को भी बताना चाहूंगा कि चीनी, मिट्टी का तेल या अन्य कोई आवश्यक वस्तु जो भी गांव तक नहीं पहुंच रही थी, जिनकी बीच में ही काला बाजारी हो जाती थी, उसको रोकने के लिए हर ब्लाक पर ही गोदाम बनाये गये हैं, मूवमेंट प्लान बनाये गये, ताकि नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन अभी मिट्टी के तेल के मामले में ठीक व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्यों उसके लिए भिन्न कानून बनाने की आवश्यकता थी। मैं बताना चाहूंगा कि शासन द्वारा इस पर निर्णय लिया जा चुका है और शीघ्र ही इसे भी लागू कर दिया जायगा तथा जो गांव के कोटेदार हैं, उनको हर ब्लाक से ही यह सामान उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि जो शहर से पहले मिट्टी का तेल गांव तक नहीं पहुंच पाता था, उसे पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। जहां तक दोहरी प्रणाली का सवाल है, खुले बाजार और लेवी सुगर का, मैं बताना चाहूंगा कि यह भारत सरकार का विषय है और इसलिए मैं इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो दोहरी मूल्य नीति है, जिसके कारण खुले बाजार में चीनी के दाम बहुत ज्यादा हैं, जिसका सर्वाधिक असर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि शहर में एक यूनिट पर एक किलो चीनी देते हैं और पर्वतीय अंचल में भी एक किलो देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार केवल 250 ग्राम चीनी मिलती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ना गांव का आदमी पैदा करता है और उसे चीनी सबसे कम मिलती है, तो प्रति इकाई उसके लिए इस मात्रा में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, श्री गुप्ता जी ने जो प्रश्न किया है, इसी तरह का प्रश्न आगे लगा हुआ है। यदि आप आज्ञा दें तो इस प्रश्न को उसी से लगा हुआ मान लें। मान्यवर, इसमें एक समस्या है। मैंने काफी प्रयास किया किन्तु मुझे वह पत्रावली नहीं मिली। आखिर पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में इतना अंतर क्यों रखा। शहर में एक किलो दी जाय और गांवों में ढाई सौ ग्राम दी जाय। भारत सरकार ने एक मानक बना लिया है कि 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह चीनी उपलब्ध कराई जायेगी। उसी आधार पर देश के समस्त प्रदेशों में चीनी उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक हमें जो चीनी उपलब्ध कराई जा रही है वह 1986 के प्रोजेक्टेड पापुलेशन के आधार पर कराई जा रही है। अब समस्या यह है कि हमें 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है और हमें शहरों में एक किलो चीनी प्रति व्यक्ति को देना है, इसी कारण हमें ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी को कम करना पड़ रहा है। हमारे पास जो चीनी है, वह निश्चित मात्रा में है। दूसरा, यह कि हमें 1986 के प्रोजेक्टेड पापुलेशन के आधार पर चीनी दी जा रही है, जिससे हमें 1990 की आबादी को खिलाना पड़ रहा है। इसका निराकरण करने के लिए हमारी बराबर भारत सरकार से वार्ता चल रही है। इस समय हमारा जो सेंशस चल रहा है, उसके नतीजे आने के

बाद सम्भवतः हमारे कोटे में वृद्धि होगी । अगर वृद्धि की गई तो मैं इस आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बढ़ी हुई चीनी मिलेगी, वह पूरा का पूरा ग्रामीण जनता की तरफ दिया जायेगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो ढाई सौ ग्राम मिलता है, उसमें वृद्धि हो सके ।

श्री जनार्दन प्रसाद अभा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाव बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई गई है। शायद माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी होगा कि यह मूल्य बढ़ाने की प्रवृत्ति इसलिए भी है कि आज देहातों में वितरण व्यवस्था विचित्र हो गई है । पहले नियम था कि कुछ दुकानदार बांटते थे, फिर शासन ने यह तय किया कि हर गांव के आदमी यह तय कर लेंगे कि फलां आदमी बांटेगा तो उन्हीं को दुकान दी जायेगी । ऐसा करने से जो पहले वाले दुकानदार थे, वे हाईकोर्ट चले गये और उन्हें बहुत ही सस्ते तरीके से स्टे मिलने लग गया । यद्यपि मुझे कोर्ट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । इसका एक कारण यह भी है, जिससे वितरण व्यवस्था चरमरा गई है । मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उनके संज्ञान में यह तथ्य है कि उनको जो सरकारी वकील हैं, 'स्टे' को 'वैकेट' करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। इस कारण दुविधा की स्थिति बनी हुई है और भाव बढ़ने का यह भी एक कारण है ? क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि सरकारी अधिवक्ता प्रभावी कदम उठायेंगे कि 'स्टे' जो न्यायालय ने दिया हुआ है, उसको वैकेट करायें ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से बहुत अलग हो गया । तारांकित प्रश्न संख्या–10 है, उसमें शहर और गांव की वितरण व्यवस्था समान करने के सम्बन्ध में पूछा गया है । मंत्री जी यदि चाहें तो उत्तर दे दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण यह सही है कि गांव की वितरण प्रणाली में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ गयी है ।

(कांग्रेस दल की ओर से ''माना'' की आवाज आने पर)

निश्चित रूप से माना लेकिन इसके भी जिम्मेदार आप लोग हैं ।

जो आज असमंजस की स्थिति है, इसको समाप्त करने के लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस महीने तक जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लें । कोशिश मेरी यह है कि इस महीने के अन्दर ही इसका निराकरण कर लें, इसका प्रयास कर रहे हैं । वैसे तो उच्च न्यायालय पर ही निर्भर करता है । मैं कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता हूं लेकिन अपने प्रयास का ही आश्वासन दे सकता हूं । इसके लिए कृत संकल्प हूं और प्रयास करूंगा ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चीनी और मिट्टी के तेल का निर्धारित मूल्य क्या है और इससे अधिक जो लोग बेचते हैं उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

चीनी का निर्धारित मूल्य लेवी का अलग है फ्री सेल का निर्धारित नहीं है । शासन जरूर प्रयास करता है कि एक निश्चित मूल्य से ऊपर न जाने पाये, उसके अन्दर ही मार्केट का घटाव बढ़ाव रहता है। मिट्टी के तेल के मूल्य में भिन्नता इसलिए आ जाती है कि हर डिपो से जो जारी होता है, उसका मूल्य दूरी (किलोमीटर) के हिसाब से जिलाधिकारी तय करते हैं, हर जनपद का अलग-अलग है । जो काला बाजारी की बात कही है, उसी को रोकने के लिए, जो आवश्यक वस्तुओं का डायवर्जन होता है या जो जमाखोरी करके मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति रहती है, उसी को रोकने के लिए छापे डालते हैं । मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक-डेढ़ महीने के अन्दर चीनी के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, 2-4-10 पैसे का फर्क रहना ही है, उसको फ्री सेल में नहीं रोका जा सकता है, इसके मूल्य को रु0 8.50 से रु0 8.75 पर निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी सही बात स्वीकार करेंगे । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि पिछली सरकार में प्रति यूनिट ग्रामीण अंचलों में 250 ग्राम चीनी दी जाती थी, शायद उनको जानकारी नहीं है कि प्रति यूनिट 250 ग्राम नहीं बल्कि 230 ग्राम प्रति यूनिट कर दिया है जबकि इस समय चीनी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, 250 ग्राम से 230 ग्राम प्रति यूनिट जो इस सरकार द्वारा किया गया है, इसका औचित्य क्या था, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, वैसे तो माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न संख्या 10 में आयेगा, यदि आप निर्देश दें तो मैं उत्तर दे दूं । मान्यवर, शासन ने चीनी 250 ग्राम से घटाकर 230 ग्राम किये जाने के कभी भी कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं । दूसरी बात मैं आपको बतला दूं कि इस समय सम्भव है जैसी कि जो सूचनायें हमें थोड़ी बहुत जनपदों से मिल रही हैं कि पहले चीनी कागजों पर बिकती थी और 250 ग्राम चीनी मिल जाया करती थी लेकिन अब चीनी लोगों के घर तक पहुंच रही है चीनी की उपलब्धता कम होने के कारण जिलाधिकारियों ने इसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर करके कोशिश की है की चीनी लोगों के घरों तक पहुंच जाय।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निर्देश है कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में उचित कार्यवाही करें ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के चिकित्सा मनोविज्ञान विभाग के सर्वेक्षण द्वारा बालकों में मानसिक रोग का पाया जाना एवं रोग दूर करने की कार्यवाही

*2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के चिकित्सा मनोविज्ञान विभाग द्वारा किए गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि

प्रदेश में बेसिक एवं जूनियर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में से 14 प्रतिशत बालक मानसिक रोग के शिकार हैं ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री मुख्तार अनीस–

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मानसिक चिकित्सा विभाग द्वारा टेड़ेमऊ गांव मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ के 250 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 35 बच्चे ऐसे पाये गये जिनमें विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्यायें पाई गईं। इस संबंध में इसी कालेज के मानसिक चिकित्सा विभाग द्वारा एक सार्वेस कम शोध कार्य की योजना वर्ष 1987 में आरम्भ की गई परन्तु किन्हीं कारणोवश इस योजना में कार्य बन्द कर देना पड़ा । यह एक प्रारम्भिक ग्रामीण क्षेत्रीय सर्वेक्षण है जिसके आधार पर पूरे प्रदेश के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता । यह कार्य पुनः चालू कर दिया गया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सर्वेक्षण मलिहाबाद विकास खण्ड में हुआ; वह किस वर्ष किया गया और उस सर्वेक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या विषय की गम्भीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी प्रदेश के कुछ और अन्य जनपदों में भी यह सर्वेक्षण करायेंगे ताकि बच्चों में जो यह मानसिक विकृति पैदा हो रही है इसका उपचार किया जा सके और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस–

यह जो सर्वेक्षण किया गया है यह नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम के तहत 1987 में किया गया था ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि 1987 में जो यह सर्वेक्षण मलिहाबाद विकास खण्ड में किया गया था उसके उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, यह तो केन्द्र सरकार ने हमको एक योजना दी थी उसमें टेड़ेमऊ गांव में डाक्टरों ने जांच की थी और आस-पास ही सर्वेक्षण किया था । यहां 250 बच्चों को टेढ़ेमऊ गांव में मानसिक रूप से विकृत पाया गया जिनमें मानसिक रूप से कुछ परेशानी थी ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जो सर्वेक्षण कराये जाते हैं वह इसलिए कराये जाते हैं कि कहां कौन सा रोग फैल रहा है और कौन सा घट रहा है । इस मानसिक रोग के सर्वेक्षण में क्या मिला ? दूसरी बात यह कि यह गम्भीर विषय है 14 प्रतिशत बच्चों में कोई रोग निकलता है तो फिर इसका सर्वेक्षण हजार बच्चों में और किया जाना चाहिए कि कहीं यह बीमारी बहुत ज्यादा तो नहीं फैल रही है ?

श्री मुख्तार अनीस–

जो बच्चों में बीमारी पायी गयी वह इस प्रकार है कि कुछ बच्चों में बुद्धि की कमी पायी गयी, कुछ बच्चों को मिर्गी का दौरा पड़ना पाया गया या दौरा पड़ने के आसार पाए गए थे । कुछ बच्चे ऐसे थे जो न तो कुशाग्र बुद्धि के ही थे बल्कि उनकी बुद्धि मन्द थी ज्यादा तेज नहीं थी और कुछ में व्यवहारिक कठिनाइयां पायी गयीं। आपने जो प्रश्न किया है उसमें यह नहीं दिया है कि 14 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है । यह केवल टेड़ेमऊ गांव मलिहाबाद क्षेत्र में 14 प्रतिशत ऐसे बच्चे पाए गए थे । यदि उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत ऐसे बच्चे हो जाते तो फिर विधायक न बन पाते ।

डा0 दिनेश जौहरी–

इसीलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के क्षेत्रों के बच्चों का आप सर्वेक्षण करायेंगे ?

(मा0 मंत्री जी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन बच्चों में जो मानसिक रोग फैल गया, इसका कारण क्या है ? क्या कुपोषण के कारण तो ऐसा नहीं है ? क्या इस संबंध में अध्ययन कराकर इसके मूल कारण का पता लगाने के लिए मा0 मंत्री जी कोई योजना बनायेंगे जिससे कि वह मानसिक रोग दूर किया जा सके ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, पहले तो मैं जो मा0 जौहरी जी ने कहा है उसका उत्तर दे दूं कि 1000 बच्चों का सर्वेक्षण कराने की जो उन्होंने बात कही है तो मैं उनको सूचित कर दूं कि यह सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है । इस समय सर्वेक्षण चल रहा है और लखीमपुर-खीरी में इसका कार्य शुरू हो गया है । जब वहां की रिपोर्ट आ जायेगी, उसे हम आप के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

सीतापुर में नहीं करा रहे हैं?

श्री मुख्तार अनीस–

नहीं सीतापुर में नहीं हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सीतापुर में यदि रोग न होता तो आप यहां चुनकर न आते।

(हंसी)

श्री मुख्तार अनीस–

जहां तक मा0 अशोक बाजपेयी जी के प्रश्न का उत्तर है हरदोई के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

जो बात पूछी गयी है मानसिक रोग की, उसका कारण क्या है ?

(मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा नत्थी (ग) का प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, इस संबंध में मुझे एक प्रश्न कर लेने दें कि इस रोग का कारण क्या है । इस संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कराकर इसके उपचार के उपाय किए जाने चाहिए क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ चुका है ।

[गुरुवार, दि0 21 जून, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोकुल बैराज का शिलान्यास एवं शीघ्र निर्माण कर चालू किए जाने की मांग

*1–श्री सरदार सिंह एवं श्री श्याम सुन्दर शर्मा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गोकुल बैराज का शिलान्यास डेढ़ वर्ष पूर्व हो चुका है लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन जिले की पेयजल समस्या का निदान शीघ्र करायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन ने इस बैराज से लिफ्ट सिंचाई की योजना भी बनायी है? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं लघु उद्योग तथा पर्यावरण मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)–

जी हां, गोकुल बैराज का शिलान्यास दिनांक 25-12-1988 को हो चुका है। इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य जैसे सर्वे, परिकल्पन भूमि अधिग्रहण, मॉडल टेस्टिंग आदि का कार्य प्रगति पर है। विशेष निविदा शर्त बना ली गयी है तथा विधिक्षण हेतु परीक्षण में है । गोकुल बैराज का मुख्य कार्य अक्तूबर, 1990 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है । इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, गोकुल बैराज का मुख्य कार्य अक्तूबर, 1990 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य जून, 1994 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

आर्थिक दृष्टि से गोकुल बैराज से सिंचाई की व्यवस्था विचार करने पर उपयुक्त नहीं पाई गई ।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने हेतु धान एवं गेहूं के क्रय केन्द्रों की स्थापना का आधार तथा जनपद फैजाबाद के कटेहरी में क्रय केन्द्रों की संख्या

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में धान और गेहूं के सरकारी क्रय केन्द्र खोलने का आधार क्या है और निर्धारित मानक की पूर्ति में कौन सी कमी थी जिसके कारण वर्तमान धान खरीद सत्र में जनपद फैजाबाद की कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में धान का कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि 31 जनवरी, 90 तक पूरे जनपद फैजाबाद में 550 कुन्तल से कम धान खरीदा गया और किसानों को बाध्य होकर अपना धान प्राइवेट चावल मिलों और व्यापारियों को 150 रु0 क्विंटल की दर से बेचना पड़ा है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और किसानों के इस शोषण के लिए दोषी लोगों को दण्डित करने और इस प्रकार के शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने तथा उनको डिस्ट्रेस सेल से बचाने हेतु धान और गेहूं के क्रय केन्द्रों की स्थापना स्थानीय आवश्यकतानुसार निम्न बातों को ध्यान में रखकर की जाती है:—

(क) किसानों को अपना धान बेचने के लिए यथासम्भव 10 कि0मी0 से अधिक दूर न जाना पड़े ।

(ख) क्रय केन्द्र ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां विभागीय गोदामों या संग्रह की अन्य सुविधाएं हों ।

(ग) किसी भी दशा में किसी व्यापारी के स्थल पर या चावल मिलों में धान क्रय केन्द्र न खोलने के आदेश हैं ।

(घ) क्रय केन्द्र उन क्षेत्रों में विशेष रूप से खोले जाते हैं जहां चावल मिलें नहीं हैं।

क्रय केन्द्र एजेंसियों द्वारा जिलाधिकारी के परामर्श एवं निर्देशानुसार खरीफ सीजन के प्रारम्भ में स्थापित किए जाते हैं । बाद में भी जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति तथा जनता की मांग को देखते हुए नए क्रय केन्द्रों को खोलने हेतु क्रय एजेंसियों को निर्देश दे सकते हैं ।

(च) गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित करते समय ध्यान रखा जाता है कि कृषकों को अपना गेहूं बेचने हेतु अधिक दूरी तय न करनी पड़े ।

(छ) क्रय केन्द्रों के चयन के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि एक स्थान पर अधिकतम 2 क्रय एजेंसियां ही गेहूं की खरीद करें ।

यह सही नहीं है कि जनपद फैजाबाद की कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में धान का कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है । इस क्षेत्र में तीन क्रय केन्द्र खोले गए ।

31 जनवरी, 1990 तक फैजाबाद जनपद में 588 कुन्तल धान खरीदा गया ।

शिकायत प्राप्त हुई थी जांच कराने पर आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । फिर भी पुनः जांच कराई जा रही है ।

जनपद में अच्छे औसत श्रेणी (फेयर एवरेज क्वालिटी) का धान रु0 185 प्रति कुन्तल से ऊपर बिक रहा था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं इस उत्तर में कुछ संशोधन करना चाहूंगा ।

(लिखित उत्तर का पृष्ठ 1 यथावत पढ़ा गया)

(लिखित उत्तर के पृष्ठ 2 को संशोधित रूप में निम्न प्रकार पढ़ा गया)

(छ) क्रय केन्द्रों के चयन के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि एक स्थान पर अधिकतम 2 क्रय एजेन्सियां ही गेहूं की खरीद करें।

यह सही नहीं है कि जनपद फैजाबाद की कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में धान का कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है । इस क्षेत्र में तीन क्रय केन्द्र खोले गये हैं । इनके नाम मैं अभी अनुपूरक प्रश्नों के पहले ही बताये दे रहा हूं, वह हैं, महबूबगंज भिटिया और गोला ।

31 जनवरी, 1990 तक फैजाबाद जनपद में 588 कु0 धान खरीदा गया ।

शिकायत प्राप्त हुई थी जांच कराने पर आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । जांच आख्या से मैं सन्तुष्ट नहीं था, इसलिये संयुक्त सचिव श्री ए0के0 सिंह को पुनः जांच सौंप दी गयी है ।

जनपद में अच्छे औसत श्रेणी (फेयर एवरेज क्वालिटी) का धान रु0 185 प्रति कुन्तल से ऊपर बिक रहा था ।

संयुक्त सचिव द्वारा पुनः जांच हो रही है, जब तक उसकी जांच आख्या न आ जाय दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकना संभव नहीं है । जैसे ही जांच आख्या आ जायेगी इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में 3 क्रय केन्द्र खोलने की बात कही है, तो मैं आपका ध्यान बंटाना चाहता हूं कि गोला जो है, वह बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि 31 जनवरी तक तीनों क्रय केन्द्रों पर कितना-कितना धान खरीदा गया और कितने केन्द्र ऐसे हैं जहां पर शून्य खरीद हुई है, क्या मा0 मंत्री जी उससे संतुष्ट हैं?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उसका नाम गोला नहीं महरुआ गोला है। यह सूचना जिले से प्राप्त हुई है। यह बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है तो इसकी भी जांच करा ली जायेगी । कितना कितना धान क्रय हुआ, इसके बारे में भी मैं बताये दे रहा हूं कि चूंकि इन केन्द्रों पर खरीद शून्य थी, इसीलिये जांच पुनः दे दी गयी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

धान की स्थिति से सारे सदस्यगण अवगत हैं । अगर केन्द्र ईमानदारी से खोले गये होते तो शून्य खरीद नहीं हो सकती थी । इसकी वजह मैं जानना चाहूंगा । जिन लोगों ने ऐसा गम्भीरतम अपराध किया है और जो लोग दोषी हैं, उन्हें क्या माननीय मंत्री जी दण्डित करेंगे? दूसरी बात यह है कि गेहूं की खरीद में किसानों से गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। जब किसान पहुंचता है तो उसमें कई तरह की खामियां बताकर उसे लौटा दिया जाता है और जब कोई बनिया पहुंचता है तो उससे कमीशन लेते हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं । धान का क्रय इस वर्ष यानी 89-90 में 88-89 की तुलना में अधिक हुआ है फिर भी मुझे यह कहने में झिझक नहीं हो रही है कि हम इस क्रय से संतुष्ट नहीं हैं और न ही शासन संतुष्ट है । जितना क्रय होना चाहिए उतना नहीं किया गया है । मान्यवर, बहुत सी जगहों में जब से मैंने कार्यभार सम्भाला है, डिस्ट्रिक्ट सेल की शिकायतें आ रही थीं । इसलिये यह प्रयास किया गया कि जितना सरकारी एजेन्सी खरीद रही है, कुछ नहीं खरीद रही है, इसके लिये प्रयास किया गया है कि प्राइवेट मिल आनर्स से, जैसे कि बरेली मंडल का है उनको भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाकर धान का क्रय कराया गया है । जहां तक दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का सवाल है, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जांच आख्या आने दें, निश्चित रूप से शासन उस पर से कार्यवाही करेगा और आप संतुष्ट होंगे । गेहूं की खरीद के बारे में जहां से शिकायतें आ रही हैं वहां पर जांच की जायेगी और निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी । यदि कोई विशेष क्रय केन्द्र हो, उसकी सूचना आप मुझे दे दें तो मैं निश्चित रूप से जांच कराकर कार्यवाही अवश्य कराऊंगा।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद में गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये हैं वहां पर गेहूं का क्रय इसलिये नहीं हो रहा है कि चूंकि गेहूं वर्षा से भीग गया है और जो खरीद हो रही है उसमें प्रति काश्तकार से दो-दो तीन-तीन किलो गेहूं ज्यादा लिया जा रहा है और उसके लिये कहा जाता है कि हमें एफ0 सी0 आई0 में कुछ देना पड़ेगा । उसकी बैठक में निबन्धक सहकारी समितियां, ने भी स्वीकार किया है कि देना पड़ता है, इसलिये हम ले रहे हैं । तो मान्यवर, इसकी जानकारी करके आप दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो खरीद नहीं हुई है उसको सुनिश्चित करेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, वर्षा के कारण कई स्थानों पर गेहूं का रंग कुछ गंदा हो गया जिसको लस्चर ला कहते हैं । इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की है । 20 प्रतिशत तक लस्चर ला की खरीद थी, कोई गेहूं खरीदा जा सकता था उसके अन्तर्गत जितना गेहूं आ रहा है उसकी खरीद की जा रही है । यदि कहीं 20 प्रतिशत से अधिक लस्चर ला की शिकायतें मिल रही हैं उसके लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है । मैं निरन्तर भारत सरकार और हमारे खाद्य सचिव भी भारत सरकार से सम्पर्क

कर रहे हैं कि जहां लस्चर ला की शिकायतें आ रही हैं उनको छूट मिल जाय । यदि कहीं से ऐसी शिकायतें आयेंगी तो वहां पर उस तरह से कार्यवाही की जायेगी . . . (व्यवधान) मेरा पूरा उत्तर सुन लें ।

डा0 भृजभूषण मणि त्रिपाठी–

मैं कई क्रय केन्द्रों का नाम दे दूंगा जैसे मिरगीपुर है, रैना है . . . (व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

आप लिखकर दे दें । मैं उसकी जांच करवा लूंगा ।

डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

मैंने मौखिक रूप से कह दिया ।

बुन्देलखण्ड में बांदा की सूखा एवम् अकाल की विषम स्थिति को देखते हुए ग्रेटर गंगऊ बांध परियोजना के निर्माण के संबंध में उ0 प्र0 सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार से विचार विमर्श

*3–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड में बांदा की सूखा एवं अकाल की विषम स्थिति को देखते हुए जल की उपलब्धता का अध्ययन करके ग्रेटर गंगऊ बांध परियोजना के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श कर रही है? यदि हां, तो अब तक की प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार से विचार विमर्श करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश की सहमति के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ग्रेटर गंगऊ बांध (केन बहुउद्देश्यीय परियोजना) की विवादित जल उपलब्धता निकाले जाने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन0 डब्लू0 डी0 ए0) को सौंपा गया । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने कार्य पूर्ण कर अपनी आख्या वर्ष 1988 में म0 प्र0, उ0 प्र0 एवं केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित कर दी । उ0 प्र0 ने अध्ययन के उपरान्त राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा निकाली गयी जल उपलब्धता 214 टी0 एम0 सी0 पर अपनी सहमति केन्द्रीय जल आयोग को मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) के कार्यालय द्वारा प्रेषित कर दी है । केन्द्रीय जल आयोग का निर्णय अपेक्षित है ।

यह प्रकरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के मध्य पहले से ही विचाराधीन है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल उपलब्धता का निर्णय होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही लाभप्रद होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक प्रश्न और करना है, अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं मैं दूसरा प्रश्न ले चुका हूं । कृपा करें ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, मैं इसमें दो बातें जानना चाहता हूं एक यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को कब सहमति दी । दूसरा यह कि 214 टी0 एम0 सी0 पानी की उपलब्धता जो है यह कितने क्षेत्र को कवर करेगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड की स्थिति को देखते हुए इसमें शीघ्रता कराने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को जल्दी कार्यवाही करने के लिए लिखेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, यह गंगऊ बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना है इसका लाभ उत्तर प्रदेश को सीधा मिलेगा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के मुख्य मंत्रियों ने 1977 में इस संबंध में वार्ता की और समझौता हुआ और मध्य प्रदेश सरकार को योजना तैयार करने के लिए कहा गया और 1982 में इसका प्रारूप तैयार किया गया । किन्तु इसके अन्दर उ0 प्र0 सरकार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा । क्योंकि इससे पूर्व गंगऊ बांध से आजादी से पहले जो बना था उसमें उ0प्र0 को ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जा रहा था तो उतना पानी वह देने को तैयार नहीं थे । हम चाहते हैं कि 214 टी0 एम0 सी0 पानी मिले तब बुन्देलखण्ड की समस्या हल हो सकती है । तो एक तो इस बारे में समझौता होना है । हमें अभी तक केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पानी की उपलब्धता का निर्णय नहीं पहुंचा है जब निर्णय हो जायेगा तब इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस बांध से भी बुन्देलखण्ड या बांदा की समस्या का समाधान नहीं होगा इसके अलावा भी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बांदा जिले का सर्वेक्षण 89 में किया गया और वह आगे भी चलेगा सर्वेक्षण के अनुसार उसको और गहरा करने के लिए ड्रिलिंग मशीन लगा करके कर्वी और अतर्रा के आस-पास बोरिंग का काम शुरू कर दिया गया उसकी रिपोर्ट को मंगाकर देखें तो यदि सफलता मिल गई है तो इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए पूरे बुन्देलखण्ड के बारे में भारत सरकार और केन्द्रीय जल आयोग को क्या लिखेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह प्रकरण कब से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा है और अभी तक इस पर क्या निर्णय हुआ है ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इसका तो उत्तर दे चुके हैं ।

इलाहाबाद नगर के अल्लापुर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन तथा अन्य क्षेत्रों में जल भराव समस्या को दूर करने के लिए ज्ञापन

*4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा 26-12-89 को इलाहाबाद नगर के अल्लापुर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, नया बरहेना तथा मलाकरज आदि क्षेत्रों में जल भराव समस्या दूर करने संबंधी एक ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो यह समस्या इन क्षेत्रों से कब तक दूर कर दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । इस प्रकरण में जल निगम द्वारा बनाई गई परियोजना पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, जल निगम द्वारा अल्लापुर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, नया बेरहेना तथा मलाकरज आदि मोहल्लों में जल भराव की समस्या के निदान हेतु जो योजना बनाई गई थी वह क्या है और कब बनाई गई थी ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जिन मोहल्लों का उल्लेख मा0 सदस्य ने किया है वहां बाढ़ और वर्षा का पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए जल निगम ने एक योजना बनाई है जो 1.3 करोड़ रुपए की है, इससे नाला बनाया जायेगा जिससे पानी निकल सके और जल भराव की समस्या हल हो जायेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के समक्ष विचाराधीन है । मान्यवर, यह योजना 1985 से चल रही है और अभी तक परिषद् के विचाराधीन है, पिछले सत्र में मैंने यहां 301 के अन्तर्गत इस प्रश्न को रखा था तो जवाब में कहा था कि 2 महीने में यह कार्य पूरा हो जायेगा लेकिन हमारी आपत्ति थी कि रेलवे विभाग से जिसके नीचे नाला जाना है ने अनुमति नहीं दिया है, तो क्या रेलवे विभाग ने नाला बनाने की अब स्वीकृति दे दिया है और क्या बरसात के पहले यह कार्य शुरू कर देंगे ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, इस समस्या का समाधान सिंचाई मंत्री को करना है और वह कर रहे हैं और इस संबंध में मुझे बताया गया है कि यह कार्य शुरू होने वाला है और सिंचाई मंत्री जी को दिल्ली बुलाया गया है और जल्दी ही फैसला इसमें हो जायेगा ।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी, परगना बेलघाट, घाघरा नदी के किनारे बसे ग्राम उदिहा व रोशनगंज की भूमि को नदी में मिल जाने का खतरा एवं उसे बचाने के लिए कार्यवाही

*5–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी, परगना बेलघाट, घाघरा नदी के किनारे बसे ग्राम उदिहा व रोशनगंज की समस्त भूमि को नदी में मिल जाने का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या शासन उपरोक्त गांवों को बचाने के लिए तत्काल कोई आवश्यक प्रभावी कदम उठायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

घाघरा नदी के किनारे बसे ग्राम उदिहा व रोशनगंज का घाघरा नदी से कटान हो रहा है, जिसकी जानकारी है ।

जी हां, एक योजना बनाई गई है जो सचिव राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद्, लखनऊ को प्रस्तुत की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, एक हजार एकड़ जमीन और 200 घर कट गए हैं किन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है और सचिव, राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद्, लखनऊ के यहां प्रस्ताव विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन को इस कटान की जानकारी कब से है ? दूसरी बात सचिव के यहां कब यह योजना प्रस्तुत की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, यह समस्या मुख्य रूप से 1989 में पैदा हुई और बहुत से गांव जल-मग्न हो गए और सिंचाई विभाग के सामने यह समस्या आई तो इसका प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग ने 24.70 लाख रुपए का बनाकर दिनांक 12-5-90 को तकनीकी राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् को भेज दिया गया है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इस संबंध में 19 जनवरी को सिंचाई मंत्री के कक्ष में बैठक हुई थी और निर्णय हुआ था कि 10 फरवरी तक प्रोजेक्ट शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और कटाव रोकने की कार्यवाही हो जायेगी । तो मैं आपसे यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बरसात के पहले उस कटाव को रोकने के लिए वहां पर कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, बाढ़ क्षेत्र के माननीय सदस्य रहने वाले हैं, लेकिन मेरा जो पूरा इलाका बिसवां और महमूदाबाद है, वहां पर 14 नदियां बहती हैं और उनसे उत्पन्न वहां पर बाढ़ समस्या की सबको जानकारी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से यह हवा में तो योजनाएं बनती नहीं हैं । इसके लिए सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता

है, कई बार तकनीकी जांच होती है, फिर मामला बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पास जाता है, उसका बहाव देखा जाता है, उसकी कैपिसिटी आदि तमाम बातें देखी जाती हैं, परखी जाती है एक बंधे को बनाने के लिए या गांव को बचाने के लिए । तो बहुत से ऐसे निरीक्षण, परीक्षण और अन्वेषण करने पड़ते हैं । इसमें काफी टाइम लगता है । आप कहते हैं कि अभी बनवा दीजिए, तो यह सम्भव नहीं है । परीक्षण हो जाने दीजिए, यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री पंचानन राय–

मंत्री जी विद्वान आदमी हैं, नदियों के बारे में सब जानते हैं और मैं तो बेवकूफ आदमी हूं.... (व्यवधान) पांचवें महीने से यहां परीक्षण हो रहा है । योजना बना दी गई, मौके पर गए और 19 जनवरी को सिंचाई मंत्री के कक्ष में इस संबंध में एक बैठक हुई और वहां पर यह तय हो गया कि 10 फरवरी तक इस योजना को शासन को उपस्थित कर दिया जाएगा । किन्तु अभी यह हुआ नहीं और अब बरसात आने वाली है, जिससे वहां पर हजारों जमीन का फिर कटाव होगा और अनेक मकानों का कटान होगा । बन्धा नहीं यह तो ठोकर बनाने का इसमें सवाल है । 15-20 लाख रुपए की छोटी सी यह योजना है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक आप इसको लागू करवा देंगे ?

श्री मुख्तार अनीस–

माननीय सदस्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो काम 8-10 साल में नहीं बन पाया, उस पर हमारे सिंचाई विभाग ने मीटिंग कर ली और उसमें आपको बुला लिया । यह आप हमारी उदारता देखिए । अब योजना निकल रही है, लेकिन आप जितनी शीघ्रता चाहते हैं, उतना नहीं हो सकता है । इस पर विचार करेंगे बाकी बातों पर ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मैं मंत्री जी के उत्तर के संबंध में यह जानना चाहता हूं, यह कहा गया कि– जी हां, एक योजना बनाई गई है जो सचिव राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद्, लखनऊ को प्रस्तुत की जा चुकी है । तो इसका परीक्षण हो चुका है और योजना बन गयी है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब योजना बन गयी तो उसको स्वीकार करके लागू करने में आपको क्या रुकावट है ?

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'–

मैं इसी के साथ यह भी निवेदन कर दूं कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । आने वाले दिनों में बरसात शुरू होने वाली है, उसमें बाढ़ की समस्या होगी, तो इसलिए कटाव के बारे में जो प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, उसको सरकार गम्भीरता से ले । आप कैसे जानते हैं कि पिछले शासन में नहीं हुआ ? आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाले खतरे के प्रति आपको आगाह किया जा रहा है । आप इसको इतने हल्के ढंग से न लें । इससे आपका, प्रदेश का और जन-जन का भला होगा ।

नोट:–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इन्होंने जो सवाल किया है, उसके संबंध में मुझे बताना है कि योजना मंजूर हो गयी । इस योजना में कितना पैसा लगेगा, यह तय हो जायेगा । इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

*6–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का एक पत्र उन्हें 6 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मेडिकल कालेज, झांसी के बाहर जो नर्सिंग होम चल रहे हैं वे मेडिकल कालेज के चिकित्सकों के नाम से नहीं हैं।

वार्डों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ।

डाक्टरों के उपलब्ध न होने के संबंध में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किए जाने हेतु प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं ।

निर्धन एवं असहाय मरीजों को चिकित्सकों की संस्तुति पर निःशुल्क भोजन दिया जाता है तथा अस्पताल से ही दवाएं उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जाता है । दवाएं उपलब्ध न होने पर ही उन्हें मरीजों के हित में बाजार से क्रय कराया जाता है । मेडिकल कालेज के डाक्टरों के स्थानान्तरण का बिन्दु शासन में विचाराधीन है । प्रधानाचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

*7–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री राजनारायण मिश्र, ग्राम अरियन्ना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद का उनकी पत्नी की धोखे से नसबन्दी किए जाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

*8–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-11-89 को श्री राज नारायण मिश्र, निवासी ग्राम अरियांना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने कोई प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद व जिलाधिकारी, फैजाबाद को इस आशय का भेजा था कि अकबरपुर स्थित मेडिकल आफिसर द्वारा उसकी गर्भवती स्त्री जो इलाज के लिए गयी थी की नसबन्दी कर दिए जाने से मर गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त औरत का पोस्ट मार्टम किया गया था और उसकी रिपोर्ट कोतवाली अकबरपुर में दिनांक 13-11-89 को लिखायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करायी गयी ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं । किन्तु श्री राम नरायन मिश्र निवासी ग्राम अरियौना द्वारा दिनांक 14-11-89 का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ था कि उनकी पत्नी का दिनांक 18-10-90 को प्रा0 स्वा0 केन्द्र अकबरपुर में धोखे से नसबन्दी कर दी गयी व उन्होंने इसमें प्रार्थना की कि दोषी डाक्टर को दण्डित किया जाय । तदोपरान्त शिकायत की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद द्वारा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करायी गयी । अभिलेखों के आधार पर जांच में यह पाया गया कि श्री मिश्र की पत्नी ने नसबन्दी अपनी स्वेच्छा से करायी थी ।

उल्लेखनीय है कि श्री राम नरायन मिश्र एवं उनकी पत्नी श्रीमती चंदा देवी की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 26-12-89 को अस्पष्ट कारणों से हो गयी । पुलिस द्वारा दोनों शवों का पोस्ट मार्टम उसी दिन कराया गया । पोस्ट मार्टम में मृत्यु का कारण अज्ञात रहा । अतः दोनों शवों का विसरा सुरक्षित किया गया । सम्पूर्ण मामला अपराध अनुसंधान विभाग को सन्दर्भित करने की व्यवस्था की जा रही है ।

जनपद सोनभद्र में औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे प्रदूषण का नियंत्रण हेतु विशेष इकाई गठित करने की मांग

*9–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र में सरकारी व निजी क्षेत्रों द्वारा अधिष्ठापित कल कारखाना से निकलने वाले धुएं और उत्तसर्जित पदार्थों से उनके आस-पास के वातावरण (वायु और जल) में हो रहे प्रदूषण की दर क्या है ? क्या इस दिशा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा या अन्य स्रोतों से उक्त क्षेत्र का अध्ययन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समूचे सोनभद्र जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई विशेष इकाई गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद सोनभद्र में अनपारा एवं रेनुसागर में वायु-गुणता का अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है। अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि ठोस निलंबित पिंड (सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर), सल्फर डाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन डाईआक्साइड निर्धारित मानकों से कम है ।

रिहन्द जलाशय की जलगुणता अनुश्रवण के आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि जलाशय में घुलित आक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई है, वहीं पर जैविकीय आक्सीजन मांग (बायोलाजिकल आक्सीजन डिमाण्ड) की मात्रा में कमी हुई है ।

जी नहीं ।

वर्तमान में जनपद सोनभद्र में वायु प्रदूषण अनुश्रवण हेतु प्रयोगशाला कार्यरत है । प्रदूषण नियंत्रण के अन्य कार्यों का अनुश्रवण का कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लिए जाते हैं ।

गांव एवं शहर में राशन वितरण प्रणाली में एक समान नीति लागू कराने की मांग

*10—श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री सुखवीर सिंह, श्री चन्द्र विजय सिंह, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, श्री अमर मणि तथा श्री बदन सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव एवं शहर में राशन की वितरण प्रणाली एक समान नहीं है ? यदि हां, तो दोहरी नीति समाप्त कर शहर तथा गांव में एक समान वितरण नीति लागू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

चीनी एवं मिट्टी तेल को छोड़कर शेष सामग्रियों का वितरण स्केल मैदानी क्षेत्र के गांव एवं शहर में एक समान है ।

ग्रामीण एवं शहरी सेत्रों में एक समान वितरण नीति लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

क्योंकि प्रदेश के लिए सामग्रियों की आवंटित मात्रा, तथा क्षेत्रों की आवश्यकता व निर्धारित नीतियों के तहत अभी यह संभव नहीं हो पा रहा है ।

ग्राम सठियांव, तहसील सलेमपुर ब्लाक भटनी को छोटी गण्डक से बचाने के सम्बन्ध में श्री शारदा नन्द अंचल, विधायक का पत्र

*11—श्री हरिबंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शारदानन्द अंचल, विधायक का पत्र दिनांक 12-12-89 जो कि ग्राम सठियांव, तहसील सलेमपुर, ब्लाक भटनी को छोटी गण्डक में विलीन होने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त गांव को बचाने के लिए शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

ग्राम सठियांव दो भागों में छोटी गण्डक नदी के दांये तट पर बसा हुआ है । ग्राम सठियांव का मुख्य टोला नदी से लगभग 500 मीटर तथा दूसरा टोला नदी से लगभग 150 मीटर दूरी पर स्थित है । प्रश्नगत मामले में मुख्य अभियंता (गण्डक) को जिलाधिकारी (देवरिया) से विचार विमर्श करके उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

*12—एडवोकेट हरद्वार दूबे—

[दिनांक 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 19 द्वारा उत्तरित]

राजधानी लखनऊ में मोहन मीकिंग द्वारा किये जा रहे प्रदूषण को कम करने की सरकार की योजना

*13–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में मोहन मीकिंग द्वारा किये जा रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अंतर्गत उद्योगों को स्वयं ही जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करनी होती है जिसके अंतर्गत उद्योग द्वारा अपने उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु संयंत्र स्थापित कर लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंसर के उपचार के लिए व्यवस्था

*14–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंसर के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या यह सच है कि रेडियोथिरेपी के लिए करोड़ों रुपये के उपकरण वहां दो वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं व उनको अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा रहा है और मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था के लिए दोषी कौन है ? लखनऊ में रेडियोथिरेपी कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कालेज, लखनऊ में कैंसर उपचार के लिए शल्य क्रिया, कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी की व्यवस्था उपलब्ध है ।

रेडियोथेरेपी मशीन की कीमत लगभग 57.00 लाख रुपये है तथा इस मशीन की स्थापना कम्पनी द्वारा मार्च, 1989 में कर दी गई थी परन्तु पावर कनेक्शन न मिलने से मशीन 11 जनवरी, 1990 तक कार्यरत नहीं हो पाई । पावर कनेक्शन मिलने के बाद से दिनांक 12 जनवरी, 1990 से मशीन पूर्ण रूप से कार्यरत है तथा अभी तक करीब 600 मरीजों की विकिरण चिकित्सा पूर्ण की जा चुकी है । अब कैन्सर के रोगियों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

रेडियोथेरेपी दिनांक 12 जनवरी, 1990 से प्रारम्भ कर दी गई है ।

अन्य प्रान्तों से डिग्री प्राप्त आयुर्वेद स्नातकों को उत्तर प्रदेश की सेवाओं के लिए अर्ह न माना जाना

*15–श्री अमरनाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अन्य प्रान्तों से डिग्री प्राप्त आयुर्वेद स्नातकों को उत्तर प्रदेश की सेवाओं के लिए अर्ह नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां, अधीनस्थ राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद एवं यूनानी) नियमावली, 1964 के नियम 10 एवं यू0 पी0 इन्डियन मेडिसिन एक्ट, 1939 की धारा 40 के प्राविधानानुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधारी संवर्ग में चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु केवल उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों संस्थाओं से डिग्री प्राप्त आयुर्वेद/यूनानी स्नातकों को ही अर्ह माना गया है ।

लखनऊ जनपद में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य

*16–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उन पर राशन दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड बनाने में अत्यधिक अड़चनें आ रही हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नया राशन कार्ड बनाने का कार्य एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है । लखनऊ में भी आवेदकों को नियमानुसार राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं ।

जारी किये गये राशन कार्डों पर नियमानुसार राशन दिया जा रहा है ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर राशन कार्ड जारी किया जा रहा है । इसमें कोई अड़चन नहीं आ रही है ।

जनपद चमोली में विष्णु प्रयाग, जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य एवं लागत

*17–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में विष्णु प्रयाग, जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया ? इसका निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित अवधि क्या थी ? क्या निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इसकी लागत का मूल प्राक्कलन क्या था तथा 1 फरवरी, 1990 तक निर्माण कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और कितना निर्माण कार्य हो चुका है ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जनपद चमोली में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के प्रारम्भिक निर्माण कार्य वर्ष 1978 में आरम्भ किये गये ।

परियोजना के निर्माण कार्य मूल कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1990-91 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित थे ।

जी नहीं ।

परियोजना पर वर्ष 1989-90 तक लगभग 30 प्रतिशत प्रारम्भिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं क्योंकि 4-5 वर्षों से धन की उपलब्धता बहुत कम रही है वर्तमान में योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है और समस्त कार्य बन्द है ।

परियोजना का मूल प्राक्कलन वर्ष 1978 के 10451 लाख रुपये का स्वीकृति किया गया था ।

फरवरी, 1990 तक निर्माण कार्यों पर 1991 लाख रु0 व्यय किये जा चुके हैं ।

अभी तक दो डीजल पावर हाउस, 345 भवनों का निर्माण, 20 मी0 पहुंच मार्गों का निर्माण एवं 24-77 हे0 निजी भूमि प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त श्रीनगर से मारवाही (जोशीमठ) तथा सड़क का सुदृढ़ीकरण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

चिकित्सा विभाग में सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का मानक

*18—श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-यू0 ओ0 394 से-3-पांच-1982, दिनांक 14 अक्टूबर, 1982 में 16 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का मानक वही है जो पदोन्नति के लिए है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 2196 सेक-3/पांच-6 (31)/84, दिनांक 18 अप्रैल, 1987 में ऐसे कितने अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड पहले मिला है जो शासनादेश संख्या 559 सेक/3/पांच-6 (50)/88, दिनांक 13 जुलाई, 1989 में उल्लिखित अधिकारियों से कनिष्ठ हैं ? क्या ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यावर्तित कर उन्हें मिले अधिक वेतन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

शासनादेश सं0 2196 सेक-3/पांच-6 (31)/84 दिनांक 18 अप्रैल, 1987 द्वारा कतिपय ऐसे अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया है जो शासनादेश सं0 559 सेक-3/पांच-6 (50)/88, दिनांक 13 जुलाई, 1989 में अंकित अधिकारियों से कनिष्ठ हैं क्योंकि शासनादेश सं0 यू0 ओ0—394-सेक-3/पांच-1982, दिनांक 14 अक्टूबर, 1989 में ऐसा मानक निर्धारित नहीं किया गया है जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड नहीं मिल जाता तब तक कनिष्ठ अधिकारी को उक्त वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जायेगा अथवा पहले स्वीकृति जारी हो जाने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में यमुना नदी पर प्रस्तावित बैराज के लिए स्थल का चयन

*19—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में यमुना नदी पर प्रस्तावित बैराज के लिए स्थल का चयन हो गया है ? यदि हां, तो बैराज का स्थल कहां चयनित किया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक चयन न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री रेवती रमण सिंह–

स्थल चयन हो चुका था परन्तु स्थानीय माननीय विधायकगण के अनुरोध पर इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

पूर्व में यह बैराज जवाहर पुल से लगभग 2 कि0 मी0 ऊपर बनाना प्रस्तावित था परन्तु अब इस पर पुनर्विचार हो रहा है ।

अभी तक चयनित स्थान पर स्थानीय माननीय विधायकगण द्वारा विरोध प्रकट किये जाने पर स्थान चयन पर पुनर्विचार हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसकी आख्या अपेक्षित है । इसकी संस्तुति प्राप्त होने पर स्थल चयन का अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

ग्राम्य पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर से राशन कार्ड जारी कराने की मांग

*20–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड सहायक विकास अधि0 (पंचायत) तथा क्षेत्र विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से बनाये जाते हैं? क्या यह सही है कि इससे ग्रामवासियों को राशन कार्ड मिलने में विलम्ब तथा असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को समाप्त कर ग्राम्य पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर से राशन कार्ड जारी कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी प्राधिकृत है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड प्राप्त करने में कठिनाई की बात प्रकाश में आई है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में सरकार कार्यवाही कर रही है ।

अतारांकित प्रश्न

मेसर्स ओरियन्टल कार्बन, साउथ आफ जी0 टी0 रोड इन्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाने से खतरा एवं इसे बन्द करने की मांग

1–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स ओरियन्टल कार्बन, साउथ आफ जी0 टी0 रोड इन्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाने से नगर के प्रभावित क्षेत्र दौलतपुर, लोहारपुरा, अम्बेडकर नगर, कोटगांव, आर्यनगर व ग्राम-डंडाहेड़ा, चिपियाना आदि में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसकी जांच कराने व जांच के दौरान संस्थान को बन्द कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं । उद्योग द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संयंत्रों की स्थापना कर ली गयी है । अतः उद्योग के विरुद्ध जांच करने व जांच के दौरान संस्थान को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दस्तकारों के सर्वांगीण विकास हेतु केरल आर्टीजन डेवलपमेंट कारपोरेशन की भांति उ0 प्र0 शिल्पकार विकास निगम बनाने का प्रस्ताव

2–श्री साहब सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दस्तकारों के सर्वांगीण विकास हेतु केरल आर्टीजन डेवलपमेंट कारपोरेशन की भांति उ0 प्र0 शिल्पकार विकास निगम बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है । इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः रूपरेखा स्पष्ट किया जाना सम्भव नहीं है ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निदेशक डा0 बी0 बी0 सेठी को जारी नियुक्ति पत्र

3–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के तत्कालीन निदेशक डा0 बी0 बी0 सेठी को जारी नियुक्ति पत्र संख्या-270/पी0 एस0 एम0 एस0/86, दिनांक 16-5-1986 में शासन द्वारा असामान्य, अवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से जारी किया गया है जिसमें परिवीक्षावधि असंतोषजनक होने एवं सेवा कार्य दोषपूर्ण होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही/सेवा मुक्त किये जाने की शर्तें उल्लिखित नहीं हैं ? यदि हां, तो इस नियुक्ति पत्र को जारी किये जाने का क्या आधार था और उसके लिए कौन-कौन दोषी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर डा0 लक्ष्मण सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा को कार्य मुक्त किये जाने की मांग

4–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासन के आदेश सं0-1114/सेक-3/पांच-5-(44)/89, दिनांक 28-2-90 द्वारा गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर डा0 लक्ष्मण सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद गोण्डा को संयुक्त निदेशक के पद पर महा निदेशालय, लखनऊ में स्थानान्तरित करके एक सप्ताह में कार्यमुक्त होने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या शासन के आदेश का अनुपालन निर्धारित समय में हो गया ? यदि

नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

शासनादेश संख्या 1114 संक-3/पांच-5(44)/89, दिनांक 28-2-1990 द्वारा प्रशासनिक आधार पर डा0 लक्ष्मण सिंह मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा का स्थानान्तरण स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर किया गया था किन्तु उक्त शासनादेश में उन्हें एक सप्ताह में कार्यमुक्त होने के आदेश नहीं दिये गये थे ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के पद पर प्रतिस्थानी की नियुक्ति दिनांक 1-6-90 को कर दी गयी है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसपुर गोण्डा की स्वा0 निरीक्षिका का स्थानान्तरण

5–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम गुरुवार हेतु श्री केदार नाथ सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–31 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुशीला देवी, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर (पूरे तिवारी), जनपद गोण्डा का स्थानान्तरण जनपद से बाहर कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं ।

श्रीमती सुशीला देवी का स्थानान्तरण दिनांक 26-5-90 को जनपद के बाहर कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

दोहरी घाट लिफ्ट योजना तथा सैदपुर गाजीपुर एवं जमानिया गाजीपुर पम्पनहर को सींच क्षमता के मुताबिक चलाया जाना

6–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट लिफ्ट योजना तथा सैदपुर गाजीपुर एवं जमानिया गाजीपुर अपनी क्षमता के मुताबिक सन् 1988-89 में नहीं चली है और इनकी माईनरों को भी पूर्ण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच करायेगी और सैदपुर लिफ्ट की सभी नहरों एवं माइनरों को पूरा करायेगी?

श्री रेवती रमण सिंह–

दोहरी घाट पम्प नहर वर्ष 88-89 में खरीफ की फसल हेतु पूरी क्षमता से चली है। अक्तूबर, 88 से दिसम्बर, 88 तक रबी की सींच के समय पूरी क्षमता से नहीं चल पायी क्योंकि घाघरा नदी पम्प हाउस से दूर हट गई थी और चैनल जो पानी लाने हेतु नदी के अन्दर बनाई गई थी, वह वर्षा ऋतु में बालू से पट गई थी, इस कारण पम्पों को पानी नहीं मिल पा रहा था। पानी लाने वाली चैनल को खोदकर पानी समीप लाया गया तथा जनवरी, 89 से नहर को पूरी क्षमता से चला दिया गया। इस प्रणाली की समस्त नहरें द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूर्व ही निर्मित की जा चुकी है ।

देवकली पम्प नहर तथा जमानिया पम्प नहर की क्षमता वृद्धि परियोजनायें निर्माणाधीन है सैदपुर पम्प नहर को ही देवकली पम्प नहर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रणालियां वर्ष 88-89 में वर्तमान क्षमता के अनुसार कृषकों के मांग के अनुरूप चलाई गई।

देवकली पम्प नहर के क्षमता वृद्धि के अन्तर्गत 608 कि0 मी0 नहरों के निर्माण का प्राविधान है। इसके विरुद्ध वर्ष 88-89 तक 533 कि0 मी0 नहरें निर्मित हो चुकी थी। 25 कि0 मी0 नहरों का निर्माण वर्ष 89-90 में किया गया।

शेष 50 कि0 मी0 का निर्माण चालू वर्ष 1999-91 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

जमानिया पम्प नहर की क्षमता वृद्धि के अन्तर्गत 414 कि0 मी0 नहरों का निर्माण प्रस्तावित है इसके विरुद्ध वर्ष 88-89 तक 362 कि0 मी0 तक नहरों का निर्माण हो चुका था। मात्र 5 कि0 मी0 नहरें वर्ष 89-90 में निर्मित कराई गई। शेष 47 कि0 मी0 लम्बाई की माइनरें गंगा नदी के फ्लड प्लेन में पड़ती है। इनके बारे में विचार किया जा रहा है कि इनको बनाया जाय या न बनाया जाय।

जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निर्माण कार्य धन उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम बनाकर कराया जा रहा है।

जनपद ललितपुर के ब्लाक बार के ग्राम बलेदा डांग की सिंचाई हेतु शहजाद नदी से लिफ्ट कैनाल बनाने की मांग

7—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ब्लाक बार के ग्राम बलेदा डांग की सिंचाई हेतु शहजाद नदी से लिफ्ट कैनाल बनाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शहजाद बांध का पानी नहरों में सिंचाई हेतु चलाया जाता है इस ग्राम के समीप बांध के नीचे शहजाद नदी में जल उपलब्ध नगण्य है। अतः लिफ्ट नहर बनाया जाना संभव नहीं है ।

निदेशक, आयुर्वेद के अधीन अपर निदेशक शिक्षा के पद पर नियमित नियुक्ति की मांग

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, आयुर्वेद के अधीन अपर निदेशक शिक्षा का पद कब से रिक्त है? इस पर नियमित नियुक्ति कब तक हो जायेगी?

श्री मुख्तार अनीस—

अपर निदेशक शिक्षा का पद दिनांक 1-9-88 से 1-3-89 तक रिक्त रहा ?

दिनांक 2-3-89 से इस पद के समक्ष डा0 शिव राज सिंह कार्यरत हैं जो निदेशक का कार्य भी देख रहे हैं । इस पद पर शीघ्र नियमित नियुक्ति करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद आजमगढ़ के हरैया एवं बिलरियागंज विकास खण्ड में राजकीय नलकूपों की संख्या संबंधित कर्मचारियों का वेतन एवं नलकूपों के रखरखाव पर व्यय धनराशि का विवरण

9—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—2 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संदर्भित विकास खण्ड के राजकीय नलकूपों की सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु 31 मार्च, 1990 तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

संदर्भित विकास खण्ड बिलरियागंज में प्रत्येक राजकीय नलकूप की सिंचन क्षमता 100 हेक्टेयर है जिसमें वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया ।

उ0 प्र0 सचिवालय के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरित कर समुचित दण्ड देने की मांग

10—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वच्छ प्रशासन एवं जनहित में गत 2 मार्च, 90 को होम्योपैथी निदेशालय से संबद्ध तथा उ0 प्र0 सचिवालय के "होम्योपैथिक" चिकित्साधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर जांच कराये जाने का आदेश पारित किया गया था ? क्या सरकार उक्त संदर्भित आदेश का तत्काल क्रियान्वयन करायेगी और उसमें विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित दण्ड देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस—

दिनांक 2 मार्च, 90 को उक्त चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण व जांच के आदेश हुए थे । उक्त तीनों चिकित्सा अधिकारी सम्प्रति स्थानान्तरित किए जा चुके हैं व शिकायती पत्रों पर जांच जारी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत अंश कालिक चिकित्सक एवं उनको नियमित करने की मांग

11—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कितने राजकीय चिकित्सालयों में वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक अंशकालिक चिकित्सक सेवारत हैं? क्या उनके नियमितीकरण पर शासन कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक 75 राजकीय चिकित्सालयों में कुल 75 अंशकालिक चिकित्सक सेवा रत हैं ।

अंशकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति राजकीय सेवकों की परिभाषा में नहीं आती है अतः उनके विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया इलाहाबाद में डिमान्स्ट्रेटर के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर श्री सत्यनारायण सिंह की नियुक्ति

12—श्री बाबू लाल सरोज—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, इलाहाबाद में डिमान्स्ट्रेटर (रस शास्त्र एवं भेषज्य कला) के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर श्री सत्य नारायण सिंह की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या श्री सत्य नारायण सिंह की नियुक्ति अनुसूचित जाति के हैं ? यदि नहीं, तो यह नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गयी है और उसके लिए दोषी कौन है?

श्री मुख्तार अनीस—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया (इलाहाबाद) में रस शास्त्र विषय पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नियुक्त न होने के कारण वहां पर डिमास्ट्रेटर, रस शास्त्र के रिक्त पद पर शैक्षणिक हित में श्री सत्य नारायण सिंह की नियुक्ति की गयी है जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं । विभाग में डिमान्स्ट्रेटर के 7 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं जो सभी रिक्त हैं ।

8 कि0 मी0 की परिधि में राशन ढुलाने हेतु वांछित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने की मांग

13—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि राशन गोदामों से 8 कि0 मी0 की परिधि में माल ढुलान हेतु कोई व्यय नहीं दिया जाता है जबकि इस परिध में मजदूरों से राशन ढुलान कराया जाना अधिक खर्चीला होता है ? क्या सरकार 8 कि0 मी0 की परिधि में राशन ढुलान हेतु वांछित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

राशन गोदामों से 8 कि0 मी0 की परिधि में खाद्यान्न के ढुलान, लदाई, उतराई, परिवहन आदि पर निहित व्यय उचित दर के दुकानदारों को मिलने वाले लाभांश में ही सम्मिलित रहता है ।

उक्त स्थिति में 8 कि0 मी0 की परिधि में राशन ढुलान पर व्यय की अलग से स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है ।

भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मेंहदावल, बस्ती से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

14—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-12-89,

10-1-90, 2-3-90 जो एक भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मेंहदावल, बस्ती से संबंधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां । दिनांक 22-12-89 का नहीं वरन् दिनांक 18-12-89 का पत्र तथा दिनांक 2-3-90 का पत्र प्राप्त हुआ है तथा दिनांक 10-1-90 का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

पत्रों के प्राप्त होने के पूर्व ही न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी शाखा के खारी नदी पर ग्राम दौलताबाद के पास एक्यूडेक्ट की मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने की मांग

15–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी शाखा के मील नं0–19 से 22 तक खारी नदी पर ग्राम दौलताबाद के पास बना एक्यूडक्ट जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान एक्यूडेक्ट की मरम्मत सिंचाई विभाग शीघ्र करायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां, जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी शाखा के मील 20-2-280 पर खार नदी पर बना एक्यूडेक्ट जो ग्राम दौलताबाद के पास स्थित है, जर्जर अवस्था में है ।

जी हां, मरम्मत के कार्य को कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में नहरों की सफाई व उन पर खर्च की गई धनराशि

16–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में वर्ष मार्च, 1985 से 30 नवम्बर, 1989 तक किन-किन नहरों की सफाई की गई है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

श्री रेवती रमण सिंह–

बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र कानपुर देहात की नहरों की सफाई कराने एवं उन पर व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 157–158 पर)

भवन संख्या 2/45 विजय खण्ड गोमती नगर लखनऊ के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की जांच की मांग

17–श्री एदल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन संख्या–2/45 विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ सिंचाई विभाग के किसी अधिशासी अभियन्ता का भवन है ? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा किन स्रोतों

से लगभग 15 लाख रुपये का भवन तथा कई लाख रुपये का साज-सज्जा का सामान जुटाया गया है? क्या सरकार दोष सिद्ध होने की दशा में उक्त अधिशासी अभियन्ता को दण्डित करने पर विचार करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों का बकाया वेतन

18–श्रीमती सिया दुलारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों का वर्ष 85-86 व 86-87 का वेतन रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जनपद सीतापुर के किसी भी एलोपैथिक चिकित्साधिकारी का वर्ष 85-86 में वेतन नहीं रोका गया । वर्ष 86-87 में डा0 महेन्द्र प्रताप, तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवधाना जनपद सीतापुर का माह नवम्बर 1986 व माह दिसम्बर 1986 का वेतन तत्कालीन उप मुख्य चिकित्साधिकारी (चतुर्थ) द्वारा उनके मुख्यालय पर निवास न करने एवं सरकारी कार्य में रुचि न लेने के कारण रोका गया था । नियमानुसार निर्णय लेकर यदि आवश्यक पाया गया तो भुगतान करने पर विचार किया जायेगा ।

बांदा जनपद के अन्तर्गत मुन्ता बांध का निर्माण

19–श्रीमती सिया दुलारी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अंतर्गत मुन्ता बांध कब से बनाया जा रहा है तथा इसकी प्रस्तावित लागत क्या थी और वर्तमान में कितनी लागत बढ़ गयी है ? इस बांध से कितनी भूमि का सिंचन किया जाना है ? क्या अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? क्या सरकार बांध के समय से तैयार न किये जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

बांदा जनपद के अन्तर्गत मुन्टा बांध के निर्माण का कार्य वर्ष 1975-76 से प्रारम्भ किया गया था । इस परियोजना की वर्ष 1975 में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रस्तावित लागत 185.00 लाख रुपये थी तथा वर्तमान में वर्ष 1990 के आधार पर परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु0 1,605.70 लाख रुपये है । इस परियोजना से 3,880 हे0 भूमि का सिंचन करना प्रस्तावित है। मुन्टा बांध परियोजना के निर्माण के लिए कुल 887 हे0 कृषकों की अधिग्रहीत भूमि में से 811 हे0 भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष भूमि के मुआवजे का भुगतान भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।

इस बांध का निर्माण उपलब्ध धनराशि के अनुरूप किया जाता रहा है । बांध के समय से तैयार न होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ब्लाक मऊ व राम नगर, मानिकपुर में महिला चिकित्सालय एवं चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां

20—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मऊ, रामनगर और मानिकपुर जनपद बांदा में कितने महिला चिकित्सालय हैं और क्या उनमें स्वीकृत संख्या के बराबर चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद बांदा के ब्लाक मऊ व रामनगर में एक-एक महिला चिकित्सालय स्थापित है। ब्लाक मानिकपुर में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है । ब्लाक मऊ के महिला चिकित्सालय में एक अंशकालिक महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत है । रामनगर महिला चिकित्सालय में स्वीकृत महिला चिकित्साधिकारी का एक पद प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी के कारण रिक्त चल रहा है । नियुक्तियों की कार्यवाई प्रगति पर है और प्रश्नगत रिक्त पद यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बलिया ब्लाक सीयर में नाला फरही पर पुल निर्माण संबंधी पत्र एवं कार्यवाही

21—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सीयर जनपद बलिया के अंतर्गत बहने वाले नाले फरही पर पुल निर्माण संबंधी पत्र दिनांक 5 फरवरी पत्रांक-सी0 एम0 (वि0 कं0)/एम-1 वि0/117-44/9, सचिव सिंचाई विभाग को भेजा गया है, उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार फरही नाले पर ग्राम कुरुहा रशीदपुर के पास पुल की मांग की गई है । मांग स्थल से लगभग 1.00 किमी0 नीचे पुल पहले से ही निर्मित है एवं ग्रामीणों को इसे पार करने की सुविधा उपलब्ध है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जिला देवरिया में ग्राम सभा कैथवलिया में नदी के कटान को रोकने के संबंध में श्री रामायण राव का पत्र एवं कार्यवाही

22—श्री राम छबीला—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा-कैथवली जिला-देवरिया में नदी के कटान को रोकने के संबंध में श्री रामायण राव का पत्र दिनांक 16-1-90 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

ग्राम कैथवलिया में कटान रोकने के संबंध में श्री रामायण रा० . पत्र दिनांक 16-1-90 नहीं बल्कि दिनांक 6-1-90 का पत्र मा0 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-3-90 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है ।

कैथवलिया ग्राम छोटी गण्डक नदी की दायीं ओर चार टोलों में बसा हुआ है । मुख्य गांव एवं अन्य दो टोले नदी से काफी दूर हैं और वहां कोई कटान नहीं हो रहा है । सववट टोला नदी के पास है तथा वहां नदी कटान कर रही है । उस कटान को रोकने हेतु मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को जिलाधिकारी, देवरिया से सम्पर्क स्थापित कर समुचित कार्यवाही करने हेतु पत्र भेज दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिविल अस्पताल लखनऊ में सृजित प्रमुख अधीक्षक के पद पर डा0 ओ0 पी0 सिंहल की तैनाती

23–श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल लखनऊ में प्रमुख अधीक्षक का पद कब से सृजित है ? क्या यह सही है कि उक्त पद, उक्त अस्पताल के लिए नहीं वरन कानपुर के उर्सला अस्पताल के लिए सृजित है और उसे वर्ष 1989 में उर्सला अस्पताल कानपुर को वापस कर दिया गया है ? यदि हां, तो सिविल अस्पताल लखनऊ में डा0 ओ0 पी0 सिंहल प्रमुख अधीक्षक के पद पर कैसे कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं । सिविल अस्पताल लखनऊ में प्रमुख अधीक्षक का पद सृजित नहीं है । अपर निदेशक के वेतनमान में प्रमुख अधीक्षक का एक पद सृजित किया गया था, जिसे शासन ने सिविल अस्पताल, लखनऊ के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89 में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था जिस पर डा0 ओ0 पी0 सिंघल की तैनाती की गई । यह आदेश शासन द्वारा जनहित में पारित किये गये इसमें किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है तथा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा जनपद झांसी में लोहचरा बांध, पथराई बांध एवं सीजर बांध हेतु परियोजनाएं शासन को प्रस्तुत किये जाने की मांग

24–श्री रवीन्द्र शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा जनपद झांसी में लोहचरा बांध, पथराई बांध एवं सीजर बांध हेतु क्रमशः 700, 500 एवं 407 लाख रुपये की परियोजनाएं शासन को प्रस्तुत की गई थीं ? यदि हां, तो क्या आठवीं योजना में बुन्देलखण्ड की सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु उक्त परियोजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 90-91 हेतु कितना परिव्यय इन परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित किया गया है ?

श्री रेवती रमण सिंह-

जी हां ।

लेहचरा बांध परियोजना का अष्टम योजना में प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 90-91 में इस परियोजना पर रुपये 10.00 लाख का प्राविधान है। सीतार बांध परियोजना को अष्टम योजना में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 90-91 में इस परियोजना हेतु कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । पथराई बांध योजना अष्टम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है वित्तीय वर्ष 90-91 हेतु इस योजना पर 75 लाख रु0 का परिव्यय निर्धारित है ।

सिंचाई विभाग में रिक्त अधीक्षण अभियन्ताओं के पद एवं इन पदों पर प्रोन्नति हेतु कार्यवाही

25-श्री साहब सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंताओं के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें कुल कितने पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों पर प्रोन्नति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह-

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के 128 पद तथा अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के 32 पद स्वीकृत हैं ।

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 6 पद दिसम्बर, 1989 से तथा एक पद जनवरी, 1990 से रिक्त हैं, जिन्हें नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा गया है । इसके अतिरिक्त फरवरी, 1990 में एक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तथा अप्रैल, 1990 में एक अधिकारी के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप कुल 2 अनारक्षित रिक्तियां उपलब्ध हुयी हैं । इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के कुल 9 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनमें से 7 पद आरक्षित हैं अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के 3 पद क्रमशः अप्रैल, मई एवं जून, 1988 से तथा 2 पद माह अप्रैल एवं दिसम्बर, 1989 से रिक्त चल रहे हैं । इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के कुल 5 पद रिक्त हैं, जो नियमानुसार अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रक्खे गये हैं ।

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक) के क्रमशः 7 तथा 5 पद अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल रिक्त रक्खे गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिक संख्या-3720/90 में पारित किये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 17-4-90 को दृष्टिगत करते हुए अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के शेष रिक्त पदों पर भी प्रोन्नतियां करने के लिये इस समय चयन कराया जाना सम्भव नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 में सिंचाई विभाग के लिए स्वीकृत अनुदान का व्यय किया जाना

26-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए अनुदान संख्या-77 सिंचाई के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा स्वीकृत धनराशि

क्रमशः 3 अरब 58 करोड़ 38 लाख 46 हजार व 4 अरब 36 लाख 98 हजार रुपये का सम्पूर्ण व्यय 31 मार्च, 1989 तक कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री रेवती रमण सिंह–

प्रश्नगत वित्तीय आंकड़े बजट के मूल प्राविधान पर आधारित हैं एवं उसमें भारित मद भी सम्मिलित है । अनुदान संख्या–77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत मूल आय व्ययक में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है । भारित मद पर व्यय आवश्यकतानुसार होता है एवं वर्ष 1988–89 में मूल आय व्ययक में 1,62,84 हजार रुपये के प्राविधान के विरुद्ध 1,61,81 हजार रुपये का व्यय हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में चिकित्सकों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत चिकित्सक

27–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि स्वीकृत पदों से अधिक चिकित्सक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में कुल 62 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 80 चिकित्सक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

बलरामपुर चिकित्सालय प्रदेश का प्रमुख सन्दर्भ चिकित्सालय है जहां पर 650 शैय्यायें हैं।

संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से कार्य अधिक होने के कारण स्वीकृत पदों से अधिक चिकित्सक कार्यरत हैं।

शारदा सहायक की मड़ियाहूं ब्रांच पर अधिकारियों की लापरवाही से क्षतिग्रस्त साइफन

28–श्री नजमुद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की मड़ियाहूं ब्रांच के किलोमीटर 14.825 पर साइफन अधिकारियों की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों से क्षतिग्रस्त साइफन की लागत वसूल कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में ग्राम लोहार पुर के समीप स्थित चन्नाताल में भूमि को जलमग्न होने से बचाने हेतु कार्यवाही

29—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में ग्राम-लोहारपुर के समीप स्थित चन्नाताल में पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण 500 बीघे से भी अधिक भूमि जल मग्न रहती है ? क्या सरकार छोटे काश्तकारों की उक्त भूमि को डूबने से बचाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम लोहारपुर के समीप लगभग 70 एकड़ (112 बीघा) में चन्नाताल है जिसमें कृषक कृषि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । वर्षा ऋतु में ताल में पानी भरने से लगभग 130 एकड़ (208 बीघा) अतिरिक्त क्षेत्र जल मग्न हो जाता है, जिसका पानी नवम्बर के अंत तक सूख पाता है जिसमें कहीं-कहीं रबी की फसल बोने में कुछ विलम्ब हो जाता है ।

इस छोटे से क्षेत्र के लिए जल निकासी की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम देव चन्द्रपुर व बदौली अदाई के मध्य खेती योग्य भूमि को जल भराव से बचाने की व्यवस्था

30—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम-देवचन्द्रपुर व बदौली अदाई के मध्य लगभग 500 बीघा से अधिक भूमि जल भराव के कारण खेती योग्य नहीं रह गयी है ? क्या सरकार नाला अथवा ड्रेन खुदवाकर वहां पानी निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम देवचन्द्रपुर व बदौली अदाई के मध्य में लगभग 12 एकड़ (19.2 बीघा) क्षेत्र में ताल है जिसमें कृषि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । वर्षा ऋतु में ताल में पानी भरने से लगभग 18 एकड़ (28.8 बीघा) अतिरिक्त क्षेत्र जलमग्न हो जाता है जिसका पानी माह नवम्बर के अंत तक सूख पाता है, जिसके कारण 18 एकड़ क्षेत्र में रबी की फसल में कहीं-कहीं कुछ बिलम्ब हो जाता है ।

इस छोटे से क्षेत्र के लिए ड्रेन खुदवाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है क्योंकि केवल 18 एकड़ क्षेत्र जल मग्न हो जाता है जो माह नवम्बर के अंत में सूख जाता है जिसमें रबी की फसल में कहीं-कहीं कुछ विलम्ब हो जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के मौजा अल्लापुर में विश्व बैंक की सहायता से लगे खराब पड़े राजकीय नलकूपों को चालू किये जाने की मांग

31—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजीपुर के मौजा आलापुर में विश्व बैंक का महानलकूप नं0-231 वाई0 जी0 एक साल से भी अधिक अवधि से खराब पड़ा है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसी मौजे में स्थित राजकीय नलकूप सं0-164-वाई0 जी0 पर विगत 2 साल से स्टार्टर व कटआउट की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो नलकूप को कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं, विश्व बैंक नलकूप संख्या 231 वाई0 जी0 दिनांक 4-5-89 से 2-12-89 तक ट्रांसफार्मर जलने के कारण बन्द रहा ।

जी नहीं, राजकीय नलकूप संख्या 164 वाई0 जी0 पर कट आउट लगा है तथा स्टार्टर लगा दिया गया है यह नलकूप दिनांक 3-10-89 से 31-10-89 तक मोटर व स्टार्टर दोष तथा दिनांक 13-12-89 से 19-12-89 तक यांत्रिक दोष से बंद था ।

नलकूप चालू है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की गांव सभा वीरपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की जनसंख्या के अनुपात में व्यवस्था करने की मांग

32—श्री अफजाल अंसारी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की गांव सभा वीरपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की कुल कितनी दुकानें हैं? क्या यह सही है कि जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें बहुत कम हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त दुकानों की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की गांव सभा वीरपुर में कार्यरत तीन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में से एक दुकान निलम्बित होने के कारण इस समय केवल दो दुकानें कार्यरत हैं।

जनसंख्या के अनुपात में उक्त गांव सभा में एक दुकान कम है ।

इस गांव सभा में एक अतिरिक्त दुकान खोलने के लिए गांव सभा से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

शारदा खण्ड हरदोई की तेरिया माइनर के टेल को ग्राम रामापुर तक बढ़ाने के लिए किया गया फर्जी भुगतान

33—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा खण्ड हरदोई को वर्ष 83 या 84 में तेरिया माइनर के टेल को ग्राम रामापुर तक बढ़ाने के लिए डी0 आर0 डी0 ए0 ने 25 हजार रुपए दिए थे? क्या यह सच है कि यह रुपया उस माइनर पर न खर्च करके

उसका फर्जी भुगतान कर लिया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? इस माइनर पर कब से कार्य शुरू हो जायेगा?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं, अभिलेखों के अनुसार वर्ष '83 या 84 में तौरिया माइनर की टेल को ग्राम रामापुर तक बढ़ाने के लिए डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जी नहीं ।

चूंकि यह कार्य डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा अनुमोदित नहीं है और न ही धन उपलब्ध कराया गया है। अतः इस पर कार्य प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

धान क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने व सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीद किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

34–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-1-90 जो धान क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने व सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीद किए जाने विषयक है, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्रोल्लिखित मामले में अपेक्षित कार्यवाही हुई? यदि हां, तो कब व क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

दिनांक 19 जनवरी, 1990 को भारतीय खाद्य निगम, उ0 प्र0 सहकारी संघ, उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ को धान खरीद क्रय केन्द्र खोले जाने हेतु निर्देश दे दिये गये थे।

प्राप्त सूचना के अनुसार उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ द्वारा जनजाति क्षेत्र चन्दन चौकी (खीरी) में क्रय केन्द्र खोला गया था तथा नवम्बर व दिसम्बर, 1989 में कुल 675.90 कु0 धान की खरीद की गयी।

बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक हो जाने पर 22-2-90 से उक्त क्रय केन्द्र बन्द कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर स्वरूप शर्मा, संगणक, द्वादशम् मण्डल सि0 का0 (सिंचाई कार्य) लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र की जांच

35–श्री रवीन्द्र शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर स्वरूप शर्मा, संगणक, द्वादशम् मण्डल, सि0 का0 (सिंचाई कार्य) लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 1990 सचिव, सिंचाई को सतर्कता विभाग से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर बिन्दुवार आख्या क्या है? क्या उक्त गम्भीर शिकायतों की जांच निष्पक्ष कराने हेतु संगणक को निलम्बित कर जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, द्वारा श्री पी0 एस0 मित्तल, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (परिकल्प एवं शोध) को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

झांसी जिले के पूर्व सी0 एम0 ओ0 डा0 ए0 सी0 राय द्वारा बनाये गये जाली ड्रग लाइसेंसों की जांच

36–श्री रवीन्द्र शुक्ला–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के पूर्व सी0 एम0 ओ0 डा0 ए0 सी0 राय द्वारा अपने कार्यकाल में बनाए गए जाली ड्रग लाइसेंसों के मामलों की जांच निदेशक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो उस जांच का अब तक क्या निष्कर्ष निकला है?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के आजमगढ़ विकास खण्ड में राजकीय नलकूपों की सिंचन क्षमता

37–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित विकास खण्ड के राजकीय नलकूपों की सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु 31 मार्च, 1990 तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह–

संदर्भित विकास खण्ड अजमतगढ़ के प्रत्येक राजकीय नलकूप की सिंचन क्षमता 100 हेक्टेयर है जिसके वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया ।

सिंचाई विभाग में प्रारूपकारों, अनुरेखकों को केन्द्र के समान वेतन देने की मांग

38–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार 470 रुपया प्रतिमाह वेतनमान संवर्ग के सभी कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान वृद्धि दी जा रही है ? यदि हां, तो प्रारूपकारों, अनुरेखकों को केन्द्र के समान वेतन न दिए जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

रुपया 470 प्रतिमाह का कोई वेतनमान संवर्ग नहीं है । अतः केन्द्र से समानता का प्रश्न नहीं उठता है ।

पुराने वेतनमान रु0 470-735 में कार्यरत प्रारूपकार (अर्ह) को मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गये निर्णयानुसार रु0 1200-2040 का प्रारम्भिक वेतनमान तथा रु0 1200-2040 या समकक्ष वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर रु0 1400-2300 का उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है ।

रु0 354-550 के पुराने वेतनमान में कार्यरत प्रारूपकार (अनर्ह) को रु0 950-1500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है । केन्द्र में प्रारूपकार (अनर्ह) का पद विद्यमान नहीं है । रु0 330-495 के पुराने वेतनमान में कार्यरत अनुरेखकों को रु0 825-1200 तथा रु0 354-550 के पुराने वेतनमान में कार्यरत आई0 टी0 आई0 पास अनुरेखकों को रु0 950-1500 का नया वेतनमान समता समिति की संस्तुति पर शासकीय संकल्प दिनांक 19-5-89 में लिए गए निर्णयानुसार स्वीकृत किया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया है कि ट्रेसर (अनुरेखक) के पद पर स्वीकृत वेतनमान (1) रु0 825-1200 तथा (2) 950-1500 के स्थान पर यदि ट्रेसर संवर्ग को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है या घोषित किया जाता है तो रु0 950-1500 का वेतनमान अनुमन्य होगा । सिंचाई विभाग में अभी ट्रेसर संवर्ग को डाइंग कैडर घोषित नहीं किया गया है । अतः सामान्य रूप से रु0 950-1500 का वेतनमान अनुमन्य नहीं कराया गया है ।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का स्थायीकरण किये जाने की मांग

39—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का स्थायीकरण किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अन्य निगमों की भांति इसका स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है । अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत इसके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

40—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का औचित्य

41—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव को दस अति0 वेतन वृद्धि देकर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव की नियुक्ति रु0 690-1420 के वेतनमान में की गयी थी । चूंकि श्री श्रीवास्तव मे0 अपट्रान इण्डिया लि0 में रु0 970 मूल वेतन पा रहे थे, अतएव वही वेतन उन्हें कल्याण निगम में अनुमन्य किया गया ।

सुश्री नीलम के शिकायती पत्र पर गोरखपुर मेडिकल के पीडियाट्रिक विभाग के डा0 वी0 एन0 त्रिपाठी, प्रवक्ता के विरुद्ध कथित जांच

42–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सुश्री नीलम की शिकायती पत्र पर गोरखपुर मेडिकल कालेज के पीडियाट्रिक विभाग के डा0 वी0 एन0 त्रिपाठी, प्रवक्ता के विरुद्ध वर्ष 1988 में कोई विभागीय/न्यायिक जांच शुरू की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर कौन-कौन से आरोप लगाए गए थे ? क्या उक्त विभागीय/न्यायिक जांच में उनको दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध शासन द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

इन्द्रानगर लखनऊ के निकट ग्राम फरीदी नगर, निजामुद्दीनपुर, चांदन, खड़कपुर, सुगामऊ आदि गांवों में नगरीय राशनिंग व्यवस्था

43–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि इन्द्रानगर लखनऊ के निकट के ग्राम फरीदीनगर, निजामुद्दीनपुर, चांदन, खड़कपुर, सुगामऊ आदि गांव जो काफी दिनों से नगर सीमा के अन्तर्गत है किन्तु अभी तक नगरीय राशनिंग व्यवस्था लागू नहीं की गयी है ? क्या मा0 मंत्री जी उक्त गांवों में राशन कार्ड बनाए जाने एवं सस्ते गल्ले की दूकानें खोले जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत गांवों में नगरीय राशन कार्ड बनाये जाने एवं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोले जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

ललितपुर जनपद के महरौनी मुख्यालय के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को चालू किये जाने की मांग

44–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के महरौनी मुख्यालय का उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनकर तैयार हुए 2 वर्ष से अधिक हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को अभी तक क्यों चालू नहीं किया गया ? यह कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

विशेषज्ञ सेवाओं की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण अब तक चालू नहीं किया जा सका । अब यथाशीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है ।

ब्लाक सादात जनपद गाजीपुर में खरारी ड्रेन पर बना साईफन एवं गलत निर्माण करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही

45–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि ब्लाक सादात जनपद गाजीपुर में खरारी ड्रेन पर देवकली पम्प कैनाल गाजीपुर की मुख्य शाखा का तीन खाने का साईफन बना हुआ है? साईफन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर साईफन बनाने का उद्देश्य बरसात का पानी, ताल का पानी या ड्रेन का पानी निकालने का था तो क्या पानी सारे क्षेत्र का निकाला जाता है या नहीं? क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि उक्त साइफन से ड्रेन का तल नीचा है जिससे पानी का निकास नहीं हो पाता है? यदि हां, तो ऐसा निर्माण किस अधिकारी के द्वारा कराया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

जी हां, जनपद गाजीपुर में खरारी ड्रेन पर देवकली पम्प कैनाल (मुख्य नहर) का चार खाने का साइफन बना है, तीन खाने का नहीं । साइफन बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में खरारी ताल की जल निकासी है । ड्रेनों के निर्माण के गाइड लाइन के अनुसार किसी भी ड्रेन द्वारा किसी ताल के सबसे निचले स्तर तक का पानी नहीं निकाला जाता है । इस प्रकार ड्रेन द्वारा ताल के सारे क्षेत्र का पानी नहीं निकाला जाता । जी नहीं, साइफन का तल ड्रेन के तल से .020 मीटर नीचा है जो कि ताल के सबसे नीचे तल से .40 मीटर ऊंचा है । जैसा कि ऊपर उत्तर दिया जा चुका है कि गाइड लाइन के अनुसार ताल के सारे क्षेत्र का पानी नहीं निकाला जाता । निर्माण ड्रेन की गाइड लाइन के अनुसार किया गया है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर कनहर योजना पर हुआ व्यय विवरण एवं पूर्ण होने की अवधि

46–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्हर योजना मिर्जापुर पर अब तक कितने करोड़ रुपया खर्च किया गया है और यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी? क्या यह सही है कि समय से योजना पूर्ण न हो पाने के कारण इस्टीमेट करोड़ों रुपया बढ़ गया है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री रेवती रमण सिंह–

कनहर सिंचाई परियोजना पर मार्च, 90 तक 32 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर वर्ष 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधन होने से धनाभाव व मूल्यों में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत बढ़ी है । इस सम्बन्ध में कोई जांच की आवश्यकता नहीं है ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा कार्यालय लिपिक श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी के सम्बन्ध में श्रीमती राजमनी पत्नी राम प्रसाद वाटरमैन, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चित्रकूट जनपद बांदा के पत्र के साथ प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

47—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-3-90 का पत्र श्रीमती राजमनी पत्नी राम प्रसाद जाति कहार वाटर मैन, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चित्रकूट जनपद बांदा के पत्र के साथ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बांदा तथा इनके कार्यालय के लिपिक श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो श्रीमती राजमनी एवं उसके पति श्री राम प्रसाद के बयान क्या हैं क्या शासन स्तर के किस उच्च अधिकारी ने मामले की जांच की एवं दोषी अधिकारी तथा लिपिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । जिलाधिकारी बांदा की जांच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगर पालिका देवरिया के वार्ड-5 में अली अहमद दुकानदार को माहवार चीनी आवंटन का विवरण

48—श्री हरवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे नगरपालिका देवरिया के वार्ड-5 में अली अहमद दुकानदार को माह दिसम्बर 89 में 197 कुन्तल चीनी किस आधार पर आवंटित की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उक्त दुकान को अक्टूबर 1989 से मार्च 1990 तक माहवारी कितना चीनी आवंटित की गयी? हर महीने चीनी की मात्रा बढ़ने का क्या कारण है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उदय नारायण लाल श्रीवास्तव, जूनियर इन्जीनियर गण्डक-5 देवरिया से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

49—श्री हरवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उदय नारायण लाल श्रीवास्तव, जूनियर इन्जीनियर गण्डक-5 देवरिया से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-2-90 व 2-3-90 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । दिनांक 8-2-90 का पत्र प्राप्त हुआ है जो कि माननीय विधायक श्री सुरेश यादव का है एवं जिस पर प्रश्नकर्ता के भी हस्ताक्षर हैं । दिनांक 2-3-90 का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । श्री उदय नारायण लाल अवर अभियन्ता की विभाग में जमा

एन0एस0सी0 अदायुक्त कर दी गई है तथा यात्रा भत्ता 9/83 से 8/84 तक का भुगतान कर दिया गया है । अन्य अवशेष देयकों के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय लोक सेवा अधिकरण के विचाराधीन है जिसमें निर्णय के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बागपत विधान सभा क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बसे अमीनगर सराय, मऊ बालेनी आदि गांवों में गिरते पानी के जल स्तर को रोकने हेतु झाल बनाये या उपाय किये जाने की मांग

50–श्री साहब सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बागपत विधान सभा क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बसे अमीनगर सराय, मऊ, बालेनी आदि कई गांवों में पानी के गिरते जल स्तर को रोकने हेतु नदी के बालेनी पुल पर झाल बनवायेंगे या अन्य कोई उपाय करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर देहात के ब्लाक बिल्हौर में बन्द राजकीय नलकूपों की संख्या

51–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के कितने राजकीय नलकूप वर्ष 1987 से मार्च, 1989 तक बन्द रहे? क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि प्रत्येक नलकूप ने उक्त अवधि में कितने-कितने क्यूसेक पानी दिया?

श्री रेवती रमण सिंह–

ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में कुल 31 नलकूप है । वर्ष 1987 से मार्च, 1989 तक नलकूप संख्या-15, 18, 20, 25, 26 व 29 बी0 जी0 बिफल होने के फलस्वरूप बन्द रहे । उक्त अवधि में बिल्हौर ब्लाक के प्रत्येक नलकूप का निकास क्यूसेक में व क्यूसेक घण्टों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	नलकूप सं0 व समूह		निकास क्यूसेक में	क्यूसेक घण्टे
1	1 बिल्हौर	..	0.76	2348
2	2 ,,	..	0.84	2209
3	3 ,,	..	0.96	1518
4	4 ,,	..	1.13	3829
5	5 ,,	.	0.68	2872

1	2			3	4
6	6	बिल्हौर	..	0.80	217
7	7	,,	..	0.80	138
8	8	,,	..	1.54	6230
9	9	,,	..	1.32	2929
10	10	,,	..	1.33	3233
11	11	,,	..	0.86	2457
12	12	,,	..	1.09	2161
13	13	,,	..	0.68	1776
14	14	,,	..	1.15	2273
15	15	,,	..	असफल	असफल
16	16	,,	..	1.08	1688
17	17	,,	..	1.05	3050
18	18	,,	..	असफल	असफल
19	19	,,	..	0.68	2093
20	20	,,	..	असफल	असफल
21	21	,,	..	0.54	1078
22	22	,,	..	0.68	1764
23	23	,,	..	0.94	1761
24	24	,,	..	0.56	1189
25	25	,,	.	असफल	असफल
26	26	,,	..	असफल	असफल
27	27	,,	..	1.08	2488
28	28	,,	..	1.19	3513
29	29	,,	..	असफल	असफल
30	30	,,	..	1.64	2309
31	31	,,	..	0.9	1696

ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में नलकूपों की नालियों की मरम्मत पर एवं खर्च धनराशि का विवरण

52—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में कितने नलकूपों की नालियों की मरम्मत वर्ष 1987 तक की गयी और उनमें से किस-किस नलकूप में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रेवती रमण सिंह–

जनपद कानपुर देहात के ब्लाक बिल्हौर में वित्तीय वर्ष 87 से मार्च 89 तक कुल 23 राजकीय नलकूपों की नालियों के मरम्मत का कार्य कराया गया । नलकूपवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या व समूह		खर्च की गई लगभग धनराशि
1	1	बिल्हौर	4300.00
2	2	,,	4800,00
3	3	,,	2000.00
4	4	,,	2700.00
5	5	,,	4200.00
6	6	,,	1400.00
7	7	,,	1400.00
8	8	,,	5000.00
9	9	,,	6300.00
10	10	,,	5800.00
11	11	,,	1650.00
12	12	,,	1900.00
13	13	,,	700.00
14	14	,,	1000.00
15	16	,,	1600.00
16	17	,,	1650.00
17	19	,,	3200.00
18	22	,,	3200.00
19	23	,,	700.00
20	24	,,	1000.00
21	27	,,	4313.00
22	28	,,	5561.00
23	31	,,	5200.00
		योग . .	69574.00

लखनऊ स्थित महिला डफरिन अस्पताल में लिपिकों की संख्या एवं 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण करने की मांग

53–श्री अफजाल अंसारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित महिला डफरिन अस्पताल में वर्तमान समय में कितने लिपिक कार्यरत हैं? उनमें से कितने ऐसे लिपिक हैं जो उक्त अस्पताल में 10 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? क्या सरकार शासनादेश सं0 2650/से-5/पंच-1986 दिनांक 21 अप्रैल, 1986 के अनुपालन में डफरिन अस्पताल लखनऊ के ऐसे समस्त लिपिक कर्मचारियों को जिनकी सेवा एक ही स्थान पर 10 वर्ष से अधिक है, जनपद के बाहर स्थानान्तरित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुख्तार अनीस–

इस समय कुल 7 लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं । केवल एक लिपिक 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं । प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 21-4-86 के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय लखनऊ में 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत केवल एक ही कर्मचारी श्री आर0एस0 निगम वरिष्ठ लिपिक को जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया गया है । 10 वर्ष से अधिक (15 वर्ष से कम) केवल उन्हीं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर शासन द्वारा विचार किये जाने के निर्देश उक्त शासनादेश में दिये गये हैं जिनके कार्य के बारे में नियंत्रक अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त होती रही हों, इस श्रेणी के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय लखनऊ में कोई लिपिक कर्मचारी नहीं है । अतः स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा में महिलाओं की जनसंख्या के अनुसार अस्पताल खोलने की योजना

54–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां महिला अस्पताल है ? महिलाओं की जन संख्या को देखते हुए इस निर्वाचन क्षेत्र में महिला अस्पताल खोलने हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कोई महिला अस्पताल स्थापित नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से महिला चिकित्सालय खोलने की कोई नीति नहीं है । लगभग 80,000 से 1,00,000 की ग्रामीण आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है जिसमें महिला चिकित्सक भी होती है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है । विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अंतर्गत जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । तद्नुसार जिलों में प्रश्नगत योजना हेतु परिव्यय प्राप्त होने तथा जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद मऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मण्डाव को निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई औषधियों का विवरण

55–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मण्डाव को निःशुल्क वितरण हेतु वर्ष 1989-90 में कितनी दवायें शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी थीं ? क्या जनहित को देखते हुए उसका वितरण जनता में कराया गया ?

श्री मुख्तार अनीस–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मण्डाव, जनपद मऊ में वर्ष 1989–90 में नि:शुल्क वितरण हेतु उपलब्ध करायी गई औषधियों की सूची संलग्न है ।†

जी हां, आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण जनता में कराया गया ।

श्री गुलाब चन्द्र मौर्य ग्राम बैरमपुर (रसूलपुर) की पुत्री की चिकित्सा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

56–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री गुलाब चन्द्र मौर्य ग्राम बैरमपुर (रसूलपुर) का पत्र जो उसकी पुत्री की चिकित्सा के संबंध में है, दिनांक 4-1-90 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुख्तार अनीस–

माननीय विधायक महोदय के संदर्भित पत्र की खोज की जा रही है ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण की मांग

57–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी न्याय पंचायतें ऐसी हैं जिसमें मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं हैं ? मातृ शिशु केन्द्र के निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस–

मऊ जनपद के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कोई न्याय पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें मातृ शिशु कल्याण केन्द्र न हो । वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जिन केन्द्रों के भवन निर्मित नहीं हैं, उनके निर्माण के संबंध में कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद मऊ में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना एवं स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मण्डाव को उच्चीकृत करने की मांग

58–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में कोई उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मण्डाव को उच्चीकृत प्राथ0 स्वा0 केन्द्र बनाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण जिला सेक्टर की योजना है ।

†छापी नहीं गयी।

जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध कराये जाने व जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थानों का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर मण्डाव को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का प्रस्ताव एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में नलकूप निर्माण निगम, द्वारा वि0 खं0 अमानीगंज हरिगन्टनगंज के लिए डीप बोरिंग मशीन उपलब्ध कराने की मांग

59–डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में नलकूप निर्माण निगम के पास वि0 खं0 अमानीगंज हरिगन्टनगंज में डीप बोरिंग मशीन न उपलब्ध होने की दशा में बोरिंग फेल हो गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त डीप बोरिंग मशीन शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में नलकूप निगम द्वारा विकास खण्ड अमानीगंज व हरिगन्टनगंज में कार्यरत इण्डोडच परियोजना में अनुमोदित अधिकतम गहराई 825 फीट/250 मीटर तक बोरिंग करने के बाद भी वांछित मात्रा में जल का स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण ही बोरिंग का परित्याग किया गया।

परियोजना में 250 मीटर/825 फीट तक गहरी बोरिंग का प्राविधान है। अतः अधिक गहराई की बोरिंग मशीन की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

60–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

[3रे सोम में अता0 प्र0 सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ से सम्बन्धित शारदा नहर पर कराया गया मिट्टी का कार्य, एवं फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

61–श्री सुबास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित शारदा सहायक नहर पर पिछले एक साल में मिट्टी का कार्य हुआ है ? यदि नहीं, तो उस पर वित्तीय वर्ष 1989–90 में 31 मार्च में भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो होने वाले मिट्टी के कार्य की किलोमीटर संख्या क्या है ? क्या फर्जी भुगतान कराये जाने की सरकार द्वारा जांच करायी जायेगी और उससे संबंधित भुगतान देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में चिकित्सा विभाग में स्वीपरों के पद एवं उक्त पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की की गयी नियुक्तियां

62—श्री भोला सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में चिकित्सा विभाग में स्वीपरों के कितने पद हैं ? क्या उक्त पदों पर अनुसूचित जाति के ही व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद इलाहाबाद में स्वीपरों के कुल पद 211 हैं ।

वर्ष 1989—90 में इनमें से केवल 47 पदों पर नियुक्तियां हुयी जिनमें से मात्र 14 अनुसूचित जाति के थे । मामले में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त किये जा रहे हैं ।

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष में आवंटित किया गया धन एवं इससे कराये गये कार्य

63—श्री नजमुद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया और इससे कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर कराये गये? क्या मंत्री जी उन कार्यों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई खण्ड-प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में विभिन्न लेखा-शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न धनराशियां आवंटित की गई थी:—

क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	4701 -निर्माण कार्य	29.43
2	2701--अनुरक्षण कार्य	34.50
3	2711 -बाढ़ कार्यों का अनुरक्षण	5.8 0

आवंटित धनराशि के प्रति कराये गये कार्यों का लेखा शीर्षकवार विवरण संलग्न है। प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 159—162 पर।)

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के अन्तर्गत मडियाहूं शाखा के क्षतिग्रस्त साइफन से प्रभावित काश्तकारों को नुकसान का मुआवजा दिये जाने की मांग

63-श्री नजमुद्दीन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के अन्तर्गत मडियाहूं ब्रांच के किलोमीटर 14.825 पर क्षतिग्रस्त साइफन से प्रभावित काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह-

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के अन्तर्गत मडियाहूं शाखा के कि0 मी0 14.825 पर निर्मित साइफन के क्षतिग्रस्त हो जाने से काश्तकारों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर में 10 वर्षों से अधिक सेवा वाले सहायक अभियन्ताओं को अकार्यकारी खण्डों में भेजे जाने की मांग

65-श्री अचल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर में कितने ऐसे सहायक अभियंता हैं, जिनकी सेवा 10 वर्षों से अधिक हो चुकी है और वे अकार्यकारी खण्डों में नहीं रहे हैं ? उन्हें कब तक अकार्यकारी खण्डों में भेजा जायेगा?

श्री रेवती रमण सिंह-

सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर के अधीन कुल 13 ऐसे सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं, जिनकी सेवा विभाग में 10 वर्षों से अधिक हो चुकी है।

उक्त में सभी सहायक अभियन्ता प्रतिबन्धित स्थानों में नियुक्त रह चुके हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा की तहसील किरावली में गोपऊ रजवाह की दाहिनी पटरी टूटने से ग्राम अरदाया के किसानों की फसल को नुकसान तथा उन्हें मुआवजा दिये जाने की मांग

66-श्री बदन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में गोपऊ रजवाह के मील 3 फर0 1 पर दाहिनी पटरी टूटने से ग्राम अरदाया के किसानों की लगभग दो सौ हेक्टेयर रबी फसल माह जनवरी, 1990 में नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो उन कृषकों को अभी तक मुआवजा न देने का क्या औचित्य है ?

श्री रेवती रमण सिंह-

जनपद आगरा की तहसील किरावली में गोपऊ राजबाहे के मील 3 फरलांग 1 फीट 330 पर दिनांक 31-12-89 को प्रातः दाईं पटरी टूटने से ग्राम अरदाया के किसानों को 13.115 हेक्टेयर रबी फसल का क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

उक्त पटरी के टूटने से कृषकों के प्रभावित क्षेत्र का आकलन सिंचाई विभाग द्वारा जनवरी, 1990 में किया गया था। इस संबंध में मा0 विधायक की शिकायत पर प्रभा-

वित क्षेत्र का आकलंन जिला प्रशासन द्वारा अलग से कराया गया । उक्त दोनों स्रोतों से किए गए प्रभावित क्षेत्रों के आकंलन में भिन्नता होने के कारण मुआवजे के मूल्यांकन हेतु सिंचाई एवं जिला प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 12-4-90 को सयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें 13.115 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र आकंलित किया गया । इस कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन करने में समय लगा तथा मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका ।

झांसी मेडिकल में न्यूरो सर्जन की नियुक्ति न होने के कारण सर्जरी की मशीनों का उपयोग न होना तथा न्यूरो सर्जन की मांग

67–श्री रवीन्द्र शुक्ला–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि झांसी मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जरी की लाखों रुपये की मशीनें एवं उपकरण न्यूरो सर्जन की नियुक्ति न होने के कारण जंग खा रही हैं ? यदि हां, तो न्यूरो सर्जन की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

लेक्चरर इन न्यूरो सर्जरी के अभाव में मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेक्चरार इन न्यूरो सर्जरी के पद पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में लम्बित है ।

ग्राम नौगवां ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के नागरिकों के पत्र के साथ संलग्न बागे नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

68–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया ततायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-3-90 का पत्र ग्राम नौगवां ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा के नागरिकों के पत्र के साथ बागे नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो लिफ्ट पम्प कैनाल की विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है तथा इस असिंचित क्षेत्र के लिए कब तक लिफ्ट पम्प कैनाल का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां ।

बागे नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है । अतः प्रश्नगत क्षेत्र हेतु लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के लिए बागें नदी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अलीगढ़ के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली में विकास खण्ड बिजौली के अंतर्गत ग्राम रुस्तमनगर और साकुरा के मध्य नाले पर पुल निर्माण के संबंध में ज्ञापन

69–श्री कल्याण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ में विकास खण्ड बिजौली के अन्तर्गत ग्राम रुस्तमनगर और साकुरा के मध्य गहरे

तथा चौड़े नाले पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-2-90 का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और उक्त पुल कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है । अतः उन्हें अग्रेतर कार्यवाही हेतु लिखा जा रहा है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, श्री राजवीर सिंह और श्री सत्य देव सिंह ग्राम पड़का सुल्तानपुर तथा बहरामपुर जनपद अलीगढ़ के निवासीगण आदि का राजकीय नलकूप लगवाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

70–श्री कल्यान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 28-2-90 के पत्र के साथ ही गिरीश चन्द्र शर्मा, श्री राजवीर सिंह और श्री सत्यदेव सिंह आदि निवासीगण ग्राम पड़का सुल्तानपुर तथा बहरामपुर विकास खण्ड जवा, जिला अलीगढ़ का दिनांक 28-2-90 का कोई प्रार्थना-पत्र राजकीय नलकूप लगवाने की स्वीकृत हेतु सरकार को मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? प्रार्थना-पत्र में वांछित स्थल पर राजकीय नलकूप कब तक लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय चिकित्सालय नरौना आकापुर विकास खण्ड अतरौली जनपद अलीगढ़ में चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

71–श्री कल्यान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय नरौना आकापुर विकास खण्ड अतरौली, जनपद अलीगढ़ में गत 6 वर्षों से चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर किसी चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 10-2-90 का कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? उक्त चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

राजकीय चिकित्सालय नरौना आकापुर विकास खण्ड अतरौली जनपद अलीगढ़ में चिकित्साधिकारी की तैनाती हेतु दिनांक 18 मई, 1990 को निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उ0 प्र0 को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद सीतापुर में स्वास्थ्य रक्षकों को दवा न उपलब्ध कराया जाना

72–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को वर्ष 1986 से अब तक जनपद सीतापुर में दवा नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों तथा दवा का दिया जाना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं । जनपद सीतापुर के जन स्वास्थ्य रक्षकों को वर्ष 1987–88 में भी औषधियां दी गयीं । यह औषधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं । वर्ष 87–88 के पश्चात भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के लिए औषधियां उपलब्ध नहीं करायी हैं । भारत सरकार से औषधियां प्राप्त होते ही वितरण प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

73–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

ग्राम हुसैनपुर सकरवारी ग्राम कौरा तथा ग्राम हारिलपुर, तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में पानी के अभाव में बंजर हो रही भूमि विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

74–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम हुसेनपुर सकरवारी ग्राम कौरा तथा ग्राम हारिलपुर, तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पानी के अभाव में बंजर हो रही है ? क्या इस संबंध में उक्त गांव के ग्राम प्रधानों के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-4-87 तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में मझुई नदी को गहरा करने का कार्य

75–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में चमरोला बांध से पूरे दरबार, कोर्रा डंडवा और किछुटी के बीच में मझुई नदी को गहरा करने का काम सिंचाई विभाग द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व कराया गया था

लेकिन कार्य सन्तोषजनक नहीं हुआ और किछूटी गांव के पास गहरा किए गए स्थान पर पुलिया का निर्माण भी नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो कराये गये कार्य का स्थल निरीक्षण कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने और मझुई नदी को गहरी कराने का काम ठीक ढंग से सम्पन्न कराने तथा किछूटी गांव के पास लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पुलिया का निर्माण कार्य कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ? यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जनपद फैजाबाद के कटहेरी विधान सभा क्षेत्र में चमरौला बांध से पूरे दरबार, कुर्रा, दहेगा और किछूटी के बीच मझुई नदी के नहरीकरण का कार्य स्वीकृत लम्ब छिन्नक के अनुसार जनपद सुल्तानपुर के लिये आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 में बनाये गये माइक्रो ड्रेनेज प्लान के अन्तर्गत कराया गया था । इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण वित्त अंश प्राप्त न होने के कारण कार्य बीच में ही बन्द करना पड़ा । ग्राम किछूटी के पास प्रस्तावित पुलिया का निर्माण भी इसी कारण नहीं कराया जा सका ।

कराये गये कार्यों के लिए कोई दोषी नहीं है । मझुई नदी के नहरीकरण तथा पुलिया का निर्माण संशोधित योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जा सकेगा ।

सरयू नहर परियोजना का निर्माण कार्य एवं इस योजना पर लागत का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

76–श्री मुहम्मद मईद "भ्रमर"–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर परियोजना को कब तक पूर्ण हो जाना था तथा इसकी प्रारम्भिक लागत क्या थी? क्या इस योजना का पुनर्मूल्यांकन कराया गया है ? यदि हां, तो अब इस योजना को कब तक पूरा होना है तथा अब इसकी अनुमानित लागत क्या है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

सरयू नहर परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय इसको वर्ष 1988-89 में पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया था । इस योजना की प्रारम्भिक लागत 299.20 करोड़ रु0 थी ।

जी हां ।

धनाभाव के कारण योजना पूर्ण होने का समय सुनिश्चित नहीं है। वर्ष 1989 के मूल्यों के आधार पर परियोजना की लागत 1010 करोड़ रु0 आंकी गयी है ।

माननीय सदस्य जो सूचना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ।

स्वास्थ्य विभाग में सीनियर मेट्रन, सहायक मेट्रन, ट्यूटर तथा पी0 एच0 एन0 ट्यूटर के रिक्त पद तथा इन्हें भरे जाने की मांग

77–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में सीनियर मेट्रन,

मेट्रन, सहायक मेट्रन, ट्यूटर तथा पी0 एच0 एन0 ट्यूटर के कितने पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े हैं तथा उन्हें पदोन्नति द्वारा न भरे जाने का क्या कारण है ? यह पद कब तक भरे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

स्वास्थ्य विभाग में सीनियर मैट्रन के 4 (चार) पद–3 पद दो वर्ष से तथा 1 पद मार्च, 1990 से एवं मैट्रन के 42 (बयालीस) पद, सहायक मैट्रन के 30(तीस) पद, ट्यूटर के 30 (तीस) पद तथा पी0 एच0 एन0 ट्यूटर के 5 (पांच) पद दो वर्ष से रिक्त हैं।

सहायक मैट्रन एवं ट्यूटर के रिक्त पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हैं जिसके लिए अधियाचन भेजा जा रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर इन पदों को भर दिया जाएगा। पी0 एच0 एन0 ट्यूटर, सीनियर मैट्रन तथा मैट्रन के पद विभागीय चयन समिति द्वारा भरे जाने हैं। चयन समिति का गठन सदस्यों की वरीयता में विवाद के कारण नहीं हो पा रहा है। विवाद हल हो जाने पर इन पदों को भर लिया जाएगा।

जनपद ललितपुर के ग्राम-मदनपुर, ब्लाक मडावरा में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन बनाने का प्रस्ताव

78–देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ग्राम-मदनपुर ब्लाक मडावरा में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन बनाया जाना प्रस्तावित है? क्या इस भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति दे दी गई? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन कब तक बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण जिला सेक्टर की योजना है। जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाती है।

ललितपुर जनपद में बन रहे राज घाट बांध की अपर एवं लोअर नहर की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा किसानों को मुआवजा

79–देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में बन रहे राजघाट बांध की अपर एवं लोअर नहर की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है तथा किसानों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त नहर के खुदाई का कार्य क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

ललितपुर जनपद में राजघाट बांध की अपर राजघाट नहर की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है तथा प्रतिकर हेतु वांछित धनराशि भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर को भुगतान कर दी गयी है।

लोअर राजघाट नहर के निर्माण हेतु कुल 677.79 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसके विरुद्ध समस्त भूमि की धारा–4 की विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है तथा धारा–6 की भी 532.71 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति हो चुकी है जिसमें से 359.31 एकड़ भूमि अधिगृहीत होकर कब्जा प्राप्त हो गया है। अधिगृहीत भूमि के अतिरिक्त जहां भी विभाग द्वारा कार्य कराया गया है उन स्थानों के भूमि के स्वामी कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सहमति देने के आधार पर जनहित में कार्य कराया गया है। लोअर राजघाट नहर पर भूमि का मुआवजा देने हेतु 54.72 लाख रु0 का विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भुगतान किया जा चुका है। भूमि अधिगृहीत होने के पूर्व कार्य प्रारम्भ करने की अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

ललितपुर जनपद में बनने वाले शाहजाद तथा सजनाम बांध से प्रभावित किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था तथा भूमि का मुआवजा

80–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में बनने वाले शाहजाद तथा सजनाम बांध से प्रभावित किसानों के पुनर्वास की शासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? क्या प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा प्राप्त हो चुका है? यदि हां, तो कितने किसानों को? किन-किन ग्रामों के किसानों को मुआवजा अभी नहीं दिया गया है और क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां।

शहजाद बांध–

इस बांध के डूब क्षेत्र में 5 ग्रामों (कलोथरा हर्षतुर, तेरई, जमालपुर, सेरवास-कला) में 455 परिवार विस्थापित हुए हैं। इनमें से 4 ग्रामों (कलोथरा, हर्षपुर, तेरई, जमालपुर) के 365 परिवारों को निःशुल्क ग्राम समाज भूमि देकर पुनर्वासित किया जा चुका है। शेष एक ग्राम (सेरवास कला) की आबादी वाली भूमि का कब्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है और आबादी अभी ग्राम में रह रही है, विस्थापित नहीं हुई है। ग्राम सेरवास कला में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु ग्राम समाज भूमि का सर्वेक्षण कराया जा चुका है और पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। जब भी विस्थापित चाहेंगे, तहसीलदार द्वारा पुनर्वास हेतु निःशुल्क ग्राम समाज भूमि आवंटित कर दी जायेगी। ग्राम कलोथरा, तेरई एवं हर्षपुर के कृषकों को भूमि एवं सम्मति का मुआवजा बांटा जा चुका है। इस प्रकार कुल 285 कृषकों को भूमि का मुआवजा प्राप्त हुआ है। ग्राम जमालपुर एवं सेरवास कला के 170 कृषकों को अभी मुआवजा नहीं दिया गया है। जमालपुर के आबादी से सम्बन्धित भूमि का अभी निर्णय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर द्वारा

घोषित किया जाना शेष है । तदोपरान्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर द्वारा मुआवजा बांटा जायेगा । ग्राम सेरवासकला के भूमि के धारा-6 की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर द्वारा की जा रही है । एवं धारा-6 के उपरान्त ही अभी निर्णय एवं प्रतिकर के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ललितपुर द्वारा की जायेगी । पुनर्वास की व्यवस्था चार ग्रामों में की जा चुकी है । ग्राम सेरवास कला के विस्थापितों को उनकी मांग के अनुसार तहसीलदार तालबेहट द्वारा पुर्न-स्थापित कर दिया जायेगा जिसके लिये ग्राम समाज की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ।

सजनम बांध–

इस बांध से प्रभावित किसानों के पुर्नवास की शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है । सजनम बांध से प्रभावित चार ग्राम क्रमशः कलोथरा, बायोनी, बड़गाना व कलाव के किसानों को मुआवजा दिये जाने की स्थिति निम्न प्रकार है:–

नाम ग्राम	आबादी के प्रतिकर की स्थिति	कृषक भूमि के प्रतिकर की स्थिति
1--कलोथरा 2--बागोनी	प्रतिकर बांट दिया गया है । तदैव	प्रतिकर बांट दिया गया है 998.0 एकड़ का प्रतिकर बांट दिया गया है व 265.50 एकड़ का प्रतिकर बांटा जाना शेष है ।
3---बड़गाना	प्रतिकर बांटा जाना है । मूल्यांकन प्रपत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से तैयार कराकर बिशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर को प्रेषित किया जा चुका है ।	80.85 एकड़ का प्रतिकर बांटा गया है व 54.82 एकड़ का प्रतिकर बांटा जाना शेष है ।
4 --कलरव	तदैव	239.57 एकड़ का प्रतिकर बांटा जा चुका है व 51.66 एकड़ का प्रतिकर बांटा जाना शेष है ।

जिन ग्रामों में अभी प्रतिकर नहीं बांटा गया है, उनकी भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है, जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर को प्रतिकर बांटे जाने हेतु रु0 88.90 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जो ग्राम प्रभावित हुये हैं उनमें से प्रत्येक विस्थापित परिवार को जिलाधिकारी द्वारा 150 वर्ग गज भूमि प्रति परिवार अन्य स्थान पर बसने हेतु निःशुल्क दी गयी है तथा विस्थापित हुए भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर भूमि दे दी गयी है । शहजाद एवं सजनम बांध के प्रभावित कृषकों के अवशेष प्रतिकर की धनराशि भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद नियमानुसार दिया जायेगा जिसका समय बताया जाना सम्भव नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र कप्तान गंज बस्ती के अन्तर्गत पीठिया बांध के निर्माण का कार्य तथा इस कार्य में तैनात अभियन्ता के विरुद्ध स्वयं भुगतान होने की जांच

81—श्री कृष्ण किंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज बस्ती के अन्तर्गत पीठिया बांध के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है तथा अब तक निर्माण कार्य की स्थिति क्या है? क्या सरकार को ज्ञात है कि इस कार्य हेतु तैनात अवर अभियन्ता द्वारा अपने संबंधी (श्री विश्वनाथ सिंह) का नाम डालकर कई लाख रुपये का भुगतान 1989 में स्वयं ले लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अवर अभियन्ता को दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रेवती रमण सिंह—

पीठिया बांध के नाम से कप्तानगंज, जनपद बस्ती में कोई बांध नहीं है। माननीय विधायक जी का तात्पर्य काशीपुर-दुवौलिया बांध (लम्बाई 11.5 कि0 मी0) से प्रतीत होता है क्योंकि पीठिया ग्राम इस बांध के कि0 मी0 4.0 पर स्थित है।

इस बांध का निर्माण अक्तूबर, 1984 से प्रारम्भ करके जुलाई 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कराया गया है। बांध पर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण हैं लेकिन अभी तक भू-प्रतिकर नहीं बांटा गया है जिसके लिए एक योजना तकनीकी सलाहकार समिति की 84वीं बैठक में 14.68 लाख रुपये की स्वीकार कराई गई है तथा भू-प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को भेजे जा चुके हैं।

वर्ष 1989 में श्री विश्वनाथ सिंह के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया, परन्तु वर्ष 1988 में 3 कार्यादेशों के माध्यम से पत्थर/झांवा की डम्पिंग का रु0 18,076/- का कार्य श्री उदय राज सिंह, अवर अभियन्ता की देखरेख में कराया गया है जिसका भुगतान श्री विश्वनाथ सिंह, को किया गया है। श्री उदय राज सिंह, अवर अभियन्ता ने अपने शपथ-पत्र के माध्यम से यह सूचित किया है कि श्री विश्वनाथ सिंह से उनका कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खण्ड में छोटी सरजू और महुला गड़वल बांध के बीच सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगाए गए विश्व बैंक पोषित नलकूप

82—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खण्ड में छोटी सरजू और महुला-गड़वल बांध के बीच सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किन-किन गांवों में कितने-कितने विश्व बैंक पोषित नलकूप लगाए गए हैं? कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनमें यह नलकूप अभी तक नहीं लगे हैं? इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कितने और नलकूपों की आवश्यकता होगी और उन्हें कब तक लगा दिया जायेगा?

श्री रेवती रमण सिंह—

आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खण्ड में छोटी सरयू और महुला गड़वल बांध के

बीच 18 ग्रामों में विश्व बैंक परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 31 पब्लिक नलकूपों का निर्माण कराया गया । ग्रामवार सूची संलग्न है ।

इसी क्षेत्र में 17 राजकीय नलकूप भी लगे हैं । शेष क्षेत्र अधिकांशतः बाढ़ से प्रभावित होने के कारण नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 163 पर)

जनपद शाहजहांपुर में टाउन एरिया मीरानपुर कटरा के राजकीय चिकित्सालय में दवा और अनुमन्य सुविधाओं की व्यवस्था हेतु निर्देश

83—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में टाउन एरिया मीरानपुर कटरा के राजकीय चिकित्सालय में दवाइयां व अन्य सुविधाएं न होने के कारण टाउन एरिया निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त चिकित्सालय में अनुमन्य सुविधाओं की व्यवस्था हेतु निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद शाहजहांपुर के टाउन एरिया मीरानपुर कटरा में राजकीय चिकित्सालय नहीं है अपितु जिला परिषद् द्वारा संचालित पुरुष अस्पताल स्थापित है जिसमें दवाइयों आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला परिषद् द्वारा ही की जाती है । एतदर्थ सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मऊ जनपद से संबंधित बड़राव ब्लाक के अन्तर्गत पकड़ी ताल एवं गोफा ताल के बरसाती पानी के निकास न होने के कारण प्रभावित गांव एवं तालों के पानी के निकासी की व्यवस्था की मांग

84—श्री सुबास—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि मऊ जनपद से सम्बन्धित बड़राव ब्लाक के अन्तर्गत पकड़ी ताल एवं गोफा ताल के बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था न होने के कारण उनके किनारे बसे पच्चासों गांव के लोग बरसाती पानी से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों तालों के पानी की निकासी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

85—श्री राम कुमार वर्मा—

[दिनांक 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 107 द्वारा उत्तरित]

निदेशक, होम्योपैथी उ0 प्र0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच

86—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (होम्योपैथी) उ0 प्र0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का ''जांच अधिकारी'' महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 को नियुक्त किए जाने हेतु गत 15/16 मार्च, 90 को पत्रावली सं0-417/74 (चिकित्सा अनुभाग-15, उ0 प्र0 शासन) पर आदेश पारित हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त संदर्भित आदेश कार्यान्वित हुआ ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

निदेशक, होम्योपैथी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों के संबंध में जांच कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

87—श्री काशी सिंह एरेरी—

[2रे जून में अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासन द्वारा नए राशन कार्ड बनाने के आदेश

88—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने नये राशन कार्ड बनाने के संबंध में कोई आदेश जनवरी से अप्रैल, 90 तक निर्गत किए हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रश्नगत अवधि में केवल जिला मुख्यालय पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में शासनादेश संख्या 2206/29-खाद्य-6-13(48)/90, दिनांक 5 अप्रैल, 1990 जारी किया गया है ।

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन-पत्र उचित दर की दुकान, जिलापूर्ति कार्यालय तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय में इस कार्य हेतु खुले काउन्टर से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । यह काउन्टर 11.00—1.30 बजे तक खुलता है । ''अ'' श्रेणी के आवेदकों, जिसका विवरण संलग्नक में दिया गया है, द्वारा संगत प्रमाण-पत्र के साथ काउन्टर पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र का अंकन काउन्टर रजिस्टर में करने के बाद उसी समय बिना किसी पूर्व जांच के राशन कार्ड निर्गत किए जाने के आदेश हैं ।

अन्य आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर उसी समय प्राप्ति रसीद, जिस पर कार्ड लेने की तिथि अंकित की जाती है, दी जाती है । कार्ड प्राप्ति के लिए आने की निर्धारित तिथि (विलम्बतम 17 दिन) से पूर्व आवश्यक जांच, कार्ड बनाने तथा अभिलेखों में इसके इन्द्राज पूर्ण करने के निर्देश हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 164 पर)

जांच मजिस्ट्रेट (श्री निशीथ कुमार) द्वारा स्वतः रोजगार योजना में हुई अनियमितताओं के संबंध में श्री सुमन कुमार मिश्रा (नि0) सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद के विरुद्ध जांच

89—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन जांच मजिस्ट्रेट (श्री निशीथ कुमार) द्वारा स्वतः रोजगार योजना में हुई अनियमितताओं के संबंध में की गई जांच में अन्य के अतिरिक्त श्री सुमन कुमार मिश्रा (नि0) सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बयान लिए गए थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री मिश्रा को प्रेषित आरोप पत्र के साथ जो बयान की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई उसके चार पृष्ठों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच कर बयान बदलने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

बयान पर श्री मिश्रा के हस्ताक्षर मार्जिन में होने के कारण उसकी फोटो प्रति पर उनके हस्ताक्षर नहीं आ सके। अतः श्री मिश्रा के बयान बदलने तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला वाराणसी गांव नरायनपुर, ब्लाक चिरई गांव के रिसर्च अस्पताल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग

90—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि गांव नरायनपुर ब्लाक चिरईगांव जिला—वाराणसी में इसलिये एलोपैथिक अस्पताल नहीं बनाया गया कि वहां बी0एच0यू0 के मेडिकल अस्पताल की ओर से एक रिसर्च करने के अस्पताल बनवाया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त रिसर्च अस्पताल में न तो नर्सों की व्यवस्था है न दवा है और डाक्टर भी महीने में दो तीन बार आते हैं और कोई रिसर्च भी नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और नरायनपुर के उसी सेंटर में अपनी दवा डाक्टर, नर्स, कम्पाउण्डर की व्यवस्था करेगी या अलग से सब सेंटर खोल कर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करेंगी? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने मा0 मुख्य मंत्री को 5-4-90 को एक पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद वाराणसी के ब्लाक चिरईगांव, ग्राम नरायनपुर में एलोपैथिक अस्पताल नहीं अपितु एकमात्र शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित है । उपकेन्द्र में केवल एक बी0एच0डब्लू0 (महिला) एवम् एक अंशकालिक दाई के पदों का प्राविधान है । चिकित्सक व नर्स के पद स्वीकृत करने का कोई प्राविधान नहीं है । विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है । जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों के नामों का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा स्वीकृति दी जाती है । तदनुसार जनपद वाराणसी से प्रस्ताव

प्राप्त होने पर ही प्रश्नगत गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने पर विचार किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-4-90 प्राप्त हुआ है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए विनियोग विधेयक द्वारा पारित खाद्य तथा रसद विभाग के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग

91—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिये 29 मार्च, 1988 को विनियोग विधेयक द्वारा पारित अनुदान संख्या 22-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय के लिये आवंटित धनराशि 7 अरब 37 करोड़ 92 लाख 50 हजार रुपये का उपयोग 31 मार्च, 1989 तक कर लिया गया था? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के वीरा सराय लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

92—श्री दया शंकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी जनपद के वीरा सराय लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं। लिफ्ट नहर का कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 1225 हैक्टेयर है जिसके लिए चलित 20 क्यूसेक क्षमता पर्याप्त है।

वाराणसी जनपद में भुपौली लिफ्ट कैनाल में ट्रिपिंग की समस्या के निराकरण हेतु उपाय की मांग

93—श्री दया शंकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में भुपौली लिफ्ट कैनाल की क्षमता उसकी बनायी गयी डिजाइन के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उक्त पम्प कैनाल की विद्युत लाइन के 5 फीडरों से जोड़ दिये जाने से वहां ट्रिपिंग की समस्या उत्पन्न हो गयी है? यदि हां, तो उसके निराकरण हेतु क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां। प्रश्न नहीं उठता। जी हां। पम्प नहर के स्वतंत्र फीडर पर इस समस्या के निराकरण हेतु विद्युत परिषद् द्वारा जोड़े गये फीडरों के लिये अलग से लाइन बनाई जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़ स्थित बहुला माइनर पर पुलिया बनाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

94—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़, बाराबंकी स्थित बहुला माइनर पर हेड से 200 मीटर की दूरी पर पुलिया बनाने हेतु फरवरी 90 के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय सदस्य का फरवरी 1990 के द्वितीय सप्ताह का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । प्रश्नगत स्थल पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी के माध्यम से माननीय सदस्य को सम्बोधित प्रार्थीगण गुरूचरण, दयाराम एवं अन्य ग्राम खजुरी का दिनांक 26-2-90 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है । बहुता माइनर पर हेड से 200 मीटर दूरी पर पुलिया का निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1990-91 में कराया जाना प्रस्तावित है ।

95—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[3रे बुध में अता0प्र0सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोंच (जालौन) स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की निर्माणाधीन इमारत एवं विलम्बित होने के कारण

96—श्री चैन सुख भारती—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोंच (जालौन) स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की निर्माणाधीन इमारत कब तक बन सकेगी? इस भवन का निर्माण किन परिस्थितियों में विलम्बित हो रहा है?

श्री मुख्तार अनीस—

राजकीय चिकित्सालय कोंच (जालौन) के समस्त भवनों का निर्माण माह मार्च, 1990 को पूर्ण कर लिया गया है ।

सरकार द्वारा नियन्त्रित दुकानों के परमिट देने में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए के लिए आरक्षण व्यवस्था

97—श्री चैन सुख भारती—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नियंत्रित दुकानों के परमिट देने में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिये आरक्षण व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जनपद जालौन में परमिट देते समय आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

राज्य सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । क्योंकि उपयुक्त दुकानदार के चयन के लिये दुकानों के आवंटन हेतु वरीयताक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत

अनुसूचित/जनजाति के व्यक्ति को सहकारी समितियों, लड़ाई में मारे गये सैनिक परिवार के सदस्य, तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लड़ाई में घायल हुए सैनिकों के परिवार के सदस्य तथा विकलांग व्यक्ति के पश्चात् चतुर्थ वरीयता श्रेणी प्राप्त है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गिरवां ब्लाक महुवा जनपद बांदा के प्रभारी चिकित्सक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

98–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री टिरिया ग्राम प्रधान जरर आदि ब्लाक महुवा जनपद बांदा के पत्र के साथ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गिरवां ब्लाक महुवा जनपद बांदा के प्रभारी चिकित्सक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन स्तर के किस उच्च अधिकारी ने जांच किया तथा क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयी? दोषी चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच आयुर्वेद यूनानी निदेशालय के उपनिदेशक (योजना) द्वारा की जा रही है एवं इस बीच उक्त चिकित्साधिकारी को जनपद बांदा से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

99–श्री राम प्रसाद सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फर्रुखाबाद में स्थित जिला परिषद् औषधालय जसपुरापुर, अमृतसर, सरह एवं भुन्ना को राजाज्ञा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाना तथा प्रान्तीयकरण न किये जाने के कारण

100–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में स्थित जिला परिषद् औषधालय जसपुरापुर, अमृतपुर, सरह एवं भुन्ना को राजाज्ञा संख्या–9016/5-7-203/85 दिनांक 28 जनवरी, 1985 एवं राजाज्ञा संख्या 307/5-7-89 दिनांक 4 मार्च 1989 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया गया है? यदि हां, तो अब तक इनका प्रान्तीयकरण न किये जाने का क्या कारण है तथा यह कार्य कब तक हो जायेगा?

श्री मुख्तार अनीस–

जिला परिषद् औषधालय जसपुरापुर, अमृतपुर, सरह एवं भुन्ना को राजाज्ञा सं0-9016/5-7-203/85, दिनांक 28-12-1985, एवं राजाज्ञा सं0 307/5-7-89, दिनांक 4-3-1989 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, के रूप में परिवर्तित किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त प्रान्तीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

मा0 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल से हुई वार्ता में लिए गये निर्णय

101—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 सितम्बर, 89 को सचिव III माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता हुयी थी ? यदि हां, तो उस वार्ता में क्या-क्या निर्णय लिये गये तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

यह वार्ता 30 सितम्बर, को हुई थी । प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा 16 बिन्दु उठाये गये थे जिनके संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

स्वास्थ्य महानिदेशालय के निदेशक (प्रशासन) को शासनादेशों के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति की जानकारी तथा अवकाश की संस्तुति करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही

102—श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अतीक अहमद तथा श्री अमर मणि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य महानिदेशालय के आदेश संख्या एफ0 एफ0/39/61 दिनांक 20 अक्टूबर 1989 के द्वारा डा0 वी0 के0 सक्सेना कन्सल्टेण्ट बलरामपुर अस्पताल को 87 दिन का चिकित्सा अवकाश एवं 21 दिन का अर्जित अवकाश निदेशक (प्रशासन) द्वारा स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रथम श्रेणी के चिकित्सक को उक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति निदेशक प्रशासन को प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उक्त अनियमित कार्य हेतु सम्बन्धित निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

103—श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अतीक अहमद तथा श्री अमर मणि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय नियम संग्रह वाल्यूम II भाग II-IV के संगत सहायक नियम एवं शासनादेशों के अनुसार डा0 वी0 के0 सक्सेना द्वारा 30 दिन से अधिक अवधि के लिए चिकित्सा अवकाश बढ़ाये जाने पर उक्त मामला सेकेण्ड मेडिकल ओपीनियन के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें एक माह से अधिक चिकित्सा अवकाश की संस्तुति करने वाले सरकारी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा0-4-1752/दस-200 (2) 77, दिनांक 20-6-78 के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा0 माया देवी दीक्षित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (महिला अस्पताल) खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के स्थानान्तरण की मांग

104—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि डा0 माया देवी दीक्षित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (महिला अस्पताल) खतौली जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि डा0 माया देवी को वहां से स्थानान्तरित करने के लिये तत्कालीन सचिव ने आदेश किया था और उसका क्रियान्वयन भी किया गया परन्तु बाद में उसे रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रभारी चि0 अ0 का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

महिला अस्पताल खतौली जनपद मुजफ्फरनगर में डा0 माया देवी दीक्षित नहीं बल्कि डा0 (श्रीमती) माया देवी अग्रवाल (अब विवाहोपरान्त डा0 माया देवी देव) प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद पर दिनांक 3 मार्च, 1979 से कार्यरत थीं ।

जी हां ।

डा0 (श्रीमती) माया देवी अग्रवाल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महिला चिकित्सालय, खतौली, मुजफ्फरनगर का स्थानान्तरण दिनांक 30 मई, 1990 को जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के ग्राम राल में नवनिर्मित राजकीय चिकित्सालय प्रारम्भ किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

105—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के ग्राम राल में नव निर्मित राजकीय चिकित्सालय प्रारम्भ किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-90 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, और चिकित्सालय को सुचारू रूप से प्रारम्भ कब से किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राल पर आवश्यक चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती व व्यवस्था कर उसे चालू कर दिया गया है ।

जनपद बांदा केन नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

106—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री बद्री प्रसाद प्रधान ग्राम कोलावल रायपुर ब्लाक महुवा जनपद बांदा के पत्र के साथ केन नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस पम्प कैनाल का सर्वेक्षण किस उच्च अधिकारी द्वारा किया गया तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है? इस असिंचित क्षेत्र की सिंचाई सुविधा को देखते हुये क्या इस पम्प कैनाल के निर्माण की स्वीकृति देते हुये धन आवंटन करके लिफ्ट पम्प कैनाल का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । इस प्रस्ताव का सर्वेक्षण अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड बांदा के माध्यम से कराया गया तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कोलावल रायपुर ब्लाक महुवा जनपद बांदा के पास लगभग 1500 एकड़ क्षेत्र असिंचित है । केन नदी में सामान्य रूप से जल उपलब्ध है । इस स्थल विशेष पर जल उपलब्धता की पुष्टि होने पर ही पम्प कैनाल के निर्माण किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद बांदा रंज वागैन नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

107—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री श्याम लाल भू0 पू0 प्रधान ग्राम शाहपारन ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ रंज तथा वागैन नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस पम्प कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में किस उच्च अधिकारी ने कहां-कहां सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है? क्या इस असिंचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये लिफ्ट पम्प कैनाल का निर्माण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । रंज व वागैन नदी में जल उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित लिफ्ट नहर योजना का निर्माण सम्भव नहीं है । अतः सर्वेक्षण पर विचार ही नहीं किया गया । प्रश्न ही नहीं उठता ।

108—श्री रविकान्त गर्ग—

[3रे बुध में अता0प्र0सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जनपद के चित्रकूट स्थान पर राष्ट्रीय रामायण मेला में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लगाई गयी ड्यूटी एवं औचित्य

109—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के चित्रकूट स्थान पर फरवरी 90 के चौथे हफ्ते में हुये राष्ट्रीय रामायण मेला में स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी? उक्त ड्यूटी किसने लगायी थी और व्यक्तिगत समारोह में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का क्या औचित्य है?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक की वाराणसी जनपद अन्तर्गत शाखा बावतपुर रजवाहा का गलत निर्माण कार्य एवं किसानों के सुझाव के अनुसार पूरा कराने की मांग

110–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की वाराणसी जनपद अन्तर्गत शाखा बावतपुर रजवाहा का निर्माण कार्य वाराणसी जनपद के चिरईगांव ब्लाक के गांव सरैया नं0-1 के दक्षिण तक ही हुआ है और नहर के गलत नक्शा के कारण विगत दो वर्षों से आगे का कार्य रुका पड़ा है? यदि हां, तो किसानों के सुझाव के अनुसार नहर की दिशा गांव के दक्षिण से पूरब घुमाकर 20 कड़ी चौड़े चक रोड से नहर का निर्माण पूरा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं। बावतपुर रजवाहा के निर्माण का कार्य प्रस्तावित लम्बाई 66.7 किमी तक स्वीकृत समरेखन के अनुसार पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

111–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

112–श्री पूर्णवासी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन में डिग्री डिप्लोमा धारकों को बोनस अंक देने में भेदभाव

113–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु वर्ष 1982-83 में डिग्री धारकों को 5 बोनस अंक तथा वर्ष 1985 में बोनस अंक 10 नम्बर दिया गया था? यदि हां, तो वर्ष 1892-83 एवं 1985 के साक्षात्कार में सम्मिलित डिग्री धारकों को बोनस अंक दो गुना कर दिये जाने में भेदभाव किये जाने का क्या कारण है? क्या यह सत्य है कि उक्त डिग्री डिप्लोमा के लिए एक बार 5 अंक व दूसरी बार 10 अंक के निर्धारण हेतु निदेशक होम्योपैथिक जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो क्या शासन निदेशक होम्योपैथी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां। भेदभाव का आरोप निराधार है। जी नहीं शासन के आदेश हैं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में डिमान्स्ट्रेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु डिग्री धारकों को बोनस अंक दिये जाने का औचित्य

114–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में डिमांस्ट्रेटर के पदों के साथ ही अन्य शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 2 मार्च, 83 के अनुसार डिग्री/डिप्लोमा को समान मानते हुये अनिवार्य

अर्हता माना गया है? यदि हां, तो क्या रिक्त 21 डिमांस्ट्रेटर के पूर्ण कालिक पदों पर चयन हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 जनवरी, 90 में डिग्री धारकों को 10 बोनस अंक देने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा उसका औचित्य क्या है?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, होम्योपैथिक द्वारा शासन को सूचना, आख्या आदि न उपलब्ध कराये जाने के कारण कार्यवाही की मांग

115–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में शासन द्वारा निदेशक होम्योपैथी से कितनी सूचनायें/आख्या/प्रस्ताव मांगे गये जिसे आज तक या निर्धारित समय में निदेशक होम्योपैथी द्वारा चिकित्सा अनुभाग-15 को उपलब्ध नहीं कराया गया? क्या सरकार शासकीय कार्य में शिथिलता बरतने के लिए निदेशक होम्योपैथी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुख्तार अनीस–

शासन द्वारा निदेशक होम्योपैथी से विभिन्न विषयों पर सूचना मांगी जाती रहती है जो प्राप्त होती रहती है। शासन और विभागाध्यक्ष के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

116–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

डा0 गिरजाशंकर श्रीवास्तव, प्राचार्य राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज मुरादाबाद द्वारा लिया गया मकान किराया भत्ता

117–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 गिरजा शंकर श्रीवास्तव प्राचार्य राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज मुरादाबाद कालेज भवन में निवास करते हैं तथा मकान किराया भत्ता भी लेते हैं? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

डा0 गिरजा शंकर श्रीवास्तव, प्राचार्य, राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद कालेज के विश्राम कक्ष में 1.2.90 से 3.5.90 तक रहे तथा उक्त अवधि में मकान किराया भत्ता प्राप्त किया जिसे दिनांक 14-6-90 को राजकीय कोष में एकमुश्त जमा करा दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पारसनाथ, अनुभाग अधिकारी चिकित्सा अनुभाग-2 का स्थानान्तरण एवं पुनः वही तैनात किये जाने का कारण

118–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अनुभाग-2 के अनुभाग अधिकारी श्री पारसनाथ का स्थानान्तरण चिकित्सा अनुभाग 11 में किया गया था? यदि हां, तो लगभग 2 माह बाद चिकित्सा अनुभाग–2 में उन्हें पुनः तैनात किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां, प्रशासनिक दृष्टि से उनकी तैनाती पुनः चिकित्सा अनुभाग-2 में की गयी ।

सचिवालय स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु आदेश

119–श्री अकबर हुसैन ढाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 2 मार्च, 90 को सचिवालय स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारयों के स्थानान्तरण हेतु कोई आदेश हुये थे? यदि हां, तो उन्हें अब तक स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां, स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत एलोपैथिक चिकित्सा विभाग के लिए आवंटित धनराशि एवं उपयोग किया जाना

120–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिये विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या 32 एलोपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्व पूंजीगत के लिए आवंटित धनराशि क्रमशः 1 अरब 30 करोड़ 46 लाख 75 हजार व 17 करोड़ 60 लाख 46 हजार रु0 का उपभोग 31 मार्च, 1989 तक का कर लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में स्थित महुला-गड़वल बांध की पक्की सड़क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

121–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में स्थिप महुला-गड़वल बांध को पक्की सड़क में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव शासन को वर्ष 1984-'86 के मध्य प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? इसे कब तक पक्का कर दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां ।

उपरोक्त बांध की टाप को पक्की सड़क में परिवर्तित करने हेतु लोक निर्माण विभाग को पत्र भेज दिया गया है ।

विद्युत यांत्रिक अनुरक्षण सेल स्वास्थ्य विभाग में नये पदों का सृजन एवं पद वार संख्या एवं वेतन मान

122–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत यांत्रिक अनुरक्षण सेल स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1990 में संयुक्त निदेशक, सहायक अभियंताओं एवं टेक्नोलोजिस्ट के

कुछ नये पदों के सृजन हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा वे पद सृजित भी कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे समस्त पदों की पदवार संख्या एवं उनके वेतनमान क्या हैं ?

श्री मुख्तार अनीस–

कुल तीन पदों को, उन पर नियुक्ति की तिथि से 28-2-1991 तक की अवधि के लिए, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

संयुक्त निदेशक विद्युत एक पद वेतनमान रु0 3700-5000

सहायक अभियंता (विद्युत) एक पद वेतनमान रु0 2200-4000

टेक्नोलोजिस्ट एक पद वेतनमान रु0 1400-2600

कानपुर देहात के गांव ककवन (कानपुर देहात) निचली गंगा नहर की पटरी कट जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

123–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अधिशासी अभियंता सिंचाई कानपुर देहात को गांव ककवन (कानपुर देहात) निचली गंगा नहर के मील नं0 102/103 पर पटरी कट जाने विषयक प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 18-1-90 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो ग्रामीणों के नुकसान को देखते हुये क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवार कल्याण निदेशालय मातृ एवं शिशु कल्याण अनुभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का कार्य आवंटन (सीट परिवर्तन) तीन वर्ष बाद भी न किये जाने का कारण

124–श्री दीप नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि परिवार कल्याण निदेशालय मातृ एवं शिशु कल्याण अनुभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का कार्य का आवंटन (सीट परिवर्तन) वर्ष 1979 से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कर दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1985 से अब तक कार्य का आवंटन (सीट परिवर्तन) न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन कर्मचारियों को जिनका कार्यकाल एक सीट पर तीन वर्ष से अधिक हो गया है, का कार्य परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

वर्ष 1985 के बाद जिन कर्मचारियों को एक सीट पर तीन वर्ष से अधिक हो गया है, उनकी सीट का परिवर्तन कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्वा0 निरीक्षिका के रिक्त पदों की संख्या एवं ए0 एन0 एम0 की प्रोन्नति

125–श्री दीप नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-90 को प्रदेश के स्वा0 निरीक्षका के कितने स्थान खाली हैं ? क्या ए0 एन0 एम0 की प्रोन्नति किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा इस संबंध में कोई मांग की गयी थी और इसके उत्तर में शासन को कोई पद रिक्त नहीं है कि सूचना भेजी गयी ? यदि हां, तो बाद में किन परिस्थितियों में 200 ए0 एन0 एम0 की प्रोन्नति की गयी ? क्या सरकार गलत सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के साथ उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस–

दिनांक 1-4-88 को प्रदेश में 193 स्वास्थ्य निरीक्षका के पद खाली थे ।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है ।

स्वास्थ्य निरीक्षका के 193 पद रिक्त थे जिनमें कई रिक्तियां पर्वतीय क्षेत्र की थीं जहां कुछ महिला कार्यकर्ती जाने में संकोच करती हैं । इसलिए 200 ए0 एन0 एम0 की प्रोन्नति के आदेश जारी किये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत काशीपुर-दुबौलिया मार्ग का निर्माण एवं दोषी अवर अभियंता की जांच करके दण्डित करने की मांग

126–श्री कृष्ण किंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज बस्ती के अंतर्गत निर्माणाधीन पिठियां बांध के निर्माण कार्य के संबंध में वर्ष 1982 से 31 मार्च, 1990 तक कितने रुपये का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वहां पर तैनात अवर अभियन्ता द्वारा लगभग दो करोड़ बीस लाख रुपये का भुगतान ठेकेदारों को ऐसे समय में बाढ़ की रोकथाम के लिए किया गया जब बाढ़ की स्थिति जनपद में नहीं थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अवर अभियन्ता को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह–

पिठिया बांध के नाम से विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज बस्ती के अंतर्गत कोई निमार्णाधीन बांध नहीं है । माननीय विधायक जी का तात्पर्य काशीपुर-दुबौलिया बांध से प्रतीत होता है, जिसका निमार्ण कार्य 10/84 से 7/85 की अवधि में भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत पूरा कराया गया, जिसमें उपलब्ध आकड़ों के आधार पर रुपया 18.85 लाख रुपया व्यय हुआ है ।

बांध निमार्ण उपरांत बांध की सुरक्षा पर 3/90 तक रुपया 166.19 लाख व्यय हुआ है, जो कि कटाव निरोधक कार्यों में स्वीकृत योजना के विरुद्ध किया गया है । कार्य का संपादन स्वीकृत योजना के अंतर्गत आवश्यकता एवं धन उपलब्धता के अनुसार वर्षाकाल के पूर्व समय-समय पर कराया गया है । इन कार्यों में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं हुई है ।

पत्थर आपूर्ति के संबंध में माननीय विधायक जी का शिकायती पत्र 1/90 में प्राप्त हुआ था । जांच के दौरान 111.5 घनमीटर पत्थर की आपूर्ति विवादास्पद होने के कारण इसका भुगतान नहीं किया गया है । ऐसी स्थित में फिलहाल किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं है ।

मऊ जनपद में दोहरी घाट कैनाल तथा उसकी माइनरों के किनारे बनी हुयी पटरी पह खड़न्जे का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव

127–श्री सुबास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित दोहरी घाट कैनाल तथा उसकी माइनरों के किनारे बनी हुयी पटरी पर खड़ंन्जे का काय कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं, कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

दोहरी घाट कैनाल व इसकी माइनरों के किनारे बनी सड़कों को पक्का कर यातायात की सुविधा प्रदान करने का कार्य लोक निर्माण विभाग का है ।

मऊ जनपद के ब्लाक घोसी दोहरी घाट बड़रव कोपागंज से संबंधित राजकीय नलकूप की संख्या एवं खराब पड़े नलकूप तथा नालियों को ठीक कराने की मांग

128–श्री सुबास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के ब्लाक घोसी दोहरीघाट बड़रांव कोपागंज से संबंधित राजकीय नलकूपों की संख्या कितनी है ? उन राजकीय नलकूपों में किन-किन नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त हैं तथा कितने नलकूप खराब हालत में पड़े हैं ? क्या क्षतिग्रस्त नालियों एवं बिगड़े नलकूपों को ठीक कराने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में 121 राजकीय नलकूप हैं ।

उपरोक्त में निम्नलिखित 72 नलकूपों की नालियां जीर्ण शीर्ण (क्षतिग्रस्त) हैं :–

विकास खण्ड घोसी

24, 26, 67, 73, 76, 91, 97, 121, जीजी =8 अदद

विकास खण्ड–दोहरीघाट

6, 7, 13, 77, 98, 104 जीजी–6 अदद

विकास खण्ड–बड़रांव

77, 85, 47, 95, 34, 87, 89, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 31, 54, 61, 63, 68, 88, 129, 115, 11, 17, 19, 90, 13, 1, 72, 46, 116 जीजी = 30 अदद

जीजी = 30 अदद

विकास खण्ड कोपागंज

33, 36, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 6, 92, 93, 99, 100, 105, 124, 134, 40, 32, 37, 38, 44, 45, 52, 75, 84, 101, 123 जीजी=28 अदद

उपरोक्त में से 4 नलकूप असफल हैं जिनका पुनर्निर्माण प्रस्तावित है तथा 3 नलकूपों का परित्याग किया जाना प्रस्तावित है।

जी हां, जनपद प्लान में प्राविधान की सीमा तक इसी वर्ष कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिलें की पुरवा तहसील की सखन ताल ड्रेन की लम्बाई एवं फर्जी एल0 सेक्शन बनाकर भुगतान

129—श्री हृदय नरायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील की सरवन ताल ड्रेन की लम्बाई (एल0 सेक्सन के मुताबिक) 18 मील है जबकि मौके पर वास्तव में सरवन ताल ड्रेन कुल 15 कि0 मी0 6 फर्लांग ही है ?यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इस संबंध में फर्जी एल0 सेक्शन बनाकर भुगतान 18 मील का करवाया गया है और लाखों रुपये का घपला किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण को नये सिरे से अधीक्षण अभियन्ता से ऊपर के स्तर से किन्हीं दो-अधिकारियों को भेजकर सम्यक जांच करवायेगी ? यदि हां, तो जांच कब तक हो जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सरवन ताल ड्रेन की कुल लम्बाई लम्बाछिन्नक के अनुसार मील 18-1-0 है।

जी नहीं। मौके पर भी इसकी कुल लम्बाई मी0 18-1-0 है।

जी नहीं। सरवन ताल ड्रेन की कुल लम्बाई के बीच में पड़ने वाले निचले भागों को छोड़ते हुए पुनरोद्धार का कार्य का भुगतान मी0 15-6-430 में कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं। जांच कराये जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दर्शन नगर में आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर एक चिकित्सालय खोले जाने की योजना

130—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दर्शननगर में आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर एक चिकित्सालय खोले जाने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और उक्त योजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा योजना पर कितना धन खर्च होगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पूरा ब्लाक पर तीस बेड वाले एलोपैथिक चिकित्सालय के निर्माण की योजना

131—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पूरा ब्लाक पर एक तीस बेड वाले एलोपैथिक चिकित्सालय के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना में क्या प्रगति हुयी है और उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक सीतापुर की उक्त पद पर कार्यरत अवधि एवं उनके विरुद्ध शिकायती पत्र एवं जांच

132—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक सीतापुर उक्त पद पर कब से हैं ? इनके विरुद्ध जिलाधिकारी सीतापुर तथा चिकित्सा निदेशालय द्वारा कितनी जांच करायी गयी ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी सीतापुर ने इनके विरुद्ध एक रिपोर्ट शासन को वर्ष 1989 में भेजी थी जिसमें गम्भीर आरोप थे ? यदि हां, तो आरोप क्या थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस—

वर्तमान में सीतापुर में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक का कोई पद सृजित नहीं है । वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, सीतापुर जून, 1990 से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं । यद्यपि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 एस0 पी0 गुलाटी के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच निदेशालय द्वारा सम्पन्न की गयी । जांच आख्या के आधार पर डा0 गुलाटी को एक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी । डा0 गुलाटी का वर्तमान सत्र में स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के पन्त होस्टल में फर्नीचर आदि सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग

133—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में पन्त होस्टल में बना 50 बेड़ का एक विंग व गर्ल्स होस्टल में बनाये गये विंग का भवन काफी समय से बना पड़ा है किन्तु उसमें फर्नीचर आदि आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराकर इसे कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां । फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गयी है । छात्रावासों को चलाये जाने हेतु आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर लिया गया है ।

आगरा मेडिकल कालेज रेडियोलाजी विभाग में एक्सरे फिल्मों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

134–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा मेडिकल कालेज रेडियोलाजी विभाग को प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जाने वाली एक्सरे फिल्म कैन्सर रोगियों की संख्या को देखते हुये कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिल्मों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत ही प्रति वर्ष एक्सरे फिल्म की संख्या बढ़ायी जाती है ।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल को प्रेषित मृतक आश्रिता स्व0 श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना की पत्नी श्रीमती निशा अस्थाना की नियुक्ति विषयक निर्देश

135–श्री कल्यान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मण्डल वाराणसी को प्रेषित पत्रांक–4 एफ/ए/लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 1988 जिसमें मृतक आश्रिता स्व0 श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना की पत्नी श्रीमती निशा अस्थाना की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किये जाने का निर्देश दिया गया है, का अनुपालन करके क्या निशा अस्थाना की कनिष्ठ लिपिक के पद नियुक्ति कर दी गयी। यदि हां, तो कब से उनकी सेवायें प्रारम्भ हो गयी? यदि नहीं, तो अभी तक नियुक्त न होने का क्या कारण है?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां।

कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रतीक्षित है।

श्री राम नारायण भू0 पू0 प्रधान ग्राम सिधोटी ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के संबंध में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

136–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र

श्री राम नारायण भू0 पू0 प्रधान ग्राम सिधौटी ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां।

बागे नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र हेतु लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए बागे नदी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है।

137–श्री रियाज अहमद–

[दिनांक 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

अंश कालिक चिकित्साधिकारियों का तदर्थ रूप से समायोजन किये जाने की दिशा में कार्यवाही

138–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अंशकालिक चिकित्साधिकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से गत 18/19 जनवरी, 1990 को हुई वार्ता में अंशकालिक चिकित्साधिकारियों के तदर्थ रूप में समायोजना की दिशा में विशेष वाहक से मुख्य चिकित्साधिकारियों के माध्यम से अभिलेखीय सूचनायें मांगी गयी थीं जो शासन को सुलभ करा दी गयी हैं? यदि हां, तो उक्त वार्ता के क्रम में प्राप्त सूचनाओं पर क्या अग्रिम कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां, वार्ता हुई थी किन्तु चिकित्सकों को तदर्थ रूप से समायोजन का कोई निर्णय नहीं हुआ था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री रसपाल प्रधान ग्राम दुरमईमाफी ब्लाक महुवा जनपद बांदा के पत्र के साथ संलग्न राजकीय नलकूप लगवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

139–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री रसपाल प्रधान ग्राम दुरमईमाफी ब्लाक महुवा जनपद बादां के पत्र के साथ राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या टेस्टबोर कराकर राजकीय नलकूप लगवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 7-3-90 उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खण्ड खालिसपुर रजवहा के अधूरे निर्माण के कारण किसानों की फसल नष्ट होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

140—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खण्ड—52 के खालिसपुर रजवहा के अधूरे निर्माण के कारण किसानों की फसल नष्ट होने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मऊ (आजमगढ़) जनपद के घोसी मऊ अस्पतालों पर उपलब्ध कराई गयी एक्सरे मशीन को चालू किये जाने की मांग

141—श्री सुबास—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले कई वर्ष पहले मऊ (आजमगढ़) जनपद के घोसी मऊ आदि अस्पतालों पर एक्सरे मशीन उपलब्ध करायी गयी थी? क्या उक्त एक्सरे मशीन चालू कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

मशीन आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा मशीन की स्थापना व प्रदर्शन न किये जाने के कारण मशीन चालू नहीं की जा सकी।

वाराणसी जनपद के भूपौली पम्प कैनाल को परिष्कृत किये जाने की योजना

142—श्री दया शंकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी जनपद के भूपौली पम्प कैनाल को परिष्कृत किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां। भूपौली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की परियोजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद में कवलपुरा लिफ्ट सिंचाई की योजना एवं उक्त योजना को निकट भविष्य में चालू करने पर विचार

143—श्री दया शंकर—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी जनपद में कवलपुरा लिफ्ट सिंचाई की योजना वर्ष 1967 में बनी थी? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अधीन किसानों का बहुत उपयोगी भू-क्षेत्र लिफ्ट कैनाल के नाम सुरक्षित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को निकट भविष्य में चालू करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी हां, योजना बनाने हेतु अध्ययन किया गया था।

चकबन्दी में भूमि सुरक्षित की गई।

जी नहीं।

परियोजना स्थगित होने के कारण।

प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को डराने धमकाने सम्बन्धी लिखित शिकायत पर कार्यवाही

144–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के महासचिव डा0 जयराम राय द्वारा निदेशक होम्योपैथी द्वारा प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को डराने धमकाने संबंधी कोई शिकायत सचिव चिकित्सा शिक्षा से लिखित रूप से 9 अप्रैल, 1990 को की गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां,

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के लिए नसबन्दी का कोटा एवं एतद् विषयक प्रकिूल प्रविष्टि को विलुप्त किये जाने की मांग

145–श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के लिये नसबन्दी कोटा किस वर्ष से आवंटित किया गया? क्या यह सही है कि उक्त कोटा आवंटित किये जाने के पूर्व की एतद्विषयक प्रतिकूल प्रविष्टि होम्योपैथिक चिकिधिकारियों की चरित्र पंजिका में की गयी है? यदि हां, तो क्या उसे विलुप्त करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को नसबन्दी का कोटा वर्ष 1985-86 से आवंटित किया गया लेकिन इसके पूर्व भी कतिपय मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा नसबन्दी के कोटे आवंटित किये गये । इस आधार पर अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियां गुणावगुण के आधार पर ही विलुप्त की जाती हैं ।

146–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

उप निदेशक होम्योपैथिक शिक्षा के कार्यालय हेतु किराये पर लिया गया भवन

147–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक होम्योपैथिक शिक्षा के कार्यालय हेतु किराये पर भवन ले लिया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन कब किराये पर लिया

गया तथा उस भवन का स्वामित्व किसका है? क्या यह सत्य है कि उक्त भवन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निजी सचिव श्री भदौरिया का है? यदि हां, तो बिना उप निदेशक की नियुक्ति किये ही भवन का किराया देने का क्या औचित्य है?

श्री मुख्तार अनीस–

होम्योपैथिक निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्थानाभाव के कारण दिनांक 16-10-89 से एक भवन किराये पर लिया गया है, परन्तु यह भवन विशेष रूप से उप निदेशक, होम्योपैथिक शिक्षा के कार्यालय हेतु नहीं लिया गया। यह भवन श्री जगदीश चन्द्र भदौरिया का है।

सिंचाई मंत्री द्वारा बसौली से भटगांव जिला अल्मोड़ा में नहर निर्माण हेतु दिए गए आदेश के तहत कार्य पूर्ण कराने की मांग

148–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा मार्च, 1989 के तृतीय सप्ताह में बसौली से भटगांव जिला अल्मोड़ा में नहर निर्माण हेतु आदेश दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त नहर भटगांव तक पूर्ण हो गयी है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त नहर भटगांव तक पूर्ण कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ हेतु रिक्त डिमांस्ट्रेटर्स के पदों पर चयन हेतु वर्ष 1986 में हुआ साक्षात्कार

149–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ हेतु रिक्त 3 डिमांस्ट्रेटर्स के पदों पर चयन हेतु वर्ष 1986 में सम्पन्न हुये साक्षात्कार के बाद उसी सप्ताह में संयुक्त मंत्री उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सक समिति द्वारा एक शिकायती पत्र सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिया गया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जो बिन्दु उक्त शिकायती पत्र में दर्शाये गये थे वे सत्य थे? यदि हां, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन करने का क्या औचित्य है था जिनके विरुद्ध उक्त शिकायतें थी?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं, वर्ष 1986 में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में डिमांस्ट्रेटर के तीन पदों हेतु कोई चयन नहीं हुआ। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जनपद की जेल तथा पुलिस लाइन में चिकित्सालय में अलग-अलग चिकित्सक नियुक्त किये जाने की मांग

150–सैयद लियाकत हुसैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद की जेल तथा पुलिस लाइन में चिकित्सालय में अलग-अलग चिकित्सक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इस सम्बन्ध में कब तक डाक्टर नियुक्त करेगी?

श्री मुख्तार अनीस–

जी नहीं । पुलिस तथा जेल दोनों चिकित्सालयों हेतु एक ही चिकित्सक का पद पुलिस चिकित्सालय में सृजित है, पुलिस चिकित्सालय का चिकित्सक ही जेल का कार्य देखता है ।

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष में आवंटित धन

151–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया और इससे जल प्लावित क्षेत्र की समस्या को कितना दूर किया गया? यदि दूर नहीं किया गया तो क्यों? क्या जलप्लावन दूर करने हेतु नई ड्रेनों का निर्माण किया गया अथवा पुरानी ड्रेनों पर ही धनराशि व्यय की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में विभिन्न लेखा-शीर्षकों के अन्तर्गत आवंटित किये गये धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	4701–निर्माण कार्य	29.43
2.	2701–अनुरक्षण कार्य	34.50
3.	2711–बाढ़ अनुरक्षण कार्य ड्रेन	5.80

लेखा शीर्षक 4701 निर्माण कार्य के अन्तर्गत पर्याप्त धन आवंटन न होने के कारण जल प्लावित क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु नये नालों का निर्माण नहीं किया गया । लेखा-शीर्षक 2711-बाढ़ अनुरक्षण कार्य ड्रेन के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से ड्रेनों के सामान्य अनुरक्षण का कार्य कराया गया है और इस पर कुल रु0 5.79 लाख का व्यय हुआ है। ड्रेनों का सामान्य अनुरक्षण उनसे जल प्लावन में अपेक्षित राहत प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है ।

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष में आवंटित किया गया धन एवं ठेकेदारों तथा दैनिक मजदूरों द्वारा कराया गया कार्य

152–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया? इस धन से जो कार्य कराये गये उनमें कितना कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया और कितना कार्य विभाग द्वारा दैनिक मजदूरों के द्वारा कराया गया?

श्री रेवती रमण सिंह–

सिंचाई खण्ड-प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में 69.45 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई । इस धनराशि से ठेकेदारों एवं अन्य एजेन्सी द्वारा 55.28 लाख रुपये के तथा दैनिक मजदूरों के द्वारा 14.17 लाख रुपये के कार्य कराये गये ।

सिंचाई विभाग के शासनादेश को निरस्त करने एवं वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

153—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या 4117 ए0 वी0/89-सी-29-27-31 एस0 ए0 वी0/89 दिनांक 8-12-89 को निरस्त करने एवं वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-3-90 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस शासनादेश को संशोधित कर जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । उक्त पत्र में उठायी गयी आपत्तियों का विस्तृत परीक्षण कराया जा रहा है । तद्नुसार यथासमय निर्णय लिया जायेगा ।

सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया में कार्यरत बेलदारों की मृत्यु, उनके अवशेषों का भुगतान एवं आश्रितों को सेवायोजित किया जाना

154—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया में कार्यरत किन-किन बेलदारों की फरवरी, 88 में सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी ? क्या उनके आश्रितों को कर्मचारी बीमा, ग्रेच्युटी, बकाया वेतन, अवकाश नकदीकरण आदि अवशेषों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? इनमें से किन-किन व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित नहीं किया गया ? इसके क्या कारण हैं और और उन्हें कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई खण्ड—प्रथम बलिया में कार्यरत केवल एक बेलदार श्री राम सिंहासन राय की सेवा में रहते हुए 14 फरवरी, 1988 को मृत्यु हुई थी ।

उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है ।

स्व0 राम सिंहासन राय के आश्रित को सेवायोजित नहीं किया गया है।

मृतक के किसी आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः सेवायोजित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

155—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

[उरे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 में सरकारी राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्रियों पर बढ़ाई गयी कीमतें एवं ग्रामीण/शहरी कार्डधारकों को चीनी देने का राशन स्केल

156—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में सरकारी राशन की दुकानों में किन-किन खाद्य सामग्रियों की कीमतें मार्च, अप्रैल, 1990

में बढ़ायी गयी है तथा कार्ड धारकों को (ग्रामीण/शहरी) को कितनी चीनी मिलती है ? क्या राशन की दूकानों पर सूची के अनुसार सभी वस्तुयें उपलब्ध नहीं रहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से बिकने वाले किसी भी खाद्य सामग्री (गेहूं, चावल, चीनी तथा आयातित खाद्य तेल) की कीमतें माह मार्च/अप्रैल, 1990 में नहीं बढ़ाई गई हैं ।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों के लिए चीनी का राशन स्केल निम्नवत् निर्धारित है :–

(1) मैदानी जनपदों के शहरी एवं पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में : 1 किलो ग्राम प्रति यूनिट

(2) मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में : 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह

राशन की दुकानों पर सभी अनुसूचित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश हैं । दुकानदार उपभोक्ता की मांग के अनुसार सामग्री उठाते हैं ।

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति सूची से कुछ अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नति से वंचित कर दिया जाना

157–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन सिंचाई अनुभाग–2 के विज्ञप्ति/तदर्थ प्रोन्नति संख्या 3635/दो-89-23 सिं0-2-65/87 लखनऊ की प्रोन्नति सूची से कुछ अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया है तथा कनिष्ठ अवर अभियन्ताओं को तदर्थ प्रोन्नति दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1989-90 तक सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के कितने पद रिक्त हैं ? उल्लिखित पदों को कब तक भरा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

चयन वर्ष 1989-90 (जून, 1990) तक अवर अभियन्ता से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति हेतु 149 पद रिक्त हैं ।

उपरोक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को निर्देश भेजा जा चुका है ।

सरकार द्वारा घोषित सीमेन्ट की प्रति बोरी की कीमत एवं बढ़ाये गये मूल्य

158–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित सीमेन्ट की प्रति बोरी कीमत वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट के वर्तमान मूल्य कब और कितने बढ़ाए गए ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमेन्ट के मूल्य एवं वितरण पर से दिनांक 1 मार्च, 1989 से नियंत्रण हटा लेने के बाद राज्य सरकार का सीमेन्ट के मूल्य पर अब कोई नियंत्रण नहीं है। सीमेन्ट का स्वतंत्र व्यापार है और निर्माताओं/व्यापारियों द्वारा इसके मूल्य, मांग और आपूर्ति के सिद्धान्त पर स्वतः निर्धारित होते हैं।

159–श्री राम प्रसाद सिंह–

[3रे सोम में अता0 प्र0 सं0 186 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

श्री एस0 के0 मिश्रा, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद के निलम्बन/बहाली के मामले में शासनादेश का उल्लंघन

160–श्रीमती सिया दुलारी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि निलम्बन/बहाली से संबंधित कार्मिक विभाग के समस्त शासनादेशों का उल्लंघन माह अप्रैल, 1987 में निलम्बित सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद (श्री एस0 के0 मिश्रा) के मामले में किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री रेवती रमण सिंह–

श्री एस0 के0 मिश्रा, सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, इलाहाबाद के निलम्बन/बहाली के मामलों में किसी भी शासनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अतः इसके लिए किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक में ढेंचा स्थान पर रिंग बांध के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

161–श्री राम बचन धुसिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक में ढेंचा स्थान पर रिंग बांध के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

162–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

महान सन्त देवरहा बाबा एवं पंडित श्री राम शर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, आज सदन को सूचित करते हुए मुझे महान दुख है कि पूजनीय देवरहा बाबा जो हमारे भारत के महान संत थे वह हमारे बीच से चले गये। उनकी महिमा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का वर्णन करना सम्भव नहीं है । ऐसे महान संत कभी-कभी पैदा होते हैं । मैं उनसे दो बार मिला था । लेकिन अफसोस है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने कई बार इच्छा जाहिर की, हमसे बात करने की । एक बार व्यस्तता के बावजूद मैंने अपनी तरफ से सिंचाई मंत्री जी को भेजा था । तब भी उन्होंने उनसे कहा कि वो क्यों नहीं आया । मेरे प्रति उनका बहुत प्यार था और उन्होंने कई मौकों पर कई अवसरों पर यह कहा कि विश्व में कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता है । जो धर्म झगड़ा कराते हैं वह धर्म को बेचते हैं । यह उनकी नीति थी, भावना थी, विचार था । उन्होंने इस देश को ऐसे अलौकिक विचार दिये, ऐसी समाज की सेवा की है जो विश्व के लिए अतुलनीय है । उनकी उम्र के बारे में, जब मैं कल उनके अंतिम दर्शन करने गया तो वहां एक 90 वर्ष के बैठे थे, वह कह रहे थे कि 50 वर्ष पहले भी मैंने इन्हें इसी तरह देखा था । आज भी कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र कितनी थी । आज हमारे बीच से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंक्ति कम होती चली जा रही है । ऐसे मौके पर हमारे महान देश के जो संत हैं वह मारे बीच से उठते चले जा रहे हैं । मान्यवर, अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि पंडित श्रीराम शर्मा जो बहुत बड़े संत थे, हरिद्वार में उनका निधन हो गया । ऐसे संतों का हम लोगों से अलग होना, हमारे बीच से उठ जाना हमारे देश के लिए बहुत ही अशुभ है । जो अध्यात्मवादी हैं, जो परमात्मा में विश्वास करते हैं उनके आज दिल और नेत्र भरे हुए हैं । उनका देवरहा बाबा नाम इसलिए पड़ा कि वे देवरिया के रहने वाले बताये जाते हैं । बस्ती में उनका जन्म बताया जाता है। उनके जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, उम्र के बारे में किसी को कुछ भी ठीक से नहीं पता । ऐसे महान संत हमारे बीच से चले गये, जो हमारे लिए आदर्श बने हुए थे । उनके जो सिद्धान्त, विचार और जो भी उपदेश थे वह प्रेरणादायक बनेंगे । उन्होंने कहा था कि जो इन उपदेशों का पालन करेगा वह अपनी मौत पर विजय प्राप्त कर सकता है और उन्होंने यह करके दिखाया । उन्होंने अपनी तरफ से समाधि ली, ब्रह्म समाधि ली और एकादशी के दिन ब्रह्मविलीन हो गये । इस महान संत की क्षति पूर्ति होना असंभव है, संभव हो भी नहीं सकता है । इस महान संत के निधन से हम सबको दुख है विशेषकर हिन्दू समाज को, जिनके लिए वह पूजनीय बन गये थे । आज उनके समर्थक अनुयायी दुखी हैं । कोई भी चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन संत सबका होता है । संत एक धर्म विशेष के नहीं होते हैं ।

मान्यवर, उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया । साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए वह सबसे ज्यादा दुखी थे इसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूं और बताना उचित भी नहीं समझता हूं । कई बार मुझे उनका संदेश मिला साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के लिए, मुझे अफसोस है मैं उनसे शीघ्र मिलने वाला था, उनके कहने पर भी मैं उनसे सीधे नहीं मिल पा रहा था, उनसे मैं नहीं मिल पाया इस बात का मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा, वह चाहते थे कि मैं उनसे जल्दी मिलूं लेकिन मैं नहीं मिल सका । मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूं मैं जानता हूं कि सारा सदन बहुत दुखी है मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धान्जली अर्पित करता हूं । उनका परिवार तो पूरा देश है पूरा समाज है उनके प्रति संवेदना पूरे देश के लिए भेजें यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो उद्गार जो भावनायें, महानतम व्यक्ति की आत्मा के लिए, जो ब्रह्मविलीन बाबा देवरहा के बारे में व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को, वैसे वह दल की परिभाषा में नहीं आते हैं जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वह इस देश की परिभाषा और अध्यात्मवाद की परिभाषा में पूरे विश्व की परिभाषा के ऊपर जो परिभाषा बनती है, उसमें आते हैं । वह बस्ती में जन्में, काशी में तपस्या की, उन्होंने रामानुजाचार्य के विचारों और भावनाओं से जुड़कर अध्यात्मवाद को जगाने का प्रयास किया । वैष्णों सन्तों की परिभाषा को उन्होंने स्वीकारा । जल योग में उनकी जो रुचि थी उससे पूरा प्रदेश परिचित है यह देश धार्मिक मान्यताओं का देश है और यह प्रदेश उसी से जुड़ा है । यह देश ऋषि मुनियों सूफी एवं सन्तों का देश है ऐसी महानतम विभूतियों के न रहने से देश में जो क्षति हुई है वह अपूर्णनीय क्षति है, जो उनका संदेश सदाचार मानवता की रक्षा करना इस बारे में था, ऐसी चीजों की शिक्षा देते हुए वह सम्भल बने प्रदेश और देश के जनमानस के लिए । जैसा कि माननीय नेता सदन ने अपने विचार व्यक्त किये कि आज समाज में जो दुरुहता आ रही है जो साम्प्रदायिक सौहार्द पर चोट हो रही है वह चोट तभी रुकेगी जब ऐसे मनीषी जिन्होंने इंसानियत को, मानवता को स्वीकारने का संकल्प लिया उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में, समाज में, देश और प्रदेश में स्वीकारेंगे । मान्यवर, शर्मा जी के बारे में आपने जो उद्-गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । गायत्री संस्थान को उन्होंने चलाया । जो गायत्री महामंत्र है जिसके माध्यम से हम हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग इस परिभाषा से जुड़ते हैं कि यह महामंत्र है, शक्ति इसके परिभाषित होने से समाज और वातावरण स्वच्छ होगा । समाज और वातावरण में शांति तथा शुचिता आयेगी, देश तथा पूरे मानव जगत के अन्दर शांति के संदेश का, विकास और शांति के संदेश का निर्माण होगा । गायत्री संस्थान के वह मनीषी आज हमारे बीच में नहीं हैं । हम अपने दल की ओर से और उनके अनन्य शिष्यों और शिष्यों की परिभाषा में मानव जगत के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं । मेरी प्रार्थना और संवेदना आपके माध्यम से देश और प्रदेश को उपलब्ध होगी ।

*श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, आज देवरहा बाबा के निधन के सन्दर्भ में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन और माननीय उप नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनके साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । हम सब जानते हैं कि देवरहा बाबा एक पहुंचे हुये संत थे, महायोगी थे । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं इस कारण से हम सब लोग बहुत दुखी हैं । मान्यवर, संतो की एक परम्परा रही है अपने देश में और उस परम्परा में से आज के युग में कदाचित सर्वश्रेष्ठ संत देवरहा बाबा थे । उनके उठ जाने से पूरे देश को और आज की ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत क्षति हुई है । कदाचित राजनेता तो 2-4-6-10 साल में बन जाया करते हैं लेकिन एक संत बनने और उनके स्तर का संत बनना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वास्तव में बड़ी तपस्या और साधना का प्रतिफल होता है और उसमें बहुत बड़ा समय लगता है । जैसा कि माननीय नेता सदन तथा माननीय उप नेता विरोधी दल ने कहा, हमारा देश धार्मिक मान्यताओं का देश है और धर्म की जब बात आगे चलती है तो वह किसी मत, सम्प्रदाय या मजहब से ऊपर होती है । धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा है ।

"धारियते इति धर्मा"

जिससे जीवन, सृष्टि और मानव मात्र का धारण होता है हमारे यहां उसी को धर्म कहा गया है ।

मान्यवर, दुनियां में बहुत बड़े-बड़े देश हुये हैं जो उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचे हैं । चाहे वह रुमानियां हो या बेबोलोनिया हो एक समय होगा जब वहां की संस्कृति सर्वोपरि थी लेकिन आज उसका नामोनिशान नहीं मिलता है । उसके बारे में केवल किताबों में पढ़ने को मिलता है, जीवित अवस्था में वह नहीं है। दूसरी तरफ हमारे देश, भारत के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक बार बाहरी आक्रमण सहे हैं उसके बावजूद भी यहां की संस्कृति आजतक अक्षुण्ण है । मैं जब इसके बारे में सोचता हूं कि इन दोनों में कोई मौलिक कारण या कोई मूलभूत आधार होगा कि ऐसा क्यों है तो मुझे लगता है कि कदाचित जिन देशों की संस्कृतियां जो उस जमाने में उन्नति के शिखर पर थी और आज दिखायी नहीं देती हैं वह इसलिये मिट गयीं कि उस काल की सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त था । मेरे देश की संस्कृति, जिसने अनेक उतार चढ़ाव देखे और अनेक बाहरी आक्रमण सहे हैं, इसलिये जिन्दा है कि सन्तों का मार्गदर्शन उसको प्राप्त होता रहा है । सत्ता का संरक्षण अस्थायी होता है, संतों का मार्ग दर्शन एक स्थायी रोल के रूप में हमारे सामने रहता है । उसी प्रकार की संत परम्परा में से देवरहा बाबा थे । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, इस क्षति को परमात्मा कैसे पूरा करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनके उठ जाने से सभी को क्षति हुई है। यह भी सच है कि उनको किसी समुदाय का संत कहना, किसी स्थान विशेष का संत कहना, उनके जैसे महान व्यक्ति को सीमित कर देना है । श्रीमन् संत समुदाय न किसी जाति का और न किसी समुदाय का होता है, वह देश की परिधि से उठ कर सार्वभौमिक होता है, वह काल की परिधि से उठकर सर्वकालिक होता है, वह सार्वजनीय होता है । उस प्रकार के संत देवरहा बाबा आज हमारे बीच में नहीं हैं । आज समाज को इससे प्रेरणा मिलती है । आज लाखों उनके भक्त, उन्हीं में से हम भी हैं, सभी दुःखी हैं । इस दुखद समय में परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। श्रीमन इस पूरे देश और समाज को जो कुछ गहन दुःख उनके निधन से हुआ है, परमात्मा उसको सहन करने की शक्ति जनता को दे । उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री सुलेमान—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता विरोधीदल श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी श्री कल्यान सिंह

जी तथा सभी सदस्यगण, अभी माननीय नेता सदन ने परम आदरणीय स्वर्गीय बाबा देवरहा जी के निधन के बारे में सदन को सूचित किया है, वैसे तो कुछ कल भी अखबार के जरिये मालूम हुआ कि बाबा देवरहा हमारे बीच में नहीं रहे। हकीकत में पूरे प्रदेश और पूरे देश को उनके निधन से गहरा दुःख पहुंचा है। इस तरह के संत, महात्मा, सूफी सारे मजहबों के अन्दर पैदा हुए, मजहब जरूर अलग थे, लेकिन रास्ते सबके एक थे। परम आदरणीय देवरहा बाबा ने यह रास्ता हम लोगों को दिखलाया कि हम सब एक सूत्र से बंधकर, एक साथ चल कर रहें, जिस तरीके से एक माला के अन्दर बहुत सारे फूल लगे होते हैं, और गले में पड़ कर हमें खुशबू देते हैं, उसी प्रकार से संत देवरहा बाबा थे। मैं चाहता हूं कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हम उनके बताये हुए रास्ते पर चलें। मैं उनके परिवार के दुःख में बराबर का शरीक हूं तथा सारा देश तथा उनको मानने वाले पूरे देश के लोगों के दुःख में मैं बराबर तक शरीक हूं। मैं परम आदरणीय बाबा देवरहा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने दल की तरफ से उनको खिराजे अकीदत पेश करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि उनके अनुयायियों को तथा पूरे देश के लोगों को, जो अब अनुयायी हैं, मेरी शोक-संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, देवरहा बाबा के हम लोगों के बीच में न रह जाने से मुझे और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक कष्ट है। मान्यवर, देवरहा बाबा एक महान सन्त, महायोगी, महान तपस्वी थे। उनके बारे में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय उप नेता कांग्रेस दल ने, माननीय नेता भा0 ज0 पा0 कल्यान सिंह जी और माननीय शेख सुलेमान जी ने व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, देवरहा बाबा के अपने बीच में न रह जाने से इस समाज को पूरे देश को और पूरी मानवता को अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध है कि उनके समस्त अनुयाइयों का हम लोगों का हार्दिक दुख पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, महान सन्त देवरहा बाबा हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता भा0 ज0 पा0, नेता बी0 एस0 पी0, नेता सी0 पी0 आई0 ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अपने और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मरना किसी न किसी दिन सबको है किन्तु देवरहा बाबा की उम्र के बारे में तरह तरह की चर्चाएं सुनी जाती थीं और यह निश्चित नहीं हो पाया कि देवरहा बाबा के ब्रह्मलीन होते वक्त कितनी उम्र थी। आज उनके निधन से उनके अनुयाइयों को, उनके प्रति आस्था रखने वालों को गहरा दुख है। मैं अपने को और अपने दल को उनके इस दुख में सम्मिलित करता हूं और देवरहा बाबा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मान्यवर, मेरा दुर्भाग्य ही था कि माननीय देवरहा बाबा का कभी दर्शन नहीं किया हालांकि वह वाराणसी में भी आये हुए थे, वहां कई दिनों तक कैम्प लगाया था

और उनके पास ही हमारा आफिस भी था। लेकिन मुझको कभी उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिला। मान्यवर, उनके निधन से उनके भक्तजनों और उनके अनुयाइयों को काफी ठेस पहुंची है। मान्यवर, वह पहले देवरिया में लार में रहते थे वहां पर भी उनका बहुत बड़ा आश्रम था, वहां पर उनके किसी अनुयाई की हत्या कर दी गयी थी, उससे दुखी होकर वह वृन्दावन चले गये थे और वहां रहने लगे थे। मान्यवर, सचमुच उनके निधन से हमारे देश के भक्तजनों को क्लेश हुआ है, हार्दिक धक्का लगा है। मैं उसमें अपने को शामिल करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके अनुयाइयों को, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोगों को मेरी तथा मेरे दल की ओर संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, उप नेता विरोधी दल, अन्य दलों के नेतागण, सम्मानित सदस्यगण, भारत के करोड़ों हिन्दू धर्मावलम्बियों के आराध्य सन्त देवरहा बाबा आज दो दिन पूर्व वृन्दावन में ब्रह्मलीन हो गये। उनकी अवस्था के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कोई निश्चित जानकारी नहीं है। उनके अनुयायीगण यह निश्चित रूप से कहते हैं कि उनकी आयु उनकी जानकारी में डेढ़ सौ वर्ष के ऊपर तो थी ही और अधिक जितनी भी हो, उसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इधर कुछ दिनों से देवरहा बाबा यमुना के किनारे वृन्दावन में रहने लगे थे। जैसा कि मालूम हुआ कि उनका बस्ती में सरयू के तट पर जन्म हुआ और वे देवरिया में जाकर रहे। उनके एक अनुयायी की हत्या के कारण वे वहां चले गये। लेकिन, जितने दिनों तक वे रहे, अपने समय के सबसे बड़े संत माने जाते रहे। ऐसा नहीं है कि उनकी ख्याति अभी आयी हो। बहुत पूर्व में भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा गांधी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और अन्य बहुत से बड़े-बड़े महानुभाव उनके पास आशीर्वाद लेने जाते रहे। जैसा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे किसी धर्म के मानने वाले नहीं थे। रामानुज पंथ के जरूर थे, लेकिन मानवता के पुजारी थे। एक बार मैंने स्वयं देखा कि हिन्दू धर्म के अतिरिक्त और धर्मों के लोग भी उनके पास जाते थे और उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। निश्चित ही भारत ऐसे देश में, जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वहां ऐसे महान संत का निधन हो जाने से हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं निश्चित रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि सभी दलों के नेताओं ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन सभी से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं यही आशा करता हूं कि, एक तरह से संदेश भी देता हूं कि सारे देश और सारी मानवता, जो इस धरती पर है, उस पर उनके विचारों का प्रभाव पड़े और हम सभी में सद्बुद्धि रहे और हम सब मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहें। अब मैं अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी मा0 सदस्यों ने अपने स्थान पर मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया बैठिये।

दिनांक 7 मार्च, 1990 को स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निधन पर सदन में हुये हंगामें की घटना के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सदन ने कई ऐसे स्वर्णिम दिन देखे हैं, जब इतिहास बना है, लेकिन गत सत्र के अंतिम दिन 7 मार्च को इस सदन का ऐसा दुखद दिन था जिस दिन बहुत से विरोधी दल के विधायकों की आत्मा और मन को पीड़ा पहुंची है। मैं उस संदर्भ में पहले भी कहना चाहता था, परन्तु एक दुखद घटना के कारण आप यहां उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए आज यहां पर कह रहा हूं। आप जिस आसन पर विराजमान हैं, उस पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जैसे व्यक्ति आसीन रहे हैं। लोकतंत्र में कोई सत्ता में बैठता है तो कोई विपक्ष में बैठता है। आपकी यह पीठ पूरे सदन के सभी विधायकों को संरक्षण देती है, लेकिन विपक्ष आपसे यह अपेक्षा जरूर करता है कि आप उस पीठ पर बैठकर न्याय की तुला उठाएंगे तो विपक्ष को पहले संरक्षण देंगे ताकि सत्ता में बैठे लोग मदान्ध होकर ऐसे कार्य न करें जिससे कि हम अपने कार्य ठीक से न कर पाएं। विशेषकर विपक्ष में बैठे लोगों का यह नैतिक दायित्व होता है कि प्रदेश में अगर कहीं कोई घटना होती है, कहीं जुल्म होता है, कहीं कोई तबाही होती है, तो उस आवाज को उठाना विपक्ष का पहला नैतिक धर्म होता है और उस फर्ज को हम तब तक अंजाम नहीं दे सकते, जब तक हम लोगों को आपका संरक्षण न मिले। कभी-कभी लोग अपनी बात नहीं कह पाते और उनसे गलत कदम उठ जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 7 मार्च का वह दिन, एक काला दिन था, क्योंकि उस दिन हमारे एक नेता श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित नहीं रहे थे, जो विधान परिषद् के सभापति भी थे, और हमारे नेता भी थे, साथी भी थे, हम सभी उनकी मृत्यु से दुखी थे, हम सभी को कष्ट था। हम सभी यह चाहते थे कि उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। लेकिन सत्ता पक्ष उस दिन अपने बजट को पारित कराना चाहता था और हम लोग यहां अपनी भावनायें रखना चाहते थे। उस दिन कुछ बातें हुयी और कुछ ऐसी स्थितियां भी बनीं और अत्यन्त दुरूह स्थिति उत्पन्न हो गयी।

मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं और इस बात का मैं भी हामीगीर हूं कि सदन नियमों से चले, ठीक से चले। लेकिन उस दिन कुछ गम्भीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं, लेकिन गलतियां अगर छोटों से हो जायें, तो अलग बात है और वह स्वाभाविक है, लेकिन अगर उस पीठ पर बैठकर आप आक्रोश में आ जायें, तो विपक्ष कैसे अपने कर्तव्य का पालन कर पायेगा, हम कैसे जनता के अधिकारों के प्रति संघर्ष कर पायेंगे, यह एक महत्वपूर्ण बात है। हम सभी को इस बात की पीड़ा है, हम सभी को दुख है कि हम लोगों को आपकी ओर से पूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, मैं चाहूंगा कि आप कृपया उस स्थिति को स्पष्ट कर दें, जिन परिस्थितियों में ऐसी बात यहां हुयी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य, विशेषकर हमारे दल का सदस्य कभी भी इस पीठ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रति अवमानना का भाव नहीं रखता है बल्कि इसके प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखता है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उन परम्पराओं का निर्वाह इस पीठ पर बैठकर करें, जिनको राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने स्थापित किया था।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

अभी हमारे साथी सदस्य, प्रतापगढ़ ने जो सूचना दी थी, पर विचार व्यक्त किये। मान्यवर, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। यह सदन नियमों से चले और आपके माध्यम से नियमों, परम्पराओं की रक्षा हो, यह जरूरी है। कोई भी सदस्य, चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, सभी को इनका अनुपालन करना पड़ता है और करना भी चाहिए, संसदीय जनतंत्र में यह एक अहम बात है। लेकिन कभी-कभी नये सदस्य साथी, जाने अनजाने में, नियमों की परिधि से हटकर, सदन की पुरानी प्रक्रियाओं से हटकर, अपनी जनमानस की समस्याओं को, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तथा शासन तंत्र और प्रदेश की जनता तक इसे पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। जिस प्रकरण को यहां पर उत्तरित किया गया है, वह अच्छा नहीं है और उसे आप भी अच्छा नहीं कहेंगे। साथ ही संसदीय जनतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी सदस्य ऐसे प्रकरण को अच्छा नहीं मानता। कभी-कभी सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट उत्तर न आने के कारण सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से आप उसे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी प्रदेश में ऐसी ज्वलंत घटनायें हो जाती हैं, जो मानव स्वभाव के अनुसार आदमी में क्षोभ पैदा करती हैं और व्यक्ति जन प्रतिनिधि होने के नाते कुछ आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है। हम कांग्रेस के लोग संसदीय जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। संसदीय जनतंत्र का तकाजा तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक हम इस आदरणीय सदन की मर्यादा को सुनिश्चित नहीं करेंगे। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्यवाही चले, नियमों के अनुसार चले। जैसा कि नियमों के बारे में पिछले दिनों हमारे फैजाबाद के सम्मानित सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने अपने विचार प्रकट किए थे। उस दिन हमारे दल के माननीय सदस्य भी उसी प्रकार का भाव सदन में रखना चाहते थे, किन्तु आपकी पीठ से दृष्टि न पड़ने के कारण व समयाभाव के कारण वह अपने भाव नहीं रख पाये।

हमारा यह सदन गरिमामय है, जनाकांक्षाओं का यह सदन है, जम्हूरियत में जनतंत्र की यह वेदी है, जिसमें हम प्रदेश की जनभावनाओं को व उनकी समस्याओं को सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठकर विचार-विनिमय के माध्यम से, आलोचना और समालोचना के माध्यम से रखते हैं। यह जमहूरियत में जनतांत्रिक प्रणाली का एक मंच है। इस पीठ में तमाम लोग रहे हैं, उन्होंने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, आप भी निर्वहन कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि आपकी पीठ की तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो शंका का समाधान भी आप ही कर सकते हैं। जिस तारीख को यह घटना हुई, यदि कोई माननीय सदस्य हमारे दल का आपकी पीठ की तरफ आया है तो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। यदि कोई आवेशवश भी आपकी पीठ की तरफ आया हो तो वह अनुचित है। मैं क्षमा मांगने में विश्वास करता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि जमहूरियत में, प्रजातंत्र में क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं

है। यह अहंकार की पृष्ठभूमि जनतंत्र में नहीं है। जनभावनाओं व उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम आपसे कहेंगे और मुख्य मंत्री जी से कहेंगे, यदि हमारे दल का कोई सदस्य आपकी पीठ की तरफ उस दिन बढ़ा हो, यद्यपि उनकी ऐसी कोई नियति नहीं थी, फिर भी मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। उस दिन स्व0 श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित जी के लिए जो दर्द हमारे दिल में था, सदन के अन्य माननीय सदस्यों व माननीय नेता सदन को हमसे कम दर्द न था। हम लोग उनके जीवन से बहुत दिनों तक जुड़े रहे हैं। हम उम्र में छोटे हैं, माननीय नेता सदन तो उम्र में काफी बड़े हैं, उनका सहचर्य तो उनके साथ ज्यादा रहा है क्योंकि राजनैतिक जीवन में अवश्य एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, भले ही उनकी विचारधारायें अलग रही हों, नीतियां भिन्न रही हों। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण से जुड़े हुए दूसरे सदस्य भी हैं, मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता और न ही हम चर्चा कर सकते हैं, वे भी हमारे जनतंत्र के अंग हैं, इस परिसर के बाहर किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, उन्होंने भी इस पर क्षोभ व्यक्त किया है।

मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपने विचार रखेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है और न ही हमारे दल की कोई मनोभावना है। हमारा दल चाहता है कि सदन सुचारु रूप से चले, सदन में बजट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, आलोचना हो, समालोचना हो। माननीय नेता सदन भी चाहते हैं। हम जो कटौतियां रखते हैं, उसमें जो सुझाव दिये जाते हैं, उससे शासन को मजबूती मिलती है और जो खामियां होती हैं, उन पर शासन की दृष्टि जाती है। इसका और कोई दूसरा रूपान्तर नहीं है। इस खेदजनक विषय पर आप अपने विचार स्पष्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रतापगढ़ एवं माननीय उप नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किए हैं।

(माइक खराब होने के कारण श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य को किसी दूसरे माइक पर आने के लिए अनुरोध किया गया।)

मान्यवर, जहां तक 7 मार्च की घटना का प्रश्न है निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना थी संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में लेकिन संसदीय लोकतंत्र में ट्रेजरी बैन्चेज और विपक्ष दोनों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जिस प्रकरण को लेकर उस दिन घटना हुई, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र तभी सफलतापूर्वक चलता है जब नियमों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परम्पराओं और आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होती है। हम उनके अनुपालन का मन बनाते हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है जब भी कोई संवेदना, श्रद्धांजलि का या धन्यवाद देने का प्रस्ताव आता है तो लोकतंत्र की परम्परा है कि सर्वसम्मति से इस तरह का प्रस्ताव आता है। उस दिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि सारे दलों के नेताओं से सम्पर्क करके और नेता, सदन से सम्पर्क करके एक प्रस्ताव लाने की बात होती।

जब भी इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो परम्परा यह होती है कि वे प्रस्ताव सर्व-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मति से या तो नेता, सदन पेश करते हैं या संसदीय कार्य मंत्री पेश किया करते हैं। उस दिन सही बात तो यह है कि सभी पक्षों की तरफ से गलती हुई। जहां तक आपका प्रश्न उठता है, आपकी पीठ से आज्ञा आप तभी दे सकते थे जब कि आपको यह सूचना होती कि सारे दलों के नेताओं ने मिलकर सहमति कर ली है कि स्वर्गीय दीक्षित जी पर श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आना है। दूसरी बात, अगर नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाना चाहते तो निश्चित रूप से आप उनको अनुमति देते लेकिन संसदीय लोकतंत्र में कहीं भी अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार को किसी विशेष अवसर पर विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करे। विपक्ष द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव लाने की परम्परा नहीं रही है। इस तरह का प्रस्ताव नेता, सदन या संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आता है। जहां तक विपक्ष के लोगों को व्यथा हुई तो जब संसदीय परम्पराओं से हटकर कोई काम करने का प्रयास करेंगे तो किसी न किसी को ठेस तो लगेगी और जब किसी को ठेस लगेगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। जो कुछ भी हुआ था, आपकी पीठ सारे लोगों की संरक्षक है। यह सही है कि संसदीय लोकतंत्र में नेता, सदन और नेता, विरोधी दल की स्थिति उन प्रकाश स्तम्भों की होती है जिनके प्रकाश और आपके मार्गदर्शन में सारा सदन चलता है। उस दिन नेता, विरोधी दल नहीं थे। नेता, विरोधी दल में मेरा पूर्ण विश्वास है, जहां तक संसदीय पद्धति की बात है, जब हम लोग उधर बैठते थे और वह नेता, सदन थे तब भी मैं यही कहता था कि संसदीय लोकतंत्र में मैं उन्हें इस युग का भीष्म पितामह मानता हूं। अभी लोकसभा में भी इसी तरह की घटना हुई, वहां पर भी ऐसा ही हुआ लेकिन विपक्ष ने कभी अड़ंगा नहीं डाला कि पहले कन्डोलेन्स कर ली जाय। अगर नेता, विरोधी दल उस दिन मौजूद होते तो वह इन लोगों को रोकते और इस विषय पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाने की बात करते। तो श्रीमन्, जो कुछ हुआ वह एक दुखद प्रकरण है, आपकी तरफ से कोई भी बात आवेश में आयी तो निश्चित रूप से वह क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आखिर आपके आसन पर बैठने वाला व्यक्ति भी इन्सान होता है और उसका भी एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। अभी माननीय सदस्य प्रतापगढ़ और माननीय उप नेता विरोधी दल ने कहा कि वे सारे सदन की भावना से सहमत हैं और उस दिन की घटना पर पटाक्षेप करना चाहते हैं। श्रीमन्, लोकतंत्र में राफल संचालन के लिये हर व्यक्ति शपथ लेता है कि हम कोई बात कहेंगे तो नियमानुकूल कहेंगे, संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। हमारी विधान सभा के सदन का एक गौरवशाली इतिहास है जिसको कि कायम रखने के लिये हमें उसे फिर रिवाइन करना चाहिये।

हम धन्यवाद देते हैं अपने विपक्ष के साथियों को कि जिन्होंने महसूस किया कि उस दिन गलती हुई थी और वास्तव में वह गलती थी और उसके रिएक्शन में हमारी तरफ से भी गलती हुई और आवेश में बातें सामने आयीं लेकिन इस सदन का गौरवशाली इतिहास है जिसे हमें अक्षुण्य रखना है, संसदीय परम्पराओं को गौरवशाली बनाना है। हम सारे लोग उस बात को भूल कर नये इतिहास को जोड़ें, यह उचित होगा।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मा० प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय उप नेता अरुण

कुमार जी ने और माननीय तिवारी जी ने 7 मार्च की घटना के संबंध में आज जिक्र किया । उस दिन मैं बाहर था पटना में एक राजनीतिक कार्य के लिए गया था, मैं भी नहीं था और माननीय नेता विरोधी दल भी नहीं थे । जो कुछ घटना घटी उसके संबंध में बिना आपकी अनुमति के मैंने नेता विरोधी दल से भी निवेदन किया था और इस बात की मुझे खुशी है है और मैं सराहना करता हूं कि मा0 उप नेता जी की और मा0 तिवारी जी की भी कि उन्होंने खुद ही उस घटना पर अफसोस जाहिर किया है और क्षमा तक मांगी है अपने सदस्यों की ओर से, यह उनका बड़प्पन है ।

मैंने हमेशा स्वीकार किया है, मैं मानता हूं कि वही अपनी भूल स्वीकार करता है जो बड़े मन का होता है और बड़े दिल का होता है । बड़े दिल के लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, छोटे मन वाला व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वह छोटे मन का होता है । इसके लिये मैं मा0 उप नेता विरोधी दल की और मा0 प्रमोद तिवारी जी को बधाई देता हूं कि सदन की गरिमा को कायम रखने के लिए उन्होंने सच्ची बात कही ।

जहां तक सत्ता पक्ष की मदान्धता का सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मदान्धता की थी आपको उसका नतीजा मिल गया है । मैं वैसी मदान्धता कभी नहीं कर सकता । हमारी सरकार मदान्धता में नहीं आयेगी । जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी कह रहे थे कि यह सदन नियमों से चलता है । हमने जब बात की, आपने कहा कि हमारी नियत नहीं थी, हम सोच कर कि इस कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय सदस्यों के लिये यहां पुलिस या फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे सभी सदस्य, सम्मानित सदस्य हैं, इसलिये हमने इसमें ढील दी । सारे गार्ड्स को मना कर दिया कि किसी सदस्य को हाथ न लगायें । फिर भी चाहे आपकी तरफ से या या माननीय सदस्यों की तरफ से जो हुआ । यह सदन नियमों से चलता है, माननीय तिवारी जी नेता हैं उन्होंने जो बात अभी रखी है, इससे हमारे विपक्षी दल के लोग बुरा न मानें, जो परम्परा रही है, अध्यक्ष पीठ से निर्णय हुए हैं, उसे मानना चाहिए । सदस्यों को अवगत नहीं कराया गया, यह भूल हो गयी । इससे आपके मन में कोई ठेस है तो उसे आप बड़ा मन बनाकर उसे निकाल दीजिये ।

हमारा विश्वास है कि सरकार के प्रति अपना दायित्व आप निभायेंगे और मैं निवेदन करता हूं कि विपक्ष को आपकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी और उनको पूरा संरक्षण मिलना चाहिए । आपकी वाणी से जो विपक्ष को ठेस पहुंची है, आप उसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे और इस अध्याय को यहीं समाप्त करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, मा0 उपनेता विरोधी दल, मा0 अन्य नेतागणों तथा सम्मानित साथियों, आज एक ऐसा दिन है जिसमें सदन के अध्यक्ष के बारे में भी कुछ विचार सदन में व्यक्त हुए हैं । मैं यह समझता हूं कि इस पीठ पर बैठने वाले, अध्यक्ष के लिए इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि जिसको सर्वसम्मति से विश्वास प्राप्त हुआ हो, उसके बारे में किसी दिन भी, भावनाओं से या वाणी से ऐसा अनुभव भी हो कि आपका हमारे प्रति विश्वास नहीं है ।

सही बात यह है कि इस सदन का कोई भी सदस्य चाहे इस दल का हो या उस दल का हो, वह स्वतंत्र है । अगर उसका विश्वास अध्यक्ष की निष्पक्षता के बारे में बात उठाता है तो अध्यक्ष को उस पीठ पर नहीं रहना चाहिए । अब आप लोगों ने विशेषकर आप उप नेता ने मा0 प्रमोद कुमार जी ने और मा0 नेता सदन ने भावुकता में इस तरह के विचार व्यक्त किये, इस पर अधिक बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि आपका तो हमारे प्रति विश्वास है उसी तरह से हमारा भी आपके प्रति विश्वास होना चाहिये । हमारे जितने सभी माननीय सदस्य हैं सभी का उस पीठ पर विश्वास होना चाहिए ।

एक बात आपको बता दूं कभी-कभी लोग यहां के अध्यक्ष के बारे में लन्दन की पार्लियामेन्ट के अध्यक्ष से तुलना करने लगते हैं । मगर अन्तर है यहां आप में से ही एक सदस्य इस सदन का अध्यक्ष होता है और उसे आप ही बनाते हैं । उसका न चुनाव होता है, न राष्ट्रपति निर्देशित करते हैं और न राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं । वह आपकी ओर से विश्वास होने के कारण केवल विधान सभा का अध्यक्ष हो जाता है अध्यक्ष बनने के बाद उसे कोई शपथ लेनी नहीं पड़ती है, बस केवल आप अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और वह आपको विश्वस्त कर देते हैं कि आपके विश्वास के बल पर हम इस सदन को चलायेंगे । दूसरी बात यह कि वह जब अध्यक्ष होता है तो विधान सभा में वह क्षेत्र रिक्त नहीं होता है । तात्पर्य यह है कि वह एम0 एल0 ए0 रहता है । एम0 एल0 ए0 की हैसियत से वोट भी करता है, अपने क्षेत्र के प्रति भी उत्तरदायी होता है । इसके साथ सदन के संचालन में निष्पक्ष रह कर आपको विश्वास में भी लेता है । इस पीठ पर उपाध्यक्ष भी बैठते हैं । इस पीठ पर अधिष्ठाता मण्डल के लोग भी बैठते हैं और जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर आता है वह इस आसन के आगे सिर झुकाता है, केवल इसलिए कि यह आपस की पंचायत है और अध्यक्ष इस पंचायत का मुखिया है, जो इस आसन पर बैठता है । केवल हममें और आप में यही अन्तर है । इसके अतिरिक्त यह भी आप जान लें कि अध्यक्ष के नाम से सभी कार्य होते अवश्य हैं, लेकिन सारी शक्ति सदन की है । कार्य मंत्रणा समिति कोई बात निर्धारित करती है और उसके निर्णय को सदन जब तक स्वीकार न कर ले, तब तक अध्यक्ष उसको एजेन्डा में नहीं ला सकता है ।

मैं बताना चाहता हूं कि देहावसान से 36 घण्टे पहले हम को, माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी को स्व0 दीक्षित जी ने अपने कक्ष में बुलाया था और हम लोगों ने वहां चाय पी थी और वह एक पुस्तक तैयार करना चाहते थे, उनकी मुख्य मंत्री जी से वार्ता हुई इस कारण हम सब दुःखी हैं । एक बात और बता दूं कि इसी सदन में हो चुका है, जयप्रकाश नारायण जी के निधन की सूचना आयी और उनके प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त होने लगी, लोक सभा में भी यही हुआ और आल इंडिया रेडियो में भी यह समाचार आ गया । लेकिन वह जिन्दा थे इस कारण सदन में राष्ट्र से क्षमा मांगनी पड़ी थी । तो दीक्षित जी के बारे में इस तरह की सूचना आ गयी और वह सूचना सही माने जाने योग्य थी, लेकिन अध्यक्ष की मजबूरी है कि जब तक लिखित सूचना न आये, उस पर अमल नहीं कर सकता है, लेकिन जब हमारे कक्ष में सभी दल के लोग आ गये और एक परामर्श दिया और सर्वसम्मति से परामर्श दिया, क्योंकि यह

कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं था, वह दूसरे सदन के अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु से सभी दुखी थे और यह बात तय हुई कि जिलाधिकारी से सूचना मंगवा ली जाये । मैं मानता हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने निर्णय कराया था की कमी या भूल थी कि यह निर्णय नेताओं ने अपने सदस्यों को नहीं बताया । जो सदस्य उत्तेजित हो गये, अगर सूचना दी गयी होती तो सम्भवत: वह शान्त हो जाते । यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं था, जो कोई विवाद होता । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि सत्ता पक्ष बजट पास कराने पर आतुर था । इसीलिए ऐसी कार्यवाही की बात की गई, ऐसा नहीं है । वह हमारे सामने की बात थी । 31 मार्च तक कभी भी बजट ला सकते थे । होली की छुट्टी थी । जैसा विधान परिषद् में हुआ, वैसा ही यहां पर भी हो सकता था ।

हमारे सचिव, संसदीय कार्य मंत्री जी के सचिव और विधान परिषद् के सचिव को बुलाया गया और यह बात तय की गई कि अध्यक्ष अपने अन्दर निहित शक्तियों से नियमों को शिथिल कर दें, तो उससे यह कार्य हो जायेगा । हमारा आपसे निवेदन है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, अध्यक्ष पीठ पर जाने का यह मतलब है कि अध्यक्ष की अवमानना करना नहीं है । मैं भी मनुष्य हूं ऐसा नहीं है हममें कमियां नहीं हैं । मैंने सारी इन्द्रियों पर कब्जा कर लिया है, उत्तेजना न आये, क्रोध न आये । उस दिन हमारे आसन की ओर मा0 सदस्य आने लगे, तो निश्चित रूप से वह बात निकली और मैंने इधर के लोगों से कहा, आप भी आ जायें, मेरी रक्षा करें । लेकिन इस बात को गलत ढंग से छापकर अखबारों ने भ्रम फैलाया । मैं बताना चाहता हूं कि 6 मार्च को माननीय सदस्य गनपत जी फ्लोर पर आ गये । मार्शल ने और गार्ड लोगों ने उन्हें रोका, मैंने उसी समय यह रूलिंग दी थी कि किसी माननीय सदस्य और मेरे बीच में मार्शल और गार्ड न आयें । अगर गार्ड और मार्शल की सुरक्षा में सदन चलाना पड़े, तो इससे अच्छा है कि मैं इस पद को छोड़ दूं और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे यह भय हो कि माननीय सदस्य उत्तेजित होकर, सरकार पर उत्तेजित होकर मेरा अपमान करने लगेंगे तो अच्छा होगा कि मैं अपना अध्यक्ष पद छोड़ दूं । मैं सदस्य और अपने बीच में कोई दीवाल नहीं रखना चाहता । जो भी यहां पर बैठेगा वह आपके शत प्रतिशत विश्वास पर ही बैठेगा । अगर उसके प्रति जरा भी अविश्वास हो तो उसका यहां पर बैठना निरर्थक हो जायेगा । मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैंने विश्वास व्यक्त कर कोई नाटक नहीं किया । मैंने यह बात विश्वास के साथ कही थी । मैं नहीं चाहता और न मैंने चाहा कि अविश्वास हमारे और आपके बीच में उत्पन्न हो उस दिन मेरे मुंह से निकला कि जैसे इस पक्ष से हटाये हो, यहां से भी हटा दो । यह बात मेरे मुंह से आवेश में निकली । इसका मुझे दुख है। जब आप लोग यहां पर आ गये और आपने मेरे हाथ से कागज छीन लिये या मुझे धक्का दिया तो ऐसा हो गया लोग कहते हैं कि यह तो होता रहता है, दूसरे लोग भी करते रहते हैं लेकिन मेरे साथ इस तरह की बात होने की शायद यह पहली घटना है । रिकार्ड तो मेरा खराब हो गया । अध्यक्ष पीठ पर मैं बैठा हूं, मेरे ऊपर तो उंगली उठ गई । जो कुछ भी हानि हुई, मेरी हुई ।

मैं समझता हूं कि यह मेरे जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जो मेरे द्वारा यह सब कार्य हो गया । लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगा आप जितने दुखी हैं उससे ज्यादा मैं दुखी हूं । एक बात मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं आप मेरी सहायता करेंगे कि हम सब चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक जीवन में रहते हैं और सब कुछ झेलते हैं । परन्तु समाचार पत्र वालों को कपड़ा उतारने और धोती उतारने में किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में देर नहीं लगती है । समाचार पत्र वाले जो कुछ भी बात होती है या नहीं भी होती है उसको अपने शब्दों में गढ़ कर बढ़ाचढ़ाकर छाप देते हैं । जो हमारी बात थी उसको नहीं निकाला परन्तु जिन लोगों के बारे में कह रहा हूं उनकी बात छाप दी जो सरासर गलत है । यह बात समझ में नहीं आती । मेरा उनके प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है । आज भी पत्रकार लोग हमसे मिलते हैं । यहां समाचार पत्र समिति के करीब 90 प्रतिशत लोग, एडीटर लोग मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं । मेरा उनके प्रति आदर है, वे प्रेम करते हैं । मैं कोई नया राजनीति में नहीं आया हूं । मैं भी 30 वर्ष से लखनऊ की राजनीति में रहा हूं हालांकि सन् 72 से मैं सदस्य हूं । कोई भी पुराना समाचार-पत्र का प्रतिनिधि मेरे आचरण पर उंगली नहीं उठा सकता है । लेकिन पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है । इनके मन में यह भावना है कि मुख्य मंत्री और सभी राजनीतिज्ञ व्यक्ति इन से डरते भय खाते हैं कि अगर पत्रकार नाराज हो जायेंगे तो कहीं हमारी छवि बिगाड़ न दें । इसके बारे में आप सभी को कोई उपाय सोचना पड़ेगा । हम तो नंगे चुनाव में किये जाते ही हैं परन्तु तोड़-मरोड़कर, बढ़ा-चढ़ा कर ये गलत बात लिखते हैं । लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है । इनको कोई देखता नहीं है कि यह क्या करते हैं । इन्होंने जो कुछ नाटक किया है, वह केवल भय दिखाया है उससे उल्टे मेरा इन्होंने अपमान किया है । मैं एक बात बता दूं कि मेरे कक्ष में इटावा के एक प्रेस प्रतिनिधि सेंगर साहब आये उन्होंने मुझसे अति नाराजगी से कुछ कहा मैंने उनसे कहा था कि आपको कमरे से निकाल दूंगा उसके अतिरिक्त किसी से कोई बात हुई नहीं । इसके अतिरिक्त जो भी बात छापी वह सब झूठी थीं । मैंने एक पत्र भी इस बारे में लिखा है । पत्रकार महोदय जब एक माह बाद फिर मेरे पास आये मैंने जानना चाहा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया है परन्तु उत्तर दिया कि आप स्वयं याद कर लें आज तक नहीं बताया कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया मैं उस प्रकरण को समाप्त करना चाहता था और चाहता हूं । लेकिन सदन प्रारम्भ होने वाला था मेरे पिता का देहान्त हो गया । मैं नहीं आ सकता था । मुझे मालूम हुआ कि पत्रकार लोग यहां पर आधा घण्टे के लिए प्रश्नकाल में नहीं आते हैं । मैं नहीं जानता यह क्यों धमका रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर केवल 35 समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के लिए ही बैठने की व्यवस्था है लेकिन मैंने सबको पास दे दिया ताकि उनके मन में यह भावना न आ जाय कि चूंकि वहां पर कोई विवाद हो गया है इसलिये उन्होंने हमारे पास को निरस्त कर दिया है। वर्ना हमारे कार्यालय ने, सभी ने हमसे कहा कि यहां स्थान नहीं है इसे सीमित कराइये। लेकिन मेरे हाथ बंधे थे आप सबकी भावना से मैं जुड़ा हूं। 99 प्रतिशत समाचार

पत्रों के प्रतिनिधि हमसे प्रेम करते हैं मैं एक शब्द भी उनके विरुद्ध नहीं बोल सकता हूं। अगर कुछ 6, 7, 8, 10 लोग मेरा विरोध करें तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं खासकर कांग्रेस पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं हमारे मन के अंदर कोई भावना ऐसी नहीं थी कि किसी सदस्य को अपमानित करूं। यदि आप आस्वस्त हो तो मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा वर्ना नहीं बैठूंगा। इसके उपरान्त इस प्रकरण को मैं आपके सहयोग से समाप्त करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यह स्पष्टीकरण यहां पर कर दिया।

पत्रकारों द्वारा प्रश्नकाल का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में चल रहे प्रकरण की स्थिति की जानकारी देने की मांग

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष जी ने तब सूचित किया था कि शाम 4 बजे तक समाचारपत्र के बंधुओं के बारे में सदन को अवगत करा दूंगा। मान्यवर, यह दुखद घटना है स्वतंत्र भारत में किसी कारण से पत्रकारों द्वारा बहिष्कार करना उचित नहीं है। अगर किसी कारण से किसी को पीड़ा पहुंची है तो उसे दूर करना चाहिए। उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई उससे हमें अवगत कराया जाना चाहिए।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, आपने कहा आप आस्था व्यक्त करेंगे तभी मैं बैठूंगा, मेरे और मेरे दल की तरफ इशारा किया था। मैं और मेरे दल का विश्वास इस कुर्सी पर, आप पर यथावत् बना रहेगा। कभी भी अविश्वास पृष्ठभूमि हमने नहीं बनाई। इस कुर्सी का हमेशा सम्मान किया है। हमारे साथी फैजाबाद के सम्मानित विधायक रवीन्द्र तिवारी जी ने जो बातें कही उसका सही माने में संज्ञान हुआ होता तो यह चीज नहीं होती। नियमों के तहत इस सदन के किसी भी सम्मानित सदस्य को अपना संकल्प लाने का, अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। तो कहीं न कहीं कमी रही है जिससे यह बातें हुई हैं। इस प्रकरण पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उसका मैं आदर करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने समाचारपत्रों के बारे में कहा। मैं उचित नहीं समझता था कि बोलूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके संबंध में समाचार पत्रों के पत्रकार बन्धुओं को शिकायत है और उस शिकायत के बारे में मेरे सभी लोग मिलने गये मैंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। लोकतंत्र में समाचार पत्र वाले सर्वोच्च हो जायं, उनको जब लिखना ही है तो लिखना है। जब मैंने माफी मांग ली। जब आपको हमने चुना तो आप अध्यक्ष हैं और हमने आपकी तरफ से माफी मांग ली मैं नेता हूं। आप हमारे द्वारा बनाये हुए अध्यक्ष हैं और मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा हूं तो उसका असर समाचारपत्रों के बंधुओं में नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। व्यक्तिगतरूप से बुला बुला कर माफी मांगी उसके बाद भी कोई बात करनी है तो हम क्या करें तो आप बताइये। हम तो माफी मांग चुके हैं अब कोई रास्ता रह गया है।

माननीय तिवारी जी एक ही रास्ता रह गया है कि पैर पकड़ कर धोयें। आप हमारे अध्यक्ष हैं जब तक आप यहां कुर्सी पर बैठे हैं और हम नेता हैं, उसके बाद हमारी पार्टी के आप सदस्य हैं। माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन जी ने कहा था जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं मैं अध्यक्ष हूं और उसके बाद पार्टी का मेम्बर हूं। तो जब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, व्यक्तिगत रूप से 15, 20 लोगों से माफी मांग ली उसके बाद भी यह हो तो क्या करें आप ही बताईये। आज मैं मुख्य मंत्री हूं इससे पहले भी मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता आया हूं। 5 बार एम0 एल0 ए0 और एम0 एल0 सी0 रहा हूं और दोनों सदनों में विपक्ष का नेता रहा हूं। आज मुख्य मंत्री बनने के बाद माफी मांगता हूं उसके बाद भी पत्रकार माफी न दें तो क्या करें और फिर यदि सम्मान की बात है तो ऐसा नहीं है कि हमारे वहां मित्र न हों। मैं आदर नहीं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। कभी गुस्सा नहीं होता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने धन्धा बना लिया है कि अगर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या उनको ही सारे अधिकार हैं? क्या हमारे कुछ अधिकार नहीं हैं? केवल पत्रकारों का ही सम्मान है, हमारा कोई सम्मान नहीं है? तो इस पर भी विचार करना होगा, हम सभी नेताओं को मिलकर। मान्यवर, हम पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़े हैं, उन पर जुल्म हुए हैं तो वहां पहुंचे हैं, हत्या हुई है तो लड़े हैं और आज भी महसूस करते हैं कि उनको पूरी आजादी नहीं है लिखने की। जो यह लिखना चाहते हैं वह इनके मालिक पूरी बात नहीं लिखते हैं। लगातार 6 महीने से खिलाफ लिखने के अलावा कोई बात ही नहीं है। यदि मैं नाम खोलना शुरू कर दूं तो जो यह अन्ना के बारे में लिखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि यही लोग उनके चाय पीते हैं। यह क्या मैं नहीं जानता हूं? इसलिए सभी नेताओं से नम्र निवेदन है कि चरित्र हत्या जो यह कुछ लोग दिन रात करते हैं, श्री नारायण दत्त तिवारी जी आ जायं, तो निवेदन करूंगा कि आपके कक्ष में या कहीं बैठकर इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। वैसे हमने सभी पत्रकारों से माफी मांग लिया है और फिर माफी मांगता हूं पत्रकार बंधुओं से कि माफ करें।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

अध्यक्ष महोदय, अभी सम्मानित सदन में बहुत ही संवेदनशील और नाजुक मसले को लेकर यहां चर्चा हुई . . .।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–**

मान्यवर, आपने जिस मामले को पटाक्षेप करा दिया है तो क्या उसकी अब चर्चा करना उचित होगा?

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं होगी। आप बैठ जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, हम तो केवल इतना कहना चाहते थे कि इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दें।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

नियम 301 की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए, निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। पहली श्री भोला नाथ पाण्डेय-उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में उप आबकारी के प्रमोशन के संबंध में। दूसरी, श्री रामबचन धुसिया–सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। तीसरी, श्री खुर्शीद अहमद–निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में। चौथी, श्री मुईद अहमद–सुल्तानपुर शहर में नगरपालिका व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सफाई अभियान के तहत अनधिकृत गुमटी आदि हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवीं, श्री अचल सिंह–जनपद फतेहपुर के वंश गोपाल इन्टर कालेज के छात्रों के उत्पीड़न के संबंध में। छठी, श्री ऊदल-राज्य विद्युत परिषद् वाराणसी एवं समस्त प्रदेश में ट्रांसफार्मर आदि की कमी से उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में, और सातवीं, श्री श्याम देव राय चौधरी–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन सुविधा के सम्बन्ध में। यदि आप सबकी राय हो तो सबको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में उप आबकारी आयुक्तों के प्रमोशन में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला पाण्डेय–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

आबकारी विभाग में 26-4-90 को चयन समिति ने 9 उप आबकारी आयुक्तों का चयन किया जिनका नाम लखनऊ से प्रकाशित "आज" में प्रकाशित हो गया था लेकिन उसी चयन समिति ने पुनः 5 जून, 90 एवं 20 जून, 90 को उप आबकारी आयुक्तों का चयन किया क्योंकि कुछ विशेष लोगों को नियम कानून तोड़कर प्रमोशन देना था। प्रश्न यह है कि एक ही चयन समिति एक ही नियम के तहत चुनाव तीन बार करती है और तीनों बार भिन्न-भिन्न लोगों का चयन क्यों और कैसे हो जाता है। 20-6-90 की चयन समिति ने शासन की नीति एवं चयन नियमावली के प्राविधानों के विपरीत अच्छे एवं योग्य लोगों की उपेक्षा कर अयोग्य तथा भ्रष्ट लोगों को केवल वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दे दिया जबकि शासन की यह स्पष्ट नीति है कि केवल श्रेष्ठता

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के आधार पर ही प्रमोशन होगा। इस पक्षपात पूर्ण एवं गलत प्रमोशन से विभाग में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रमोशन प्रकरण की सतर्कता विभाग से जांच करायी जाय एवं जांच रिपोर्ट प्रकरण आने तक चयन समिति के निर्णय को लागू न किया जाय।]

जनपद लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर स्थित सहकारी चीनी मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बचन धूसिया–

[मान्यवर, सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी के प्रधान प्रबन्धक, श्रम कल्याण अधिकारी, प्रधान समयपाल एवं अवर अभियन्ता (सिविल) आपसी सांठ-गांठ से रिश्वतखोरी व कमीशन खोरी में लिप्त हैं। बार-बार शासन व सहकारी चीनी मिल संघ का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में मिलहित व जनहित खतरे में है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा की जा रही रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खुर्शीद अहमद–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष की संज्ञान में मैं नियम 301 के अन्तर्गत जानकारी लाना चाहता हूं कि :–

निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा कतिपय संवर्गों में शासनादेश का खुला उल्लंघन करते हुए पूरे प्रदेश में सुपरवाइजर (ह0 क0) का स्थानान्तरण कर दिया गया है। शासनादेश में स्पष्ट प्राविधान है कि पर्वतीय जनपदों में मैदानी जनपद के कर्मचारियों को यथासम्भव कोई स्थानान्तरण न किया जाये साथ ही कार्मिक शासनादेश है कि समूह (ग) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण मण्डल के बाहर न किया जाये। लेकिन निदेशक द्वारा ऐसा किया गया। स्थानान्तरित सुपरवाइजर के परिवार मा0 सांसद/विधायकों को उक्त स्थानान्तरण रोकने संशोधन करने पर मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण से अनुरोध किया तो मंत्री जी के आदेश नहीं माने गये लेकिन कुछ सुपरवाइजर के स्थानान्तरण रोक दिये। जैसे डा0 पी0 जैन बहोरी लाल, धर्म प्रकाश ।

इस संबंध में मांग करता हूं कि कितने सुपरवाइजर (ह0 क0) के स्थानान्तरण रोकने संशोधन करने के अनुरोध पत्र सांसद/विधायकों के मंत्री व निदेशक को प्राप्त

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए कितने का स्थानान्तरण रोका व संशोधन किया गया कितने का स्थानान्तरण निरस्त या संशोधन नहीं किया गया। कितने के प्रति कार्यालय द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई और निदेशक द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया। पूरे प्राप्त पत्र व कार्यालय सहायक की आख्या व स्थानान्तरित सुपरवाइजरों की सूची व संबंधित पत्रावली या आख्या सहित पटल पर रखी जाये।]

जनपद सुल्तानपुर में नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिकृत गुमटी हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुईद अहमद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय सुल्तानपुर नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सड़क के किनारे दुकानदारों की गुमटी हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

पिछले सप्ताह नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सड़क पर अनाधिकृत कब्जे के मामले को लेकर सफाई अभियान पिछले सप्ताह प्रारम्भ किया गया है। इस सफाई अभियान में उन दुकानों की गुमटियों को तोड़ फोड़ की गई और लगभग पिछले 15 वर्ष से बसे हुए थे और उनकी गुमटियां उन सभी दुकानदारों की रोजी रोटी का एक मात्र साधन थी इस संदर्भ में अवगत करता हूं कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से तथा गुमटी के दुकानदारों के तरफ से मेरी वार्ता 1980 में हुई थी कि जब तक दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था नगर पालिका से दुकान बनवा कर नहीं दी जायेगी तब तक यह समस्त दुकानदार नहीं हटाये जायेंगे जिसका पालन 10 वर्षों से हो रहा था परन्तु खेद है कि इस सफाई अभियान में मानवीय दृष्टिकोण को तिलांजलि देकर क्रूरता व बर्बरता के साथ गरीब दुकानदारों को हटा दिया गया और आज वे सब कोई अन्य जीविका उपार्जन के साधन के अभाव में भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि पुनः उन्हें दुकान देकर बसाये जाने कि कार्यवाही करे जिससे यह गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमा सकें।]

जनपद फतेहपुर के बंश गोपाल इण्टर कालज के छात्रों के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 16-3-90 को जनपद फतेहपुर के बंशगोपाल इण्टर कालेज रसूलपुर में इण्टरमीडिएट की परीक्षा का कार्य चल रहा था कि करीब 6-00 बजे शाम तत्कालीन ए0 एस0 डी0 एम0 श्री श्रीवास्तव जो वर्तमान समय में परगनाधिकारी बिन्दकी हैं, 8-10 होमगार्डों से असलहों के साथ कालेज पंहुचे और जबरदस्ती परीक्षा दे रहे छात्रों की तलाशी लेने लगे श्री श्रीवास्तव ने एक छात्र को जब डण्डों से पीटा तो छात्र उत्तेजित हो गये ए0 एस0 डी0 एम0 ने तुरन्त गोली चलवा दिया, जिससे अशोक कुमार नामक छात्र जो ललौली इण्टर कालेज की कक्षा 12 का छात्र

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

था गम्भीर रूप से घायल हो गया। उक्त छात्र का एक गुर्दा पूरी तरह से बेकार हो गया इतनी बड़ी गम्भीर घटना होने के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः सदन का ध्यान मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।]

राज्य विद्युत परिषद् वाराणसी एवं समस्त प्रदेश में उपभोक्ताओं को ट्रान्सफार्मर आदि सामानों को उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् वाराणसी एवं पूरे प्रदेश में वर्षों से तार, खंभा, क्लैम्प व ट्रांसफार्मर नहीं के बराबर हैं। वाराणसी में वर्षों से पम्पिंग सेट के लिए तथा लाइट व फैन के लिए हजारों उपभोक्ताओं का एस्टीमेट का रु0 जमा है। इस संबंध में 3/4 बार मा0 मुख्य मंत्री जो विद्युत मंत्री भी हैं उनको वाराणसी के लिए तथा प्रदेश के लिए विद्युत सामानों को सुनिश्चित करने के लिए लिखकर दिया मौखिक बात भी किया तमाम आश्वासनों के बाद भी सामान आज तक नहीं दिया गया है। जिसकी वजह से कनेक्शन लेने वाले परेशान हैं। इसके अलावा जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कम्पनियों का पच्चीस करोड़ रु0 राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हैं। इस विषम परिस्थिति तथा लोक महत्व के प्रश्न पर संबंधित मंत्री का ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत आकर्षित करते हुए राज्य विद्युत परिषद् वाराणसी व पूरे प्रदेश में आवश्यक समान देने की संबंधित मंत्री से मांग करता हूं।]

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के पेन्शन निर्धारण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

[मान्यवर, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का पेंशन निर्धारण विद्यालय में उनके द्वारा की गई कुल सेवा के आधार पर गणना की जाती रही है। पेंशन आदेश तथा इण्टरमीडिएट अधिनियम के अनुसार भी कुल सेवा के आधार पर ही गणना की जाती है चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई हो विभाग द्वारा इसके कोई आदेश निर्गत नहीं हैं। किन्तु प्रदेश के लेखा विभाग (शिक्षा) के स्पष्टीकरण के माध्यम से अब पेंशन की गणनायुक्त मुक्त सेवा के कुल वह सेवा मानी जा रही है जो विद्यालय के अनुदान पर आने के बाद कर्मचारी द्वारा (शिक्षक, एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) की गई सेवा है। ज्ञातव्य हो कि पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा उसके द्वारा की गई कुल सेवा मानी गई है। ऐसा होने से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ रही है। साथ ही पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की पेंशन पुर्निर्धारण में जहां बढ़नी चाहिए वहां इस गणना के आधार पर घट जा रही है। ज्ञातव्य हो इस

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्पष्टीकरण के चलते अब तक पेंशन पाते आ रहे करीब 40 हजार कर्मचारियों को उठानी पड़ेगी जो इस महंगाई में असहनीय होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त विसंगति को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300-औचित्य के प्रश्न की आज 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री मुईद अहमद जो डालीबाग स्थित बहुखण्डी भवन के बाबत है, मैं इसे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। अन्य दो सूचनाएं, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी की तथा श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री बलराम व श्री दीप नारायण द्वारा दी गई हैं, वे नियम 300 के अन्तर्गत न आने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब सुनने का प्रश्न नहीं है, जब अग्राह्य कर दी गई हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1990 की संख्या-3 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1990 की संख्या-3, उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या-4 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या-4, उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यक) 1989 की संख्या-2, उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च,

†छापा नहीं गया।

1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1989 की संख्या-2, उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन राजस्व प्राप्तियां 1989 की संख्या-5 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) 1989 की संख्या-5, उत्तर प्रदेश सरकार का भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं:–

पहली सूचना सर्वश्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती कमला साहनी व श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी की दिनांक 15 अप्रैल, 1990 का जनपद बस्ती के ग्राम रैपुरा में विषाक्त भोजन खाने लगभग 70 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की किसानों से कर्जा वसूली में बड़े पैमाने पर हो रही प्रताड़ना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । तीसरी, सर्वश्री रामचन्द्र बख्श सिंह, राजकिशोर सिंह, राम प्रसाद सिंह व ऊदल जी की जनपद हमीरपुर थाना कराेरा के अन्तर्गत ग्राम देवीगंज के हरिजन चन्दी प्रसाद को करारों पुलिस द्वारा पीट पीटकर हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर एवं श्री मंजूर अहमद की अकबरपुर कताई मिल में अग्निकाण्ड का कथित षडयंत्र रचकर करोड़ों रुपये की रूई का घोटाला छिपाने एवं सबूत नष्ट करने के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं सूचना सर्वश्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, शैलेन्द्र कुमार, चेत राम, शिव दर्शन, ओम प्रकाश एवं दीप नारायण की जनपद इलाहाबाद में हरिजनों विशेषकर पासी जाति के लोगों को पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुकदमों, हत्या एवं संगीन अपराधों में फंसाने की साजिश के सम्बन्ध में है ।

छठी सूचना डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री श्याम बिहारी सिंह की दिनांक 11-6-90 को बरेली निवासी श्री नरेश चन्द्र जैन व उनकी पत्नी की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की प्रदेश में पाठ्य पुस्तकें एवं कापियों के अभाव से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

---

†छापा नहीं गया ।

आठवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री किशन गोपाल की आगरा शहर में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की दिनांक 20 जून, 90 को अमीनाबाद, लखनऊ में महापालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ फोड़, लूट, लाठीचार्ज व फायरिंग से कई लोगों के घायल होने एवं कथित रूप से लाखों की सम्पत्ति का नुकसान होने के संबंध में है।

उपरोक्त दस सूचनाओं में से अन्तिम पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दिनांक 15 अप्रैल, 90 को एवंनियोजित ढंग से मेवालाल के घर में जो दावत थीं, वहां पर जो भोजन बनाया गया, उसमें जहर मिला था जिसको खाने से लगभग 70 लोग मौत के मुंह में चले गये। और जो जहर खोरी से बचे हुए हैं उनकी हालत चिन्ताजनक है। मान्यवर, उन लोगों को न्याय मिलना आवश्यक है, और उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा मिलना आवश्यक है, और उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा मिलना आवश्यक है। मान्यवर, जो लोग अस्पताल से घर पहुंच गये हैं फिर पुनः हफ्ता दस दिन बाद अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह सब प्रशासन की लापरवाही है। अस्पताल में उस समय डाक्टर लोग, चिकित्सक लोग हड़ताल पर थे। जिलाधिकारी ने न तो सवारी का प्रबन्ध कराया और न अपने विवेकाधीन कोष से दवा की व्यवस्था कराई। वार्डों में मरीज पड़े रहे और तड़प-तड़प कर मरते रहे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मामले की न्यायिक जांच करा दें। इसके पूर्व श्रीमन्, जेल में जो घटना हुई थी उसकी सरकार ने न्यायिक जांच कराई थी। श्रीमन् इस मामले की भी जांच कराई जायं। श्रीमन् गैमेक्सीन यहां पर यदि रख दी जाय तो बदबू आयेगी। आटे में डोरी भर गैमेक्सीन मिला दी गयी, और उनका कहना है कि पता ही नहीं चला, तो यह कैसे हो सकता है। मान्यवर, इससे शासन की छवि धूमिल होती है। मैं निवेदन करता हूं कि महोदय कृपया न्यायिक जांच करावें और मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, जो लोग सुनियोजित ढंग से दुर्घटना का शिकार हुए हैं, मैं उनके पक्ष में हूं। मैं आग्रह करूंगा कि मृतकों के परिवारजनों को उचित मुआवजा दिया जाय। दुर्घटना होने के बाद प्रशासन ने क्या किया प्रशासनिक लापरवाही के कारण बहुत से लोग समय से चिकित्सालय नहीं पहुंच पाये, उनकी दवा का प्रबन्ध नहीं किया गया। जिससे कई लोगों की जान चली

गयी । मान्यवर, मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा है, उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इस दुर्घटना में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो । मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाय ।

*श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मेरे जिले से संबंधित यह घटना है । इसमें आप मुझे सुन लें । मान्यवर, रेंपुरा गांव मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है यह घटना सुनियोजित ढंग से की गई क्योंकि अगर सुनियोजित ढंग से नहीं की गई होती तो ऐसा नहीं होता कि वहां पर सांसद और विधायक भी गये थे, और मेवालाल के परिवार के लोग भी थे, उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ । 70 लोग इसमें मारे गये सिर्फ उन्हीं के खाने में जहर मिलाया गया था किसी बात पर यह लोग उनसे नाखुश थे–

(व्यवधान)

मान्यवर, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए ।

श्री राजमणि पाण्डेय–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई सूचना आपने नहीं दी है ।

(व्यवधान)

यह लिखा नहीं जाएगा, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री राजमणि पाण्डेय–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, तभी तो हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, 15-4-90 को यह घटना ग्राम रेपुरा, बस्ती में हुई इससे हम सबको दुख है और सरकार ने उसमें जो भी डाक्टरों की हड़ताल के बावजूद उपचार हो सकता था, जो भी उपचार व्यवस्था हो सकती थी, वह उपचार व्यवस्था सरकार ने की। डाक्टरों ने हड़ताल होते हुए भी उपचार में पूरा सहयोग दिया। जहां तक माननीय सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि 10–10 हजार रुपया आश्रितों को दे दिया गया था। 5 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा करायी जा रही है और जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आयेंगे उस पर आगे कार्यवाही की जायगी। श्रीमन्, कहा जा रहा है कि न्यायिक जांच करवायी जाय। सी0 आई0 डी0 की जांच की जा रही है वह पर्याप्त है। यदि जांच में कोई तथ्य प्रकाश में आये तो आगे भी कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, यह घटना एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह नियोजित घटना नहीं है। इस तरह की घटनायें संयोगवश हो जाती हैं। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उसके अनुसार जहां आटे की बोरी लगी थी उसी के बगल में गैमेक्सीन की बोरी लगी थी। शायद खाना बनाने वाले ने गैमेक्सीन को आटे में मिला दिया जिससे यह दुखद घटना घट गयी। इस घटना से हम सब लोग दुखी हैं। इसको हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। 5 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। आगे भी जो तथ्य प्रकाश में आयेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी। सरकार को इस मामले में दुख है। माननीय सदस्य इसको राजनीतिक मामला न बनायें। यह बहुत ही दुःखद मामला है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 70–70 आदमी मारे गये हैं। इस तरह के मामले को यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता है। आप इस पर चर्चा करायें। सारी बातें सामने आ जायंगी। आप चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं विचार कर लूंगा आप बैठिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, किसी के घर में कोई घटना घटित हो जाय तो सरकार क्या कर रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा ।

(शोर)

श्री राजमणि पाण्डेय–

[x x x]

(शोर)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(शोर)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

[x x x]

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये । यह जो आप लोग बोल रहे हैं, कोई भी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी जो मेरी अनुमति के बिना होगी ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को पुकारा गया ।)

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

[x x x]

श्री राम करन आर्य–

[x x x]

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलाया है । मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बैठ जायं । सामान्य बजट पर चर्चा होनी है उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं । आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग बैठिये ।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, सरकार इस मामले को दबाना चाहती है यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर निर्णय बाद में दूंगा । मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आप बैठिये । अभी मैं इस पर निर्णय नहीं दे रहा हूं । मैं आपको इंगित करने जा रहा हूं । आप बैठिये ।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिये तैयार हूं । लेकिन मामले को दबाया जा रहा है । यह गम्भीर मामला है ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं । परसों बजट आधे दिन चला । कल भी डेढ़-2 घंटे का समय मिला । आप लोग अपना समय बरबाद कर रहे हैं । महत्वपूर्ण सुझाव बजट चर्चा के समय दे सकते हैं ! मेरा अनुरोध है कि कार्यवाही को आगे बढ़ने दें । कृपया बैठिये । मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री कृष्ण किंकर सिंह, सदस्य विधान सभा का निलम्बन प्रस्ताव तथा निलम्बन प्रस्ताव की वापसी

(व्यवधान के मध्य)

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इसे स्वीकार करने की कृपा करें । इसकी न्यायिक जांच कराने की कृपा करें । श्रीमन् यह गम्भीर मामला है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना ही समय बरबाद कर रहे हैं । आप महत्वपूर्ण सुझाव बजट की चर्चा पर दे सकते हैं । मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

मान्यवर, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, ऐसे गम्भीर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं श्री कृष्ण किंकर सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय कृष्ण किंकर सिंह को आज की सदन की शेष कार्यवाही से निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय कृष्ण किंकर सिंह के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, चूंकि माननीय कृष्ण किंकर सिंह जी अब अपनी सीट पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनके निलम्बन का प्रस्ताव वापस किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय कृष्ण किंकर सिंह का निलम्बन का प्रस्ताव जो अभी स्वीकृत हुआ है, वापस कर लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक बड़ी गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि सरकार ने कर्जों की वसूली स्थगित कर दी, 10 हजार तक का कर्जा 2 अक्टूबर से माफ कर दिया जायेगा लेकिन मुझे और सब माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इससे बिल्कुल विपरीत वातावरण दिखाई देता है। किसानों से कर्ज की वसूली में जो प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है वैसी कार्यवाही आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई है। उनकी कुर्कियां हो रही हैं, सामान कुर्क किया जा रहा है, जमीन कुर्क की जा रही है, पम्पिंगसेट कुर्क किये जा रहे हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 10 हजार की कर्ज माफी की परिधि में जो लोग लाये गये हैं उसके बारे में शासन की नीति यह है कि 30 जून तक यह सहकारिता के जरिये वसूल कर लें। मान्यवर, सरकार ने केवल कागज पर घोषणा कर दी है कि 10 हजार के कर्जे 2 अक्टूबर से माफ कर दिये जायेंगे लेकिन 2 अक्टूबर से शायद ही कोई ऐसा काश्तकार बच जाय जिसका कोई कर्ज बकाया रह जाय। हम जब चुनाव के दौर में थे तो भा0ज0पा0, जनता दल हम सब लोगों ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी लेकिन आज इसके उल्टा दिखाई दे रहा है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उसे आज ही इस तरह का आदेश देना चाहिए कि प्रताड़ना की कार्यवाही न की जाय। जो किसान वापस करने की स्थिति में हैं उनसे करें, बाकी की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय। मान्यवर, सबसे गम्भीर बात तो यह है कि आग्नेयायास्त्रों के लाइसेन्स जो काश्तकार अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त करता है उसको भी निलम्बित कर दिया जाता है अगर वह कर्जा नहीं दे पाता है। (व्यवधान) तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि किसानों की कर्ज वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही स्थगित करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, गुप्ता जी इस सदन के पुराने सदस्य हैं और पिछले सत्र में वह भी इस सदन के सदस्य थे, हम भी थे, आप भी थे और हम लोग अक्सर यह उठाते थे कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है तो मान्यवर, वही इनको सपना दिखाई दे रहा है। मान्यवर, इस साल जितनी कम वसूली हुई है उतनी सन् 52 से अब तक नहीं हुई है, उत्पीड़न की कार्यवाही कहां से होगी। मान्यवर, यह हमारा वादा था कि 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करेंगे। हमने पूर्ण ऋण राहत योजना तैयार करके जिलाधिकारियों को भेज दिया है और निर्देश दे दिया है कि 10 हजार रुपये तक के किसानों मजदूरों, बुनकरों के जो कर्जे हैं, जो इस सूची में आते हैं, 30 जून तक हम ऐसे कर्जों को माफ करने की घोषणा कर देंगे। 10 हजार के अलावा जो इससे ऊपर के लोग बचते हैं, उनसे वसूली की कार्यवाही

करने के निर्देश दे दिये गये हैं और उनका अनुपालन सुनिश्चित भी करवाया जा रहा है, और उनसे वसूली की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर जनपद में एक हरिजन को जिन्दा जला दिया गया । बगल के ही जनपद हमीरपुर के करारा थाने के चन्दी प्रसाद नाम के शिक्षित जागरुक किस्म के हरिजन युवक को करारा थाने की पुलिस 23 मई को अकारण बिना किसी मुकदमें के सामन्तवादियों के कहने पर पकड़ लाई और थाने में बन्द रखा । 24 मई को उसके परिवार वालों ने एस0पी0, डी0 एम0 को लिखित सूचना दी, तार द्वारा की । इसके बाद 25 तारीख को हमीरपुर के डी0 एम0 व एस0 पी0 को दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने 23 तारीख से पीटते-पीटते उसकी यह हालत कर दी कि 7 जून को वह मर गया। इसके बाद पुलिस ने बिना बात को छिपाए उसके घर के लोगों को बुलाकर लाश देकर कहा कि ले जाओ । इसके बाद पूरे जनपद के और आस-पास के लोग थाने पर एकत्र हो गये और इस मामले की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग करने लगे, लेकिन एस0 पी0 और डी0 एम0, हमीरपुर के कान पर जूं नहीं रेंगी । वहां की पुलिस ने लापरवाही की । एक शिक्षित हरिजन को पीटकर मार डाला । यह एक हरिजन की हत्या का मामला है और एक गम्भीर घटना है । इस समय पूरे प्रदेश के हरिजनों और निर्बलों में भय व्याप्त हो रहा है और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है । इस मामले की जानकारी सदन को होने के बाद इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा होनी चाहिये, लेकिन मुझे जानकारी है कि इसके आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करावें । तमाम हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, यह शासन के लिये शर्मनाक घटना है । इस पर चर्चा करावें ।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, जनपद हमीरपुर के करहा थाने के दलीगंज में एक शिक्षित हरिजन को पकड़कर थाने पर लाया गया । उसने न कोई अपराध किया था, न उसका कोई दोष था । सामंतों के कहने पर पुलिस ने पकड़ लिया था । उसको 23 को पुलिस ले गयी. 24 को उसके भाई ने एस0 पी0, डी0 एम0 को सूचना

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दी, तार द्वारा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । उसको 7 जून तक थाने पर रोके रखा और 15 दिन लगातार पुलिस पीटती रही और 7 जून को उसको मार डाला । यह एक गम्भीर घटना है । प्रदेश में हरिजनों के प्रति पुलिस का रवैया बहुत खराब है । उनको जानवर समझ कर थानों में ले आते हैं और जान से मार डालते हैं । इसी प्रकार से बांदा में भी घटनाएं हुई, फतेहपुर में हुई घटना से तो सब अवगत हैं । इससे पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है । हमीरपुर के अगल-बगल के गांवों में लोगों में भय और आक्रोश व्याप्त है और लोग आन्दोलन चला रहे हैं, लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जिन लोगों ने उस शिक्षित हरिजन की हत्या की, मैं चाहता हूं कि इस पर सी0 आई0 डी0 से जांच करा लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसमें जांच चल रही है । संबंधित थानेदार को गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजा गया । इस मामले की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मान्यवर, इस मामले में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं । आपकी इस पर कोई नोटिस नहीं है ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मान्यवर, यह तो प्रदेश से संबंधित ही मामला है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

23 तारीख को मान्यवर पकड़कर ले गये, 24 तारीख को डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 को सूचना दे दी गयी, 15 दिन के बाद 7 जून को उसकी हत्या कर दी गयी । मान्यवर, डी0 एम0, एस0 पी0 जो दोषी हैं अगर उन्हीं से जांच करवायेंगे तो यह तो एक प्रकार से मखौल हो जायेगा । अगर वाकई आप इन्साफ करना चाहते हैं तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मामले की सी0 आई0 डी0 जांच करवा दें ! एक तरह से तो डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 दोषी हैं उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । पुनः अनुरोध है कि कृपया इसकी सी0 आई0 डी0 जांच करवा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें प्रभावी कार्यवाही की गयी, थानेदार को गिरफ्तार किया गया, सस्पेंड किया गया, कार्यवाही हो रही है, सी0 आई0 डी0 जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अत्यन्त ही लोक महत्व के कार्यस्थगन का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, यह मामला राजकीय कताई मिल अकबर-पुर से संबंधित है । यह करोड़ों रु0 के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। आजकल राजकीय कताई मिलों में आग लगने की आम बात हो रही है । घोटालों को छिपाने के

लिए फैक्ट्रियों में आग लगवायी जा रही है ताकि करोड़ों रु0 के घोटालों को छिपाया जा सके । मान्यवर, 4 मई, 1990 को राजकीय कताई मिल अकबरपुर में अग्निकाण्ड की घटना हुई जिसमें रूई के गोदाम के बाहर रूई के गांठ में आग लगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनायें रखें ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, घटना के दो घंटे बाद अधिकारी स्थल पर गये । लगभग 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया । वहां शटर बन्द था, उस शटर को खोल दिया गया, जिससे करोड़ों रु0 की रूई जल गयी । इसकी जांच शुरू हुई, विजिलेंस जांच आरम्भ हुई। एक वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारी इस घोटाले में सम्मिलित हैं । 19 तारीख को एक समझौता किया गया मजदूरों से, उस समझौते पर हस्ताक्षर उन आई0 ए0 एस0 अधिकारी ने किये जिले के ए0 डी0 एम0, एडीशनल एस0 पी0, परगनाधिकारी व डिप्टी एस0 पी0 ने भी हस्ताक्षर किये । 5 दिन बाद इस रूई के घोटाले को छिपाने के लिए उन आई0 ए0 एस0 अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि मजदूरों ने बंधक बनाकर हस्ताक्षर कराये गये उनसे, जहां जिले के अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद हों, उसके बाद वे असत्य बात कह रहे हैं कि बंदी बनाकर हस्ताक्षर कराये गये । मान्यवर, इसमें करोड़ों रु0 का घोटाला है करोड़ों रु0 की रुई की बात है, गोदाम के अंदर उसकी आधी भी नहीं थी । इसलिए आग लगायी गयी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव, उद्योग सचिव और अन्य आई0 ए0 एस0 अधिकारी इस मामले में शासन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, वहां तालाबन्दी कर दी गयी लगभग चार हजार लोग भूखों मरने की कगार पर हैं । वहां इस घोटाले को छिपाने के लिए सारे अभिलेख मिटाये जा रहे हैं ताकि घोटाला छिप जाय । मान्यवर, विजिलेंस इन्कवायरी का यह सिद्धान्त है कि जो लोग उसमें इन्वाल्व हों, उनको पदों से हटाया जाय ताकि पद का दुरुपयोग न कर सकें । मैं चाहूंगा कि संबंधित अधिकारियों को वहां से हटाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें आपकी बात पूरी हो गयी है ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, एक फैक्ट्री का मामला है, माननीय मंत्री श्रम विभाग इसमें हस्तक्षेप करते या माननीय मुख्य मंत्री इसमें हस्तक्षेप करते । सारे संबंधित अधिकारी वहां से हटा दिए जायें जो लोग इसमें शामिल हैं और फैक्ट्री को खुलवाया जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो आपने शिकायत की है उसको दिखवा लेंगे ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी आ गये हैं, वे इस पर कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्रम मंत्री जी, अगर आपने मामले को सुना हो और आपकी जानकारी में हो और अगर आप जवाब देना चाहें तो बता दें ।

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल के बारे में दो शिकायतें माननीय सदस्य ने बताई थीं । एक तो यह थी कि जो मजदूर वहां कालोनी में रह रहे थे, उन्हें निकाला जा रहा है, तो जैसे ही मुझे यह शिकायत मिली, उसी वक्त उस शिकायत का निराकरण कर दिया गया और अब किसी भी मजदूर को निकाला नहीं जा रहा है और न ही निकाला जायेगा । दूसरी बात मिल के चलाने की है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री, जी माननीय सदस्य का मुख्य कहना जो है, वह इस मिल में अग्निकांड और घोटाले के संबंध में है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वहां पर लाक आउट है और लाक आउट को हम कानूनी नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम इसे खुद गैर कानूनी कह रहे हैं । जो भी श्रम कानून इस संबंध में लागू होते हैं, उनको कड़ाई से लागू किया जायेगा और जल्द ही इस संबंध में हम वार्ता बुलाने वाले हैं, कि इस मिल को चलाया जाये ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के गृह नगर इलाहाबाद में लगातार हरिजनों और पासी जाति के लोगों पर, फर्जी अपराधों में फंसाकर जुल्म ढाये जा रहे हैं तथा उनको फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है, इन्काउन्टर किया जा रहा है । इसी क्रम में मऊ आइमा थाने के गांव बाका जलालपुर में बांकेलाल नाम के व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला गया, बांकेलाल जाति से पासी था और एक सामंतशाही व्यक्ति के मकान में कम मजदूरी मिलने के कारण, जब उसे दोबारा मकान बनाने के लिए बुलाया गया और वह नहीं गया, तो उसे घर से घसीट-घसीट कर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गयी । इतना ही नहीं, वहां के सामंतशाही लोगों ने इतनी अधिक क्रूरता की, कि पुलिस को बुलाकर, पुलिस के सामने उसके गुप्तांग में लोहे की छड़ डाल दी तथा उसे बिजली का करेंट भी लगाया गया तथा पुलिस से कहा गया कि इसको फर्जी केस में बन्द कर दिया जाय । बाद में उसकी मौत के बाद उसके परिवार के लोगों को गुहार करने पर पुलिस द्वारा पकड़कर जबरदस्ती जेल में बन्द कर दिया गया । साथ ही उनके ऊपर तमाम संगीन अपराध लगा दिए गये । इस मसले पर वहां के सांसद और केन्द्रीय मंत्री श्री राम पूजन पटेल वहां आये और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके साथ अन्याय किया गया है ।

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जिन डाकुओं का हम लोग यहां पर नाम लेते हैं, वह भी तो इस सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, क्या हम लोग उनका नाम नहीं ले सकते ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, देख लेगें ।

* श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि मंत्री जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि हरिजनों विशेषकर पासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

विद्यार्थी जी, अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया । बाकी बात शैलेन्द्र जी कह देगें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

[x x x]

(इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े हो जाने पर शोर-व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार जी जो कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(लगातार व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री शैलेन्द्र कुमार जी आप विषय पर बोलें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मन्नी पासी जो चकदीदी नैनी इलाहाबाद के निवासी हैं, इनके पिताजी सभासद हैं और इनके एक भाई मध्य प्रदेश में डी0 आई0 जी0 हैं। रात में पुलिस मुन्नी पासी को सोते वक्त उठाकर ले गई और इन्काउन्टर कर दिया। इस प्रकार कई हत्यायें एक जाति वर्ग विशेष को मुठभेड़ दिखाकर की जा रही हैं। जिसमें ज्यादातर हरिजन हैं । वहां पर हर जाति के लोग अपराधी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव कुर्मी भी हैं, परन्तु उन्हें टच नहीं किया जा रहा है । यह सरकार हरिजन विरोधी है । यह जनपद मा0 प्रधान मंत्री का जिला है उनके निर्वाचन क्षेत्र जनपद फतेहपुर में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार की हवा इलाहाबाद में लग गयी है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर सामान्य चर्चा भी होनी है । जीरो आवर में आप लोग इसी प्रकार समय बरबाद कर देते हैं । श्री शैलेन्द्र जी आपने अपनी बात कह ली है, कृपा करके आप बैठ जायं ।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, श्री विद्यार्थी जी ने जो प्रश्न उठाया है प्रश्न के माध्यम से जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया है, वह वास्तव में एक दर्दनाक घटना है। शासन ने इस पर कड़ा रुख लिया है। महानिरीक्षक को माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां भेजा है। जांच करने के बाद वहां पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को कहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी कृपा करके आप बैठ जायं। अब आप जो कहेंगे, वह नहीं लिखा जायेगा।

(श्री विद्यार्थी जी अपने स्थान पर खड़े होकर एक पर्चा दिखाने लगे व्यवधान हो गया)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप बाद में निर्णय देते हैं। इसलिए इस पर सुनकर आप चर्चा करने के लिए निर्णय दे दीजिए।

(इसी बीच श्री शैलेन्द्र कुमार अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे और चर्चा की मांग करने लगे। तत्पश्चात् श्री [illegible] कुमार के प्रयास से वापस हो गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सरकारी पक्ष को सुनने के बाद ही कोई निर्णय ले पाऊंगा, उससे पहले आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

शासन का पक्ष भी हमारे सामने आ जाय उसके बाद कोई निर्णी दो सकते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार–

चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के खड़े रहने पर)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह लिखा नहीं जायगा ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

आपकी कोई सूचना नहीं है, आपका नाम इसमें नहीं है, आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा । आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 विद्यार्थी जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया है, मुझे एक मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नियमों को शिथिल करके आपको बुलवा दिया था, दुबारा अनुमति नहीं दूंगा । आप बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[xxx]

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा, संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपके मंत्री जी खड़े हैं, आप बैठ जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, माननीय शैलेन्द्र कुमार, माननीय चेत राम, शिव दर्शन जी, शिव बालक पासी जी, श्री ओम प्रकाश और श्री दीप नारायन जी, इतने लोगों ने यह सूचना दी है । नियमों के अन्तर्गत देखें तो यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है क्योंकि न तो यह संक्षिप्त है और न एक घटना से संबंधित है । बांके जलालपुर की घटना के सम्बन्ध में विद्यार्थी जी ने कहा, सरकार ने गम्भीरता से उसको लिया है । सी0 आई0 डी0 की जांच की जा रही है, कार्यवाही की जा रही है, कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है, अगर हरिजन के खिलाफ किसी ने कुछ किया है तो सरकार उदासीनता नहीं बरत रही है, जो बड़ी से बड़ी कार्यवाही हो सकती है, की जा रही है । मुन्नी पासी का जिक्र किया, वह अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति था, पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है, वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया । ऐसे व्यक्ति आपकी सरकार में भी मारे जाते रहे हैं और हमारी सरकार में भी मारे जायेंगे । कुलदीप मेहतर भी अपराधिक प्रवृत्ति का था, उससे जनजीवन त्रस्त था ।

(व्यवधान)

नोट –[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

अगर वह अपराधी हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब में मैं चेतावनी एवं चुनौती देना चाहता हूं । मुन्नी पासी मुठभेड़ में नहीं मारा गया है । घर में सोते समय उठा ले जाकर उनके दुश्मनों ने पहचान कर पुलिस से खड़े होकर मरवाया है । मुन्नी पासी का इन्काउन्टर किया गया है । वह अपराधी नहीं था उसके ऊपर कई फर्जी मुकदमें पुलिस ने लगाकर अपराधी बनाया है । अगर मुठभेड़ में मारा गया है तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं यदि फर्जी मुठभेड़ किया गया है हत्या पुलिस ने की है तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दें, सी0 आई0 डी0 जांच करा दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठें । कार्यवाही को आगे चलने दीजिये । देखिये ढाई बजा है। मैं आदेश दे रहा हूं कि आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग करते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने बहुमूल्य समय को बरबाद कर रहे हैं । अभी सामान्य बजट पर चर्चा होनी है, उस पर आप लोग अपनी बात को रखियेगा । आप रोज-रोज समय को बरबाद करते हैं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

[xxx]

(सदन के फ्लोर में कांग्रेस पार्टी के सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य आकर नारे लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं 15 मिनट सदन को स्थगित करता हूं ।

इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 46 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी, 2 बजकर 46 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक बढ़ा दिया है ।

3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने पर व्यवधान)

एक सदस्य–

लगातार हरिजनों पर उत्पीड़न हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती कमला साहनी श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की सूचना पर

नोट [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है और हो भी चुकी है । इसलिये इस पर आधे घंटे की चर्चा का समय देता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना जो किसानों से कर्जा वसूली में बढ़े पैमाने पर हो रही प्रताड़ना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राजकिशोर सिंह, श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

श्री अकबर हुसैन बाबर तथा श्री मंजूर अहमद की सूचना पर संतोष-जनक उत्तर सरकार की तरफ से आ गया है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री चेतराम, श्री शिव दर्शन, श्री ओम प्रकाश तथा श्री दीप नारायण का जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव है उसको मैं सुरक्षित रखता हूं, बाद में निर्णय दूंगा ।

शेष डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह की सूचना, श्री कुंवर सिंह नंगी, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की सूचना, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना, श्री किशन गोपाल तथा श्री सत्य प्रकाश विकल की जो सूचनायें हैं, इन पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक कार्य स्थगन की सूचना मेरी भी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह अस्वीकृत हुई । . . (व्यवधान) यह सदन कैसे चलेगा । तीन बज गये हैं । बजट पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ करें। आपको बजट में और सामान्य चर्चा में बोलने का मौका मिलेगा । उस समय एक मिनट आपको ज्यादा दे दूंगा । कृपया बैठें ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांवों में महिलाओं के लिये शौचालय के निर्माण के लिए भी कहा है और यह भी कहा है कि जो नगर निकायों में चुंगी की प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है । इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को जो क्षति है उसमें प्रर्याप्त राहत दी जाय। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि कक्षा 12 तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी । मान्यवर, यह सारी घोषणायें स्वागत योग्य हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनकी इन घोषणाओं के लिए बधाई देता हूं । उन्होंने इस सरकार में इस तरह की घोषणायें की हैं जिनके बारे में पिछली सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था और न ही उसने कोई ऐसा कदम उठाने का निर्णय लिया था । मुख्य मंत्री जी ने एक नारा बहुत ही आकर्षक दिया है कि चलो गांव की ओर लेकिन जाना बड़ा अच्छा है किन्तु वहां जाकर गांव को उजाड़ दिया तो फिर बड़ी कठिनाई होगी । मान्यवर, 51.3 प्रतिशत बजट का जो गांवों में खर्च करने की बात की है वह अच्छी है लेकिन उसके लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो उसका भी वही

† दिनांक 20 जून, 1990 की कार्यवाही से ।

हस्र होगा जो जवाहर योजना का हम लोगों ने देखा है । क्योंकि ग्रामों में ग्राम सभाओं पर आमतौर पर गुण्डों, बदमाशों और शोषक वर्ग का कब्जा है उनके माध्यम से बजट का पैसा खर्च होने से क्या होगा यह आप जानते हैं । इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर ले ताकि इस बजट के 51.3 प्रतिशत का भाग सही ढंग से खर्च हो ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में जमीन के मामले में कोई ठोस बात नहीं कही केवल यह बात कही कि ऊसर बंजर जमीन को दुरुस्त करने के लिये उसके सुधार के लिये भूमि सेना तैयार की जायेगी और उसके बाद उसे बांटा जायेगा । लेकिन उन जमीनों का क्या होगा जो जमीनें चुराई गयी हैं । हजारों हजार एकड़ जमीन हमारे प्रदेश में एक एक व्यक्ति के पास है और जो सीलिंग का कानून बना था वह बहुत ही दोष पूर्ण है उसके तहत गरीबों और भूमिहीन हरिजनों को भूमि जो मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही है। उन लोगों को जमीन देने का काम आज तक नहीं हुआ और पूर्व की सरकार इसको हमेशा टालती रही है जिसका परिणाम यह हुआ कि जमीन सिमट कर उन्हीं के पास रह गयी जिनके पास अंग्रेजों के जमाने में थी । तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है । जो हदबन्दी कानून बनाया गया है उसमें बहुत खामियां हैं उसको दुरुस्त किये बगैर भूमि चोरों से जमीन नहीं निकल सकती है इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कार्यवाही करना जरूरी है तभी गांवों की ओर चलने का जो नारा है वह कामयाब होगा । अपने भाषण में पृष्ठ 3 पर मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे निहित स्वार्थी तत्व हैं जो बढ़ रहे हैं जिनके घेरे को तोड़ना है जिनके मुंह में सत्ता का खून लग चुका है और आक्टोपस की तरह जिनकी जकड़ नौकरशाही, पुलिस, राजनीति, बुद्धिजीवी और पत्रकारों की ओर बढ़ रही है । यह बात स्वागत योग्य है लेकिन जिस तरह से उनकी जकड़ विभागों में है उसको तोड़ने के लिये कोई ठोस कारगर उपाय नहीं बताये गये हैं । इन तत्वों ने पिछली बार आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाया था जिससे वह चाहते थे कि सरकार को गिरा देंगे लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाये, उनके सपने सफल नहीं हो पाये और जनता ने उनको करारा जवाब दे दिया कि जो वह कर रहे हैं वह हमारे प्रदेश और देश के हित में नहीं है और उनके हित में नहीं है जिनको आरक्षण प्रदान किया गया है । आरक्षण के सम्बन्ध में जो नीति है और जो मंडल आयोग के बारे में कहा गया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है आरक्षण का काम जिस तरह से चल रहा है उसमें मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू होना चाहिये । लेकिन लागू होने से पूर्व यह आवश्यक है कि इसके बारे में जनमत तैयार करना चाहिये ताकि उन तत्वों को करारा धक्का दिया जाय । अभी से इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक विशाल जनमत इस सम्बन्ध में तैयार किया जाय । हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है इसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं । मंडल आयोग की संस्तुतियों को मजबूती से लागू करें इसके लिये हम हमेशा सरकार का साथ देंगे । मान्यवर, पृष्ठ 6 पर मुख्य मंत्री ने कहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं का खर्च प्रदेश में 8 प्रतिशत, ऐसे उच्चतम लोग हैं जो 22 प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुओं का खर्च करते हैं । इसके माने प्रदेश में हमारी आबादी की जो आय है उसका 1/4 हिस्सा उन लोगों के हाथ में है, जो 1/4 आय के मालिक हैं । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी तरफ इस सरकार की आंख नही जाती है और उनके ऊपर बोझ नही डाला जाता है बल्कि जन साधारण पर बिक्रीकर का बोझ बढ़ाकर उनकी आर्थिक हालत खराब बना दी जाती है । मान्यवर, 15 से 25 प्रतिशत बिक्रीकर हो गया है ।

जो बिक्री करते हैं उस पर कर नहीं लगाते हैं बल्कि जो क्रय करता है उस पर कर लगता है ।

मान्यवर, भाषण में कहा गया था और केन्द्र सरकार ने भी नारा दिया है कि व्यवस्था परिवर्तन होना आवश्यक है । अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है । तो व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है और हम कम्युनिस्ट लोग तो व्यवस्था परिवर्तन के हामी हैं । लेकिन जनता सरकार कैसी व्यवस्था परिवर्तन चाहती है मौलिक या कुछ लोगों के इधर से उधर कर देने से । लोगों के स्थानान्तरण करने से व्यवस्था परिवर्तन की बात है या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन यह सरकार चाहती है ।

मान्यवर, यह सरकार भी कांग्रेस की उन आर्थिक नीतियों की लीक पर चलना चाहती है जिसने प्रदेश और देश को तबाह एवं जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंचा दिया और जनता ने उनकी छुट्टी कर दी और विरासत में जनता सरकार आयी । इसलिये आपको मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा । मान्यवर, पेज 49 पर तुलसीदास का दोहा लिखा है जिसका अर्थ है कि प्रजा के भाग्य से राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए, सूर्य समुद्र से पानी खींचता है उसे कोई नहीं देखता पर जब वही बादल बनकर बरसता है तो लोग हर्षित होते हैं । तो हम कर वहीं लगाना चाहते हैं जहां समुद्र की तरह अपार धन है। लेकिन उसका इस बजट भाषण में जिक्र नहीं है कि ऐसे लोगों पर टैक्स लगाया जायेगा जहां से आय आयेगी और जब उन पर कर नहीं लगेगा, तो जो वर्तमान आर्थिक नीतियां हैं वही चलती रहेंगी । हमारे प्रदेश में कांग्रेस का निरन्तर, और केन्द्र में भी, राज्य रहा है और उन्होंने पूंजीवादी रास्ता अपनाया और पूंजीपति मालामाल होते गये और आपने उन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं लाया, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश और देश में लोग मालामाल होते रहेंगे और मुट्ठी भर लोग उसे रोक नही सकते हैं ।

डा0 लोहिया के सपने तभी पूरे होंगे जब पूंजीवादी आर्थिक नीतियों में मौलिक परिवर्तन करेंगे तभी जाकर आपकी व्यवस्था में परिवर्तन होगा । व्यवस्था परिवर्तन के यह मायने नहीं है कि कुछ आई0 ए0 एस0 अधिकारियों और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का ट्रान्सफर कर दें एवं छोटे कर्मचारियों का ट्रान्सफर इस ढंग से कर दें कि उसकी मौत हो जाये । हम स्थानान्तरण में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन इससे दुर्गन्ध आती है भ्रष्टाचार की किस तरह स्थानान्तरण में काम हुआ है और लोगों को परेशान किया जा रहा है और तरह तरह से टी0 ए0 डी0 ए0 में खर्च हो रहा है । इससे व्यवस्था परिवर्तन नही हो सकती है । इसलिये पूर्व कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां थीं उनको बदलकर बुनियादी मौलिक नीतियों को लायें तभी व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी ।

मान्यवर, इसके साथ ही हमारे जो निगम या जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको आज प्राइवेट हाथों में देने की बात हो रही है जैसे सीमेंट कारपोरेशन वह प्राइवेट हाथों में जा रहा है, इससे व्यवस्था में परिवर्तन नही हो सकता है बल्कि होना यह चाहिए कि उसमें जो कमजोरियां हैं उनमें सुधार करने के लिये कड़े कदम उठायें । मान्यवर, उसमें उत्पादन क्यों गिर रहा है ? मजदूरों में अशांति क्यों बढ़ रही है ? इन कमियों को कैसे दूर किया जाये इस पर आपकी सरकार को सोचना चाहिए । तभी जाकर

आप व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर सकते हैं । एक तरफ जो तमाम सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको आप निजी हाथों में देने की बात सोचते हैं दूसरे तरफ यह यह है । वास्तव में यह आपके अन्तर विरोध वाली बात हमारी समझ में नहीं आती है । मुझे बड़ी हैरत है कि इस सरकार के अन्दर लोहिया के भक्त होते हुए भी, समाजवादी विचार धारा के होते हुए भी मजदूरों के प्रति वह नीति अपनाई है, वह कतई शोभा नहीं देती है और वह इन नीतियों से भी मेल नहीं खाती । आज मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगाई जाती है आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते हैं । यह कहां की समाजवादी विचारधारा है ? मजदूरों को लोकतांत्रिक ढांचे में हड़ताल करने का अधिकार मिला है । सबसे बड़ी बात इधर यह हुई है कि जनपद सोनभद्र में, जहां पर तमाम बिजली के कारखाने हैं, वहां पर मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है । इसके साथ-साथ प्रदेश भर में उन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता है जो मजदूर विरोधी हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं । राज्य की ओर से जो कारखाने चलाए जाते हैं, वहां पर भी मजदूरों को अनावश्यक रूप से निकाला जाता है । अकबरपुर में भरैला की राजकीय स्पीनिंग मिल है, जिसमें प्रबन्धकों ने लाक आउट किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप 3500 मजदूर बेकार हो गए हैं । इसी तरह जे0 के0 आज बन्द है, उसके तमाम मजदूर बेकार हैं । एल0 एम0 एल0 में जो घटना हुई है, वहां जिस तरह से मजदूरों पर हमला हुआ है । उन मालिकान के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में यह सरकार हिचकिचा रही है । मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भी मजदूर हमारे संगठन में चलते हैं, उनके हकों की रक्षा करने में आप आगे आएं । तो वह आपके हाथों को मजबूत करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे ।

मान्यवर, इसके साथ साथ अब मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उन्हें सामाजिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है । ये अधिकांश आदिवासी, और अनुसूचित जातियों के लोग हैं । उनकी सुरक्षा आज खतरे में पड़ी हुई है । आज उनको सामाजिक न्याय मिलने में सुबह पैदा हो गया है । कभी बांदा में, कभी हमीरपुर में और कभी फतेहपुर में इस तरह की उनके साथ उत्पीड़क घटनाएं हो रही हैं । उनको थाने में ले जाकर पीट-पीट कर मार डाला जा रहा है । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । हमीरपुर के कुरारा थाने में तो 14-14 दिन तक रख कर एक हरिजन को बुरी तरह से पीटा गया । आज पुलिस का रवैया इतना खतरनाक हो गया है कि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पता नहीं क्या होगा (व्यवधान) तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह हालात हमारे प्रदेश में है, उस पर अंकुश लगाया जाए ।

मान्यवर, साम्प्रदायिकता का जहां तक प्रश्न है, हमारी पार्टी साम्प्रदायिकता के खिलाफ है, अलगाववाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है और आगे की कतार में रहने वाली पार्टी है और इस सबके लिए हमें खून भी बहाना पड़े तो हम उसमें पीछे रहने वाले नहीं हैं । साम्प्रदायिक और अलगाववादी शक्तियों को खत्म करने के लिए हमेशा हम लड़ते हैं और उसके लिए कुर्बानियां दी हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, बढ़े हुए साम्प्रदायिक जहर को रोकने के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, और इसके लिए 24 मई को दिल्ली के कन्वेंशन में उन्होंने जो भाषण दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। हम माननीय मुलायम सिंह जी के हाथों को मजबूत करेंगे । मान्यवर, जनता दल ने काम

के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना है । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में बहुत से अंशकालिक अध्यापक हैं, अंशकालिक डाक्टर और आयुर्वेदिक डाक्टर अंशकालिक नलकूप चालक हैं । मैं समझता हूं कि हमारी यह लोकप्रिय सरकार अंशकालिक शब्द हटाकर, चाहे वह अंशकालिक अध्यापक हों या अंशकालिक आयुर्वेदिक डाक्टर, उनको नियमित कर दे । मान्यवर, उन शिक्षित नौजवानों को जो बेकार हैं, रोजगार देने की बात कही गयी है । मान्यवर, मेरा कहना है कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कदम इस सरकार को उठाना चाहिए । मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और दुरुस्त करना चाहिए । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं केरल की सरकार की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, 13-14 जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको नियंत्रित करके लोगों को उपलब्ध कराया जाय । हमारे वाराणसी में नलकूप पड़े हुए हैं जिनका ऊर्जीकरण नहीं हो रहा है । न वहां खम्भे हैं, न वहां तार हैं और न ही ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है । अब आप कृपया बैठ जायें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैंने अभी जो सुझाव दिए हैं, सरकार उन पर विचार करने की कृपा करे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन एवं सम्मान करता हूं । श्रीमन् पहले भी जिन-जिन माननीय मुख्य मंत्रियों या वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसको हमने लाइब्रेरी में देखा है और पढ़ने का प्रयास किया है । यह कहने में हमें गर्व महसूस हो रहा है कि 1952 से लेकर आज तक जितने भी माननीय मुख्य मंत्रियों ने या वित्त मंत्रियों ने यहां बजट प्रस्ताव रखे हैं उसमें यह बजट जो माननीय मुलायम सिंह जी ने रखा है सबसे अच्छा, गरीबों की गरीबी को दूर करने वाला तथा ग्रामीणों का सम्पूर्ण विकास करने सम्बन्धी निर्णय लेने वाला बजट है ।

इसमें हमको थोड़ा भी संयम नहीं है । आप भी जानते हैं कि इस दल का नेता, हर राजनीतिक पार्टी इस बात की घोषणा करता है और करता आया है कि हम देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं । गांव की दशा सुधारना चाहते हैं और देश में अमन-चैन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं । लेकिन श्रीमन् यह केवल भाषण रहे, नारे रहे, जब उन्होंने बजट पेश किया तो पुरानी नीति पर, अफसरों द्वारा बनाए बजट को विधान सभा में पेश किया । मान्यवर, यह पहला बजट है जो हमारे जनता दल का है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में जो घोषणा की थीं या अपनी चुनावी मीटिंगों में जो घोषणा की थी उसका 95 प्रतिशत अपने बजट में प्राविधान करके यह बजट पेश किया है ।

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस तरह का उन्होंने जो बजट पेश किया है ऐसा किसी ने नहीं किया । कोई भी सरकार गांव के विकास के लिए अपने बजट का आधे से अधिक हिस्सा, जैसे इस सरकार ने दिया है, नहीं दे पाई । महिलाओं के लिए सबके दिल में दर्द रहता है । लोहिया जी, जय प्रकाश नारायण, जवाहर लाल नेहरू आदि बड़े-बड़े नेताओं ने अपने आंसू गिराए । महिलाओं के प्रति, उनके किये जा रहे कार्यों के प्रति हमदर्दी जताई । नारायण दत्त तिवारी जी ने और गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने अपना बजट इस सदन में पेश किया, लेकिन यह पहली सरकार है जिसने ग्रामीण महिलाओं को ग्राम में शौचालय की व्यवस्था कराने का प्राविधान किया यह हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, यह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अपने बजट का इतना हिस्सा खर्चा किया ।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए । स्वास्थ्य विभाग जनता से अछूता विभाग नहीं है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जनता का जो कार्य हो कोई भी स्वास्थ्य विभाग से अछूता नहीं है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 74 परसेन्ट से अधिक स्वास्थ्य विभाग का पैसा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के ऊपर रखा है । इससे अच्छा बजट तो कोई सरकार नहीं दे सकती है । ग्रामीण क्षेत्रों में 523 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे । मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि डाक्टरों की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्ति हो रही है और वह जनता की सेवा से कतरा रहे हैं ऐसे डाक्टरों को निलम्बित कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर नये डाक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी ताकि गांव के लोगों की सेवा अच्छी तरह से हो सके । मान्यवर, 1974 से लेकर आपात काल के समय जेल में जाने तक हम लोगों ने जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन में काम किया दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने हेतु नारा लगाया एक आन्दोलन किया । और इस आन्दोलन से जेल में रहने तक कांग्रेस की सरकार थी फिर 1977 में विपक्ष की सरकार आई तो हिन्दुस्तान से दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय उसकी मांग इसी विधान सभा में हम लोगों ने कहा । ऐसी उस समय घोषणा की गयी । तथा यह कहा गया और हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाए ।

इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दें यह कहा गया, लेकिन ऐसा उस समय नहीं हुआ तथा अल्प समय में यह सरकार गिर गयी । मान्यवर, यह दोहरी शिक्षा नीति है ऐसा हो कि—अमीर-आदमी का प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बेटा सूट, टाई पहन कर कुर्सियों पर बैठता है और किसान व मजदूर का बेटा पीठ पर बोरी लेकर गांव में पेड़ के नीचे टाट पर बैठकर पढ़ता है जो कुर्सियों पर टाई लगाकर सूट पहने कर पढ़ने वाला अमीर का लड़का है वह आगे चलकर अफसर बनता है और गांव में पीठ पर बोरी लेकर पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने वाला गरीब किसान-मजदूर का बेटा बड़े-बड़े शहरों में मजदूरी करता है, ठेला खींचने और बोरी ढोने का काम करता है । तो मुख्य मंत्री जी ने जो यह दोहरी शिक्षा प्रणाली है उस पर जो रोक लगाने एवं समाप्त करने की घोषणा किया है इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना

चाहता हूं । मान्यवर, इण्टरमीडिएट तक उन्होंने जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है तो ऐसा करके उन्होंने माननीय स्व0 जय प्रकाश नारायण जी के अरमानों को पूरा किया है । निश्चित रूप से यह हिन्दुस्तान में एक सराहनीय कार्य किया है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बजट में व्यवस्था की गयी है, मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है कि ऐसी जगह जहां पर राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इण्टर कालेज नहीं हैं ऐसे ग्रामीण इलाकों के कम से कम 100 विकास खण्डों में राजकीय इण्टर कालेज खोलने का काम करेंगे । यह जो कदम उठाया गया है इससे महिलाओं का शिक्षा क्षेत्र में विकास होगा और छात्राओं के पढ़ने के लिये इससे बढ़िया कदम और कोई नहीं हो सकता । माननीय मुलायम सिंह जी से उत्तर प्रदेश के गरीबों, महिलाओं के विकास के लिये और बेरोजगारी को दूर करने के लिये यह बजट लाये हैं जो एक अनोखा बजट साबित होगा और प्रशंसनीय बजट होगा यह मैं आपसे कहना चाहता हूं । मान्यवर, दूसरी बात यह आपसे कहना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् एक अभिशाप बन गयी थी उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते में । गांवों को बिजली नहीं मिल रही थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते ही घोषणा की कि सरकार गांवों को 14 घंटे बिजली देगी । मान्यवर, कहीं-कहीं 14 घंटे कहीं पर 12 घंटे बिजली गांवों को मिल रही है । उन्होंने विद्युत परिषद् अध्यक्ष को हटाया और अनेक भ्रष्ट अधिकारियों की सेवा निवृत्ति का आदेश देकर विद्युत परिषद् को सुधारने का काम किया है । यह एक सराहनीय काम है जनता दल की सरकार का प्रदेश की जनता के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

चौधरी जी आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में जो व्यवस्था की है उससे सारे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। हम लोग जल निगम के आफिस में जाते थे और कहते थे अमुक गांव में हैण्ड पम्प नहीं है तो अधिशासी अभियन्ता कहते थे कि हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं हो सकती है । लेकिन इस बजट में प्राविधान किया गया है कि 150 व्यक्तियों पर प्रत्येक गांव में एक हैण्ड पम्प लगाया जायगा जिससे ग्रामीण लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सकेगी । श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्रों के लिये भी पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में बजट में काफी धनराशि का प्राविधान किया गया है और सरकार ने यह नीति बनायी है कि हम किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पेयजल दिए बिना नहीं रहेंगे । इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती प्रदेश के विकास एवं खुशहाली के लिये । यह बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है इसलिये इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अधिक से अधिक सम्मानित सदस्य चर्चा में भाग ले सकें इसलिये मैं चाहूंगा कि समय सीमा 10 मिनट के बजाय 5 मिनट की कर दी जाय ?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है, किन्हीं कारणों से मान्यवर, बजट भाषण पर चर्चा एक दिन नहीं हो पाई थी। मान्यवर, अध्यक्ष जी से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि बजट पर चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, अभी तो चर्चा होने दिया जाय और जो वहां पर निर्णय होता है, उसकी प्रतीक्षा कर ली जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय उप नेता विरोधी दल की परामर्श से पूरी चर्चा का समय निर्धारित हो चुका है, अब उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जैसे पिछले वर्ष की परम्परायें रही हैं, माननीय नेताओं को कुछ ज्यादा समय मिले। मान्यवर, जो आपने व्यवस्था दी है, मैं समझता हूं वह उचित है।

श्री उपाध्यक्ष–

अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें, इसलिए मैंने कहा कि 10–10 मिनट के बजाय 5–5 मिनट कर दिया जाय। मैं सोच रहा हूं कि सभी दलों के नेताओं का नम्बर प्राथमिकता पर आ जाय।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल लेने के बाद से 5–5 मिनट का समय कर दीजिएगा।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं जानता हूं कि मेरे भाषण की निश्चित सीमा है, इस नाते मैं बहुत विस्तार से न जाकर कुछ बुनियादी बातें सूत्रों में रखने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, जो कुछ मैं बिन्दु उठाने जा रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण जब देने के लिए खड़े हों, उनका भी स्पष्टीकरण सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। मान्यवर, मैंने दो घंटे यहां पर बजट भाषण सुना और घर जाकर तब ध्यान से पढ़ा। मान्यवर, बजट भाषण में कुछ प्रतिक्रियायें आई हैं कि बजट बड़ा क्रांतिकारी है। मुझे ऐसा लगा कि यह बजट न तो प्रतिगामी है और न ही यह क्रांतिकारी है। मान्यवर, मेरी अपनी दृष्टि से यह बजट यथास्थितिवादी है। मान्यवर, सरकार ने चुंगी कर की समाप्ति की बात कही। मेरी पार्टी पहले से इसकी बात कर रही थी। लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकार ने इस बात को नहीं स्पष्ट किया है कि वहां पर वेतन वितरण सरकार अपने हाथ में ले लेगी। मान्यवर, एक भी ऐसा बिन्दु नहीं आया है। मान्यवर, अभी चुंगी कर समाप्त किया, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार से कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क किया है, इसके लिए वह बधाई

के पात्र हैं । मैं भी चाहता हूं कि बच्चे और बच्चियों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए । लेकिन केवल शिक्षा को निःशुल्क कर देने मात्र से काम चलेगा नहीं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोई योजना ऐसी नहीं कही गयी है । उनके लिए कहीं रोजगार की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए । शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात नहीं कही गयी है, जो मेरी दृष्टि से बहुत कमी रह गयी है । मान्यवर, सरकार ने हिन्दी के महत्व को बढ़ाया, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मौजूदा मुख्य मंत्री जी दोहरी शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं "निर्धन हो या धनवान शिक्षा होगी एक समान ।" मान्यवर, शिक्षा जब एक समान होगी, तभी इस देश की तरक्की होगी । मान्यवर, दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की बात कही गयी है, हम इसका समर्थन करते हैं और इसका स्वागत करते हैं । मान्यवर, महिला शौचालय की बात कही गयी है और माननीय चौधरी साहब ने इसकी बड़ी तारीफ भी किया । लेकिन मान्यवर, जहां पर शौचालय बनेंगे, तो वहां पर पानी की भी तो आवश्यकता होगी, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है । पानी की व्यवस्था के बगैर शौचालय बिल्कुल बन्द हो जायेंगे । मैं चाहता हूं कि जहां शौचालय स्थापित किये जा रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था अवश्य की जाय । पानी की व्यवस्था के बगैर शौचालय व्यर्थ साबित होंगे । एक तो और घोषणा का मैं स्वागत करता हूं कि जनतादल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एलान किया था कि हम गांवों के विकास के लिए 50 प्रतिशत धनराशि खर्च करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे बजट भाषण में कहा कि 50 से बढ़ाकर 51.30 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित कर दिया है । इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैंने पूरे बजट को देख डाला है, बड़े ध्यान से देख डाला है, घंटों देख डाला है लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता ही नहीं है कि गांव के विकास के लिए वास्तव में 51.30 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है । मैं चाहता हूं कि वे इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें कि गांव के विकास के लिए किन-किन आइटम में कितना-कितना पैसा खर्च करेंगे । इससे हम भी, हमारे विधायक भी और प्रदेश की जनता भी जान जायेगी । मुझे तो लगता है कि 51.30 प्रतिशत मात्र घोषणा है और वास्तविकता से बहुत दूर है । मैंने हिसाब लगाकर देखा है कि 27-28 फीसदी से ज्यादा बजट गांव के विकास पर नहीं आया है । आप श्वेत पत्र जारी कर दें । मैं सोचता था खाद, बीज, पानी, बिजली, कीटनाशक दवाओं के भावों में घटोत्तरी की जायेगी और इसके घटाने से किसानों का हित होता ।

मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि इतना लम्बा भाषण मैंने कभी नहीं सुना, यह एतिहासिक भाषण है । मैं छठीं बार चुनकर आया हूं इतना लम्बा भाषण कभी नहीं देखा था, इतनी कविताएं भी नहीं देखी थी इतने नारे भी नहीं देखे थे, इस नाते से इसको एतिहासिक कहा जा सकता है ।

मान्यवर, मैं दूसरे बिन्दु पर आना चाहता हूं किसी बजट के अच्छे या बुरे होने की कुछ कसौटियां होती हैं । मैं इसमें विश्लेषण करना चाहता हूं कि कसौटियां क्या हैं । कोई बजट अच्छा या बुरा है इसकी पहली कसौटी है कोई

बजट अगर महंगाई को घटाने वाला है तो अच्छा बजट है परन्तु अगर कोई बजट महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है तो बहुत खराब बजट है, इसी प्रकार से कोई बजट बेरोजगारी को दूर करने वाला है तो अच्छा बजट है और अगर बेरोजगारी को हल करने वाला नहीं है और समस्या को बढ़ाने वाला है तो खराब बजट है। तीसरी कसौटी है जो बजट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का उत्थान कर सके, अच्छा बजट है परन्तु जो बजट गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का विकास, उत्थान और उनमें आशा की किरण न जगा सके तो वह खराब बजट माना जायेगा। इसी तरह से जो विकास की दर है, जो विकास की दर को पूरा कर सके बहुत अच्छा बजट माना जायेगा परन्तु जो बजट विकास की दर को पूरा नहीं कर सके, बहुत खराब बजट माना जायेगा। पांचवीं कसौटी है कर निर्धारण का मानक, कर का मापदण्ड, जो बजट बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स लगा कर पैसा बटोरे और आम जनता की भलाई में लगाये तो बहुत अच्छा बजट है लेकिन जो बजट सामान्य जनता की जेब पर डाका डाले तो खराब बजट है। तो यह पांच कसौटियां है इस पर मैं बजट को कसकर देखना चाहता हूं। जहां तक पहले महंगाई का प्रश्न है, 6 मास से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार आई है, महंगाई कांग्रेस के जमाने से ज्यादा बढ़ी है इसे स्वीकार करना चाहिए। चीनी का उत्पादन खपत से ज्यादा हुआ, फिर दाम क्यों बढ़े। सीमेंट का उत्पादन खपत से ज्यादा हुआ, फिर दाम क्यों बढ़े। इसके बीच में कहीं चीनी की तस्करी तो नहीं हो रही।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, नेता भाजपा को जानना चाहिए कि चीनी के दाम इसलिए बढ़े कि किसानों को गन्ने का अधिक दाम दिया गया। इससे चीनी के दाम बढ़ेंगे कि नहीं।

श्री कल्यान सिंह–

काश कि यह सच्चाई होती, मेरा गन्ना जिस दाम में लिया गया, चीनी के दाम उसके हिसाब से ज्यादा बढ़े, क्यों बढ़े, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। कौन से लोग इसके पीछे हैं . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको समय मिलेगा, कृपया शांत रहिये। आपका समय आएगा तो उत्तर दीजियेगा।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, व्यवधान का पूरा समय दीजियेगा। लोहे की कीमत क्यों बढ़ी, खाद्य तेल की कीमत क्यों बढ़ी और मिट्टी के तेल की कीमत क्यों बढ़ी। ये तो सामान्य चीज के दाम बढ़े हैं और आप कह रहे हैं कि कर रहित बजट बनाया है। बिक्री-कर का अधिभार 10 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट कर दिया। आम जनता पर इससे 150 करोड़ का टैक्स बढ़ जायगा। बिक्रीकर का अधिभार कुल मिलाकर उपभोक्ता की जेब पर डाका डालता है। यह 150 करोड़ अधिभार के रूप में लोगे तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। आपने 147 करोड़ के घाटे के बारे में कहा कि कमेटी बना रहे हैं जिसमें 100 करोड़ के संसाधन बढ़ाएंगे। अर्थात् 100 करोड़ के टैक्स और बढ़ाएंगे। मेरा तो कहना है कि

यह घाटा सवा दो सौ करोड़ तक बढ़ेगा। 150 करोड़ अधिभार के रूप में लेंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही।

मैं चाहता था कि बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाय। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस वर्ष जो प्रस्ताव भेजा है केन्द्र को, उसमें कह दिया है कि हम बिक्री-कर को समाप्त करना चाहते हैं। काश, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसको लिखकर भेजती। बिक्री-कर भ्रष्टाचार का धंधा है। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इस बजट से महंगाई रुकेगी नहीं, बहुत बढ़ेगी। इस नाते इस कसौटी पर यह बेहद निकम्मा बजट पेश हुआ है। दूसरे मैंने बेरोजगारी की बात कही। इसकी गारन्टी होनी चाहिए कि हर बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन इसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। यह गारन्टी होनी चाहिए कि अगर रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगार नौजवानों को आपसे बड़ी आशा थी, उसका सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आज देश का किसान और नौजवान बहुत निराश हो चुका है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इनको पता नहीं है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है, जिलों में कितने बेरोजगार हैं, इनको रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था की जायगी, इसका कोई मास्टर प्लान इनके पास नहीं है, तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी। और तो और, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 1200 कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा धारक हैं, 1500 होंगे, ये दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, इनको रोजगार नहीं मिला। वर्ष 1972 तक इनकी नियुक्ति होती थी, 1972 में कांग्रेस शासन ने इसको समाप्त कर दिया, अच्छा नहीं किया, 1977 में जनता शासन ने नियुक्ति फिर आरम्भ कर दी, अच्छा किया, 1979 में कांग्रेस सरकार आयी तो फिर नियुक्ति बन्द कर दी, यह अच्छा नहीं किया, फिर 1985 में कांग्रेस ने प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द कर दिया। अब 1980 से 1985 के कृषि प्रसार शिक्षक बेरोजगार हैं उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला। मुख्य मंत्री जी से कहा कि इनको रोजगार दीजिये, आश्वासन मिला, लेकिन रोजगार नहीं मिला। यह इस बजट की बेरोजगारी दूर करने की कसौटी है। इस तरह से अंशकालिक नलकूप चालक, अंशकालिक शिक्षक, अंशकालिक डाक्टर हैं तो क्या सरकार अंशकालिक सरकार है। क्या मैं यह मान लूं। क्या यह तदर्थवाद पर चलने वाली सरकार है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री कल्यान सिंह–

अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप पूर्णकालिक हैं। लेकिन, यह जो अंशकालीन व्यवस्था चल रही है इसे जन्म जन्मान्तर तक कब तक चलाओगे। जितने भी असहायक जूनियर बेसिक हाईस्कूल का काम करने वाले अध्यापक हैं उनको वेतन वितरण अधिनियम में आज तक नहीं लिया गया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल के अध्यक्ष के रूप में आपका वह पत्र है जिसमें आपने लिखित रूप में स्वीकार किया हुआ है आपने तीन मांगों को स्वीकार

किया हुआ है, और वह तीनों मांगों संबंधी पत्र मैंने आपके पास नोट के साथ भेजा भी है। आज तक असहायक सीनियर बेसिक विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनियम की सूची में नहीं लिया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य शांति बनाये रखें। टोका टाकी न करें।

श्री कल्यान सिंह–

आपके मुख्य मंत्री जी ने जिन्होंने वायदा किया है, इसे पूरा नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपस में टोका टाकी न करें।

श्री कल्यान सिंह–

मेरे अपने विश्लेषण के अनुसार यह बजट प्रदेश की विकराल बेरोजगारी समस्या दूर करने में भी विफल है और इस कसौटी पर मेरी दृष्टि में यह बजट निकम्मा है। जहां तक विकास दर की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि यह घाटे का बजट है। इस घाटे के बजट से आज तक शासन की ओर से निश्चित तौर से नहीं कहा गया है कि आखिर आपने विकास दर क्या निर्धारित की है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय योजना है। जहां तक निगमों के घाटे का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से पुन: निवेदन करूंगा कि आपस में टोका टाकी न करें।

श्री कल्यान सिंह–

आप सवाल करिये मैं जवाब दूंगा। लेकिन बैठकर नहीं आप खड़े हो कर सवाल करें मैं जवाब दूंगा। विकास की दर भी इस बजट से पूरी नहीं हो पायेगी इस नीति से मेरी दृष्टि से यह बजट फेल है। बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स की इसमें कहीं कोई योजना नहीं है लेकिन टैक्स लगेगा गरीब के ऊपर। टैक्स की प्रणाली दो होती है। एक प्रत्यक्ष कर कहलाता है और एक अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर लगता है और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स यह आम जनता पर पड़ता है। यह अधिभार बढ़ाया गया है यह एक तरह से परोक्ष कर है और यह डाका डालेगा गरीब आदमी की जेब पर। जो मापदण्ड है जो उसके मापक है उसके हिसाब से यह पूंजीपतियों के हित में जाता है आप गरीब जनता के हित में नहीं जाता है। इसलिए इस कसौटी से मेरी दृष्टि से यह बजट फेल है।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

आप तो व्यापारियों के हिमायती हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें।

श्री कल्यान सिंह–

व्यापारियों के हिमायती आप होंगे, कालाबाजारियों के हिमायती आप होंगे, रिश्वतखोरों के हिमायती आप होंगे। भा0 ज0 पा0 तो व्यापारियों की हिमायती है, न दलालों की हिमायती है और न रिश्वतखोरों की हिमायती है। कर्जमाफी की बात आयी, यहां घोषणा ही हो रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपसे पहले इसे करके दिखा दिया। कहा गया कि सहकारी बैंकों/समितियों के कर्जे माफ होंगे। आप पहले मुझे सुन तो लें, फिर कुछ कहें, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें। उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री कल्यान सिंह–

लेकिन इन सहकारी बैंकों/समितियों को पैसे देने का प्राविधान नहीं है, अगर सहकारी समितियों आदि को इसमें धन नहीं दिया गया, तो सहकारी बैंक फेल हो जायेंगे, सहकारी आन्दोलन असफल हो जायेगा।। देश प्रदेश के विकास में इनका बड़ा योगदान है। मैं जानना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है, यह बता देंगे। इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण की बात आयी थी। गांवों का विद्युतीकरण नहीं है। एक लक्ष्य होना चाहिए था साल के लिए। आपने कहा कि हम कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, जहां विद्युतीकरण न हो। लेकिन ऐसा न हो कि किसी गांव से केवल लाइन निकल गयी और आपने कह दिया कि गांव का विद्युतीकरण हो गया। बड़ी आप गांवों की दुहाई देते हैं, किसानों की दुहाई देते हैं। किसान मर जाता है, दैवी आपदा के कारण और उसकी फसलों का बीमा करने का कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। जब किसान की फसल मारी जाती है, तो उसका परिवार बरबाद हो जाता है। आपको चाहिए था कि आप किसान की फसल का, उसके एक-एक पशु का बीमा करने की कोई योजना इस बजट में रखते, लेकिन ऐसी कोई बात इस बजट में नहीं है। आपने कहा कि यह किसानों के लिए बड़ा क्रान्तिकारी बजट है, मुझे तो कोई क्रान्ति नहीं दिखाई दी। जैसा कि अभी हमारे माननीय राज-किशोर सिंह जी कह रहे थे कि अगर कोई क्रान्ति दिखायी है, तो केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग में। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि सूची पेश कर देंगे, ठीक है, जरूर आप सूची पेश करें। आपने कहा कि पैसा खाया गया, अगर 5 का पैसा विधायक खा गये, तो 95 का पैसा कौन खा गया, इसका जवाब है किसी के पास? वह तो आपने अपने हिसाब से किया है।

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

तो मान्यवर, मैं ट्रांसफर्स के बारे में कह रहा था। क्या इन्होंने देखा कि जिस प्रशासन के माध्यम से यह विकास करना चाहते हैं, यह प्रशासन कैसा है। मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे पास जानकारी है, हरदुआगंज पावर हाउस के अन्दर एक कर्मचारी 31 जुलाई, 1989 को रिटायर हो गया और उसका ट्रांसफर आर्डर अप्रैल, 90 में

जा रहा है, अगर आप कहें, तो नाम बता दें, उसका नाम है, अमर सिंह राठौर, आपरेटर ग्रेड–प्रथम ।

(पुनः सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

और कहें, तो हम और बता दें, एक हैं लक्ष्मण सिंह चौहान, आपरेटर ग्रेड–द्वितीय, इनका 31 जुलाई, 1989 को रिटायरमेंट हो गया और इनका 16 अप्रैल, 1990 को ट्रांसफर आर्डर गया है, इसी तरह एक हैं श्री रामकृष्ण राकेश, इनको मरे हुए 1-2, 3-4 दिन नहीं, बल्कि 4 साल हो गये हैं और 16 अप्रैल, 1990 को इनका भी ट्रांसफर आर्डर गया है, जबकि वह अपना योगदान इस समय स्वर्ग में दे रहे हैं, आप ही बताइये कि कौन अधिकारी जायेगा, स्वर्ग में, उनको ट्रांसफर आर्डर तामील कराने। ये मेरे पास सभी आदेश मौजूद हैं।

(व्यवधान)

आप माननीय मुख्य मंत्री जी इसे चैक करा लीजिए। मैं अनुग्रहीत हूंगा यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित हो जाय। भ्रष्ट अधिकारियों को आपने कम्पलसरी रिटायरमेंट देने की बात कही, अच्छा किया। लेकिन श्री दया शंकर मिश्रा जो डी0 एस0 ओ0 कानपुर थे, उनको आपने कम्पलसरी रिटायर कर दिया, परन्तु पता नहीं वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से उन्हें पुनः डी0 एस0 ओ0, आजमगढ़ बनाकर भेज दिया। अच्छे ईमानदार अधिकारियों/कर्मचारियों को आज किस तरह से पीड़ित किया जा रहा है, मैं इसे भलीभांति जानता हूं और जो भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे यहां एक एस0 डी0 एम0 था, उसे केवल 11 महीने ही हुए थे, कि उसे आपने हटा दिया। क्योंकि उसने सीमेन्ट, खाद व ब्लैक में चीनी की चोरी को पकड़ा था। ए0 डी0 एम0, वित्त एवं राजस्व थे, जो पहले भी रह चुके हैं, आपकी जानकारी में भी होगा, इस जिले का ही मामला है, जाफरी साहब जो ढाई-तीन साल से जमे हुए हैं। कई विधायकों ने लिखकर दिया, परन्तु उन्हें आपने हटाया नहीं। उन्हें आपने ज्यादा पैसे वाली जगह पर भेज दिया फूड एण्ड सिविल सप्लाई में। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों से यदि आप शासन चलायेंगे तो यह प्रदेश कैसे चल पायेगा ? इस बजट से आम जनता का कोई भला होने वाला नहीं है।

*श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पहली दफा इस बजट में कुछ चीजें उभर कर आई हैं। जो भी प्रगतिशील ताकतें हैं, वह माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हैं । मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही मैं उन बिन्दुओं पर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं, जिन्हें उन्होंने अपने बजट में शामिल किया है। मसलन, 10 हजार रुपए तक कोआपरेटिव की कर्जमाफी की घोषणा, 20 करोड़ रुपए पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाके के लिए बजट में अलग से प्राविधान करना, गांवों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विकास के लिए 51.30 प्रतिशत बजट का आवंटन करना, भाषा एवं साम्प्रदायिकता के सवाल पर सरकार का कड़ा रूख, कक्षा–12 तक निःशुल्क शिक्षा, सभी प्राइमरी स्कूलों के भवन का निर्माण करना, वृद्धावस्था एवं विकलांगों की उम्र को घटाना एवं उनकी पेंशन की धनराशि का बढ़ाना, राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में 100 रुपए की वृद्धि करना, विधान परिषद् के चुनाव कराना और गांवों में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करना आदि है। अभी हमारे नेता श्री कल्यान सिंह जी बोल रहे थे, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम सार्वजनिक शौचालय नहीं बना रहे हैं, हम उनको अधिक से अधिक अनुदान देना चाहते हैं ताकि गांवों में अधिक से अधिक शौचालय बनाये जायं। इसी तरह डा0 लोहिया कहा करते थे कि आदमी आदमी को खींचता है, हमारे देश में प्रचलन है रिक्शा चलाने का अपनी जीविकोपार्जन हेतु लोग रिक्शा चलाते हैं। यह पहली सरकार है भारतवर्ष में जिसने फैसला लिया है कि 50 प्रतिशत या उससे अधिक धनराशि अनुदान में देकर रिक्शा चालकों को रिक्शे का मालिक बनाने का काम किया जायगा। डा0 लोहिया के कहने के अनुसार आचरण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

डा0 लोहिया कहा करते थे कि बंजर भूमि के लिए भूमि सेना का गठन किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भूमि सेना का गठन करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल में गरीबों का खाना बन्द कर दिया था, हमने फैसला लिया कि उनके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करेंगे। जैसा माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि 100 ब्लाकों में लड़कियों के शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना करेंगे, इसके लिए बजट में जो व्यवस्था की गयी है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

अभी कल्यान सिंह जी ने चुंगी टैक्स में लाखों रुपये के घोटाले की बात कही, हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि चुंगी टैक्स को समाप्त करने का काम करेंगे।

1000 हरिजन बाहुल्य गांवों के विकास के लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अम्बेदकर भवन बनाने की व्यवस्था के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

अनुसूचित जाति की बात कांग्रेस के लोग बहुत करते हैं। अनुसूचित जाति के उद्यमिता विकास के लिए 25 प्रतिशत धनराशि दी जाती थी, उसको 50 प्रतिशत से अधिक हमारी सरकार ने कर दिया है, 3000/- रु0 जो दिये जाते थे, उसमें फैसला किया है कि 5000/- रु0 देने का काम करेंगे। हरिजनों गिरिजनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने मजबूत कदम उठाया है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर भइया–

विद्युत विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। विद्युत विभाग का प्लान्ट लोड

फैक्टर जो कांग्रेस के जमाने में 36.5 था, वह पिछले 6 महीने में बढ़कर 56.9 हो गया है। यह बजट गांवों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, पिछड़े और बेरोजगारों के विकास के लिए बनाया गया है। इस बजट को और सरकार को देखकर लगता है कि सरकार सत्ता के दलालों, पूंजीपतियों और जमाखोरों के चंगुल से बाहर निकल गयी है। सरकार पर से पूंजीपतियों का दबाव समाप्त हो गया है।

कांग्रेस के एक साथी ने कल एक भाषण में कहा था कि हमारी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति चौराहे पर लगा रही है और उस पर चील कौव्वे हग रहे हैं तथा उनका अपमान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि 40 सालों से अधिक हो गये पंडित जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद में जिस मकान में पैदा हुए थे, उसमें वेश्यालय चल रहा है और इन लोगों ने आज तक उसको संग्रहालय में तबदील नहीं किया। इस तरह से यह खुद अपने नेता का अपमान कर रहे हैं।

इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं।

*डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, बजट पर बोलने से पहले जो इस सदन में आज अनोखी परम्परा डाली गयी है, उस संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। उन्होंने बेइज्जत करके जो इज्जत देने की नयी शब्दावली का प्रयोग किया, मैं पत्रकारों के सन्दर्भ में कह रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

आप बजट पर बोलें।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मैं इसी सन्दर्भ में कह रहा हूं। यह सब बजट के अंतर्गत ही है। माननीय कल्याण

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए)

सिंह जी ने अभी इसी सदन में सारी बातों को स्पष्ट रूप से रखा है। आप कहते हैं कि इस बजट की वास्तविकता यह है कि गांव तक पहुंचाने की बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बजट में कहीं पर भी यह वास्तविकता देखने को नहीं आती है और उसका सारा का सारा नग्न चित्र कल्याण सिंह जी ने रख दिया है और इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात कहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 शिवा नन्द नौटियाल–

मान्यवर, यहां पर गांव की बात को लेकर बहुत चर्चा की गयी है और बहुत सी बातें कहीं गयी हैं, उनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गांव की ओर जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर गांवों का सुधार हो गया तो देश का सुधार हो गया । अगर गांव का सुधार करना है, तो पहले स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी चाहिये । अंश कालीन डाक्टर पड़े हैं, लेकिन आज तक उनकी नियुक्तियां नहीं की गयी हैं, इसके विपरीत 8 डाइरेक्टरों की नियुक्तियां हो गयी हैं और जो सबसे कनिष्ठ था, उसे डाइरेक्टर बना दिया गया । जिस गांव की बात कह रहे हैं, वहां पर जो अंश कालीन डाक्टर हैं, उनकी नियुक्तियों को नियमित नहीं किया गया है । अगर अंश कालीन डाक्टरों को नियमित नहीं किया जाता है, तो गावों का स्वास्थ्य किस प्रकार से सुरक्षित होगा ।

मान्यवर, 12वीं कक्षा तक शुल्क माफी की बात कही गयी है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले आप भवनों की व्यवस्था करें और बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की व्यवस्था करें । अगर भवन और अध्यापक नहीं होंगे तो शिक्षा के निःशुल्क होने से क्या लाभ मिलेगा । पिछली सरकार के समय जिन लोगों का साक्षात्कार हो गया था, उनकी भी नियुक्तियां रोक दी गयी और आप कहते हैं कि नया काम करेंगे अगर आप कोई नया काम करें तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपके पास कर्मचारी ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा । स्थानों की बात कही गयी है, लेकिन बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं, उन पर नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । जल संस्थान और जल निगम जो पर्वतीय अंचलों पर हैं, वहां पर 600 स्थान रिक्त हैं, लेकिन उन पर कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है और आप व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं । आप कहते हैं कि हम व्यवस्था बदल देंगे, क्या व्यवस्था बदलने का मतलब यह होता है कि यथा स्थिति से बदतर स्थिति पर आ जायें । मैं कहना चाहता हूं कि एक बार पंजाब में जब प्रताप सिंह कैरो मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने व्यवस्था बदलने की बाता की थी, तो वह गांव गांव जाकर आदेश दे आये थे, उसी प्रकार से अगर आप भी वास्तविकता में किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं तो गांव गांव जाकर एलान कर दें कि कर्ज माफ कर दिया गया है, तब हम जानेंगे कि आप व्यवस्था बदलने जा रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है । जो लोग इधर से उधर आ गये हैं उनका स्थानान्तरण रोक दिया । इसी तरह से आपने अनेक प्रकार की कार्यवाहियां की हैं ।

हिन्दी के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने घोषणा की कि हमने हिन्दी में काम करने के आदेश दे दिये और इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर दिया । . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त करें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, अभी तो मैं तीन मिनट ही बोला हूं । इन्होंने कहा कि हम हिन्दी में इतना काम कर रहे हैं । हिन्दी तो पहले से ही यहां चल रही थी । क्या नया काम आपने किया है । आपने नाम-पट्ट हिन्दी में लगा दिये । इसके लिये कब मनाही की गई थी ।

जहां तक ग्रामीण अंचल के लिये बजट का सवाल है । हमारे यहां ग्रामीण अंचल के लिये 60 प्रतिशत की व्यवस्था पहले से थी और अब आपने 50 प्रतिशत कर दिया ।

नया कौन सा कदम आपने उठाया । महंगाई जो आपके बजट से पहले बढ़ी थी वह और भी बढ़ गई है । ये सब चीजें वैसे ही हैं । इससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था बदलने के लिये गांवों तक पहुंचाने की बात कैसे सम्भव हो सकती है । आपने कहा कि हम शौचालय बनायेंगे । माननीय कल्याण सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि आप उसके लिये पानी कहां से लायेंगे । इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है और आप गांवों की ओर जा रहे हैं । पर्वतीय अंचल में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग उसे छोड़ने की स्थिति में हैं । शौचालय बनाये गये लेकिन पानी न होने के कारण ये सारी चीजें अव्यवस्थित हो गई हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

अब तो समाप्त यही हो रहे हैं । मुझे तो समाप्त करना ही है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस सरकार के वित्त मंत्री भी हैं, को वर्ष 1990-91 का बजट पेश करने के लिये उनको मुबारकबाद पेश करता हूं । जहां तक बजट के अन्दर गांवों की ओर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है उसके बारे में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा–

जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम
जिन्हें प्यास नहीं उन्हें दम ब दम
मेरे शाकिया तू ये दे बता
ये तेरा निजाम है या मजाक

मान्यवर, जिस तरीके से बजट में गांवों के ऊपर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है, वहीं पर यह नहीं कहा गया है कि गांवों और शहरों से जो सामन्तों और बड़े-बड़े जमींदारों के मार्फत सताये गये लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, नहरों और सड़कों तथा फुटपाथ के किनारे पड़े हुये हैं उनका कहीं इस बजट भाषण में जिक्र नहीं किया गया है । जहां तक मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का मामला है तो इसके बारे में बजट में कहा गया है कि हम मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं । जिस तरीके से 40 साल से पिछली सरकारें मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लटका करके रखती चली आयी हैं उसी तरीके से आपकी सरकार ने इसको लटका करके रखा है ।

मान्यवर, आपने और आपकी जनता दल सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में सार्वजनिक रूप से अपने भाषणों में कहा था कि हम अगर सरकार में आये तो हम मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे । लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक आपने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की । पहले यह कहा गया था कि हम इसे लागू करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं लेकिन यह लटकाने वाली बात है । जैसा कि पिछली सरकारें करती चला आई हैं ।

जहां तक आरक्षण की नीति का मामला है आपने बजट में कहा है कि हम आरक्षण नीति को लागू करेंगे, इसे जारी करेंगे लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय मोर्चा ने जनता दल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम इस आरक्षण नीति को जारी रखेंगे और जो बचा हुआ कोटा है उसे पूरा करेंगे लेकिन 6 महीने हो गये आपकी सरकार को आये हुए उसे आपने पूरा नहीं किया यह बड़े दुख की बात है ।

जहां तक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी का मामला है आपने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि हम प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदारी देंगे लेकिन बजट में कहीं नहीं कहा गया है कि इस प्रकार से लागू करेंगे सिर्फ यह कहा है कि इस नीति को जारी रखने के लिए तत्पर हैं । मान्यवर, यह तो सरकार की करनी और कथनी को दर्शाता है ।

जहां तक कक्षा 12 तक नि:शुल्क शिक्षा देने का मामला है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन एक तरफ करोड़ पति का बेटा जो फीस नहीं देगा और दूसरी तरफ गरीब का बेटा भी फीस नहीं देगा तो उसमें कोई गरीबी और अमीरी की रेखा खींचनी चाहिए । जहां तक 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा का मामला है इसमें कहीं कोई बात नहीं कही गयी है कि हम इसकी लाइन तय करेंगे । मान्यवर, आप एक करोड़ पति के बेटे को नि:शुल्क शिक्षा दे रहे हैं इसका तो बजट पर भार पड़ेगा ।

मान्यवर, जहां तक 10 हजार रु0 तक के कर्ज माफी की बात है इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन आपने किसानों के लिए बीमा योजना लागू करने की बात कही थी वह कोई बात नहीं की है । घोषणा पत्र में किये गये वायदे के मुताबिक किसानों की फसल बीमा योजना का बजट में कहीं चर्चा नहीं है दु:ख की बात है ।

आपने वृद्धावस्था पेंशन 60 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपया करने की बात कही है इसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन क्या यह पेंशन उत्तर प्रदेश में सब वृद्ध लोगों को मिलेगी और जल्द से जल्द कब तक देंगे यह तो कहीं नहीं कहा है ।

मान्यवर, आपने अपने घोषणापत्र में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार तथा रोजगार भत्ता देने की बात कही है लेकिन इसका बजट में कहीं जिक्र नहीं है । यह पढ़े लिखे लोगों के साथ धोखा है, उनके साथ अन्याय है ।

मान्यवर, इस बजट में चुंगी समाप्त करने की बात कही गयी मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ाने की बात कहीं नहीं की है । मान्यवर, किस प्रकार से स्थानीय निकाय चलेंगी । इनके कर्मचारियों को किस आमदनी के स्रोतों से तनख्वाह मिलेगी । इसका इस बजट में कहीं जिक्र नहीं किया गया है । जब कि नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया किस प्रकार से चलेगी । किस तरह से वह अपनी आमदनी बढ़ायेंगे और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देंगे । इस बात का इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है ।

आपने बजट में उर्दू को सच्चे दिल से लागू करने की बात कही है और हिन्दी भाषा को लागू करने की बात कही है । इसका स्वागत मैं करता हूं । उर्दू को सच्चे दिल से लागू करने की बात कही है तो प्रदेश के अन्दर कितने उर्दू टीचर रखेंगे,

उर्दू पढ़ने वालों को किस तरह प्रोत्साहन देंगे इसका बजट में कहीं जिक्र नहीं है। मान्यवर, यह अल्प संख्यकों के साथ धोखा है ।

आपकी सरकार ने जनता दल की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में और सैकड़ों जगह चुनाव सभाओं में कहा कि हम सस्ता न्याय दिलायेंगे और उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करेंगे लेकिन उसका इस बजट में कहीं घोषणा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना करेंगे । आपकी कथनी और करनी में फर्क है । तो यह जनता को एक तरह से चकमा देने वाला बजट है । आपने वायदा किया था सरकार आये 6 महीने हो गये आपने इसके लिए कुछ नहीं किया तो इससे कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है । मान्यवर, आपने चुनावी भाषणों में सार्वजनिक रूप से मंचों पर एलान किया था कि हम अपने घोषणा पत्र को सत्ता में आने के 6 महीने बाद ही लागू कर देंगे मान्यवर, यह तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के घोषणा पत्र तथा जनता दल सरकार के घोषणा पत्र में किये गये वायदों के बिल्कुल विपरीत है । मान्यवर, आपने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनायी है । इस बजट में प्रदेश की जनता के साथ धोखा और अन्याय किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*कारागार एवं नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

मान्यवर, यह जो जनता दल की सरकार ने और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने जो यहां बजट रखा है यह एक तरह से नीतिगत फर्क बतला रहा है, पिछली सरकारों और इस सरकार में । प्रदेश के विकास को लेकर क्या बुनियादी फर्क है वह इस बजट में दर्शाया गया है । इस बजट में साफ और पर एक वाक्य लिखा है चौधरी चरण सिंह का – यदि इस देश को बनाना है तो नेहरूवादी नीतियों को छोड़कर गांधीवादी नीतियों को अपनाना होगा । यह बुनियादी फर्क कांग्रेस पार्टी के बजट में और जनता दल के बजट में है । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों पर लड़ी गयी और सर्वमान्य नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान में आजादी के बाद जो हिन्दुस्तान की तस्वीर देखी थी और बताया था कि उनके सपनों का भारत शहरों में नहीं गांवों में होगा ।

मान्यवर, 1947 में जब आजादी मिली तबसे 1990 तक एक तरह से सत्तारूढ़ दल उस समय इस देश को भारत से इण्डिया बनाने में लगा रहा और दूसरी तरफ डा0 लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह जो राष्ट्रीय नेता थे वह इस देश को भारत बनाने में लगे रहे और यही चीज इस बजट में है और यही इस सरकार का संकल्प है । लेकिन गांव का रहने वाला आदमी इस देश को इण्डिया बनाने से सुखी नहीं होगा बल्कि वह भारत बनाने से सुखी होगा । इसलिए इस बजट में आप देखें कि 51.35 प्रतिशत से ज्यादा गांवों के विकास पर खर्च होगा । मान्यवर, इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दल ने चौधरी चरण सिंह की नीतियों को अख्तियार किया और कहा था कि प्रदेश का विकास करना है तो गांवों का विकास करें । इसलिए मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास करना है तो उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल के जो भी हिस्से सूबे के हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता है । इसलिए मानकर चलते हैं कि पहाड़, पश्चिम, पूर्व और बुन्देलखण्ड इन सब को मिलाकर उत्तर प्रदेश बना है, उनका विकास करना होगा तो गांवों में इस प्रदेश के जाना होगा । इसलिए बुनियादी नारा दिया है कि गांव की ओर चलो । दिल्ली चलो, बम्बई चलो का नारा नहीं दिया गया है । मान्यवर, जब तक पूर्वान्चल में विकास की प्रक्रिया नहीं जायेगी, पहाड़ में नहीं जायेगी तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, इस समय सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की समस्या है जो देश में और प्रदेश में है । मान्यवर, पं0 जवाहर लाल नेहरू ने एक ढर्रा दिया ऐसे तंत्र का जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लेकिन जनता दल सरकार यह मानकर चल रही है कि यहां के रहने वाले लाखों-लाखों हाथ जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको विकास की इकाई मानकर हम विकास का काम करेंगे और बड़ी-बड़ी मशीनरी लगाकर सूबे का विकास नहीं करेंगे । इसलिए गांव की बेरोजगारी को दूर करने हेतु भूमि सेना का गठन का प्रस्ताव है जिस पर 35 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है गांव में रहने वाले और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये, यह बात बजट में कही गयी है ।

मान्यवर, अभी राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक दिल्ली में हुई थी तो वहां भी यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा जो 1952 से आज तक हुई है उसे उत्तर प्रदेश अब बर्दाश्त नहीं करेगा । मान्यवर, केन्द्रीय योजना आयोग को भी कहा गया है कि अभी तक केन्द्र द्वारा जो धनराशि आवंटन करने का फार्मूला गाडगिल फार्मूला था उसको उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार नहीं करेगी । वह फार्मूला बिहार स्वीकार नहीं करेगा, अब वह फार्मूला उड़ीसा भी स्वीकार नहीं करेगा । ये इलाके, जहां-जहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उनको यह सजा दी गयी कि जब विकास की बात आयी, तो उनकी उपेक्षा कर दी गई । तो संशोधित गाडगिल फार्मूला बदले, यह बदला जाना चाहिए । मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि वहां पर हमारी इस मांग पर उसने – योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस फार्मूले को बदलने पर विचार करेंगे । हमने यह भी कहा है कि देश की औसत आमदनी से 50 फीसदी कम जहां की आमदनी है, उनको विशेष पिछड़ा मानकर केन्द्र द्वारा विशेष धन दिया जाय । मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में यह बात कही गयी है कि परिवर्तन और विकास की भाषा विदेशी नहीं हो सकती है । यह नहीं हो सकता है कि हम देश का और अपने सूबे का विकास करें और भाषा विदेशी हो, विदेशी भाषा में करें । अब यह दोगली बात नहीं चल सकती है । जहां का विकास हो, उसकी संस्कृति भी ली जाएगी और उसकी संस्कृति की भाषा ली जाएगी । इस सूबे की भाषा को नकार कर, अंग्रेजी भाषा द्वारा जो प्रदेश का विकास करना चाहते थे, वह इस देश को भारत नहीं इंडिया बनाना चाहते थे । इस देश में एक बात साफ तौर पर आ गई, अब प्रदेश के आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को–चाहे वह मुख्य सचिव हों या चाहे जिस विभाग के सचिव हों, उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि

केवल शहर में, महानगरों में और सचिवालय में बैठकर सूबे के विकास की रूपरेखा नहीं तैयार की जा सकती है, बल्कि उसके लिए देहात में जाकर, धूल में मिलकर और देहात के गरीब और किसान से मिलकर उनके साथ बातचीत करके विकास को आगे बढ़ाना होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

देखिए माननीय मंत्री जी को 25 मिनट का समय निर्धारित हुआ है, आप लोग बीच में उन्हें डिस्टर्ब न करें । जब 9 पर सुई पहुंची, तो उनका भाषण समाप्त होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह करीब 12 करोड़ का जो हमने इस के लिए प्राविधान रखा है राजस्व पूंजी और राजस्व प्राप्तियों का और इस समय 8 हजार 15 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हमारे पास है । हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की आमदनी बढ़े, हम चाहते हैं कि इसका वित्तीय प्रबन्ध और अच्छा हो । केन्द्रीय कर जो हमको प्राप्त होंगे वह 2888 करोड़ के आसपास हैं । पूरा लेखा-जोखा देखें, तो डेढ़ सौ करोड़ रुपया (1 हजार 147 कर) किन्तु जनता पर किसी प्रकार का टैक्स लगाने का हमारा इरादा नहीं है और आपने देखा हम अपने खर्चों को घटाकर, जो बिना वजह के थे, जो जरूरत से नहीं बंधे हुए थे, बल्कि शौके से बंधे हुए थे, उनको हमने कम किया है और फिजूलखर्ची को रोकने का हमने प्रयास किया है । विलासिता के खर्चों को रोककर जो कम से कम घाटा हो सकता था, वह हमने इसमें करने का प्रयास किया है और तदनुसार यह बजट यहां पेश करने का हमने प्रयास किया है । 50-51 और 51-52 के वर्षों के आसपास केन्द्र और सूबे की औसत आमदनी में बहुत कम फर्क था । 97 पूरे देश की आमदनी थी, लेकिन दोनों की आमदनियों में लगातार अन्तर बढ़ता गया और हमारी आमदनी कम होती चली गई । हमारी औसत आमदनी में गिरावट आ गई । कुछ सूबों की कम हुई है और अन्य सूबों की ज्यादा बढ़ी है । जो विकास की प्रक्रिया थी पूरगामी कांग्रेस सरकार ही उसके कारण यह सब हो गया है कि सूबे के लोगों की आमदनी कम हो गई, बढ़ी नहीं । यह भी हमने तय किया है कि हम वृद्धि दर को ही नहीं प्राथमिकता देंगे, बल्कि विकास प्रक्रिया कैसी हो इसको भी हम देखेंगे । बेरोजगार नौजवानों को कठिन समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा हम देंगे । मान्यवर, प्रशासन को चलाने के लिए स्थानान्तरण भी करना चाहिए और यदि स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा तो स्थानान्तरण न करने से एक तरह की जड़ता भी आ जायेगी प्रशासन में और एक यह विचार भी दिमाग में आया कि जो जन पद्धति है वह जनता की भावनाओं के अनुरूप हो । जो अधिकारी काम करना चाहते हैं उनके बारे में जानकारी दी है लेकिन गल्तियां हो सकती हैं जिसके बारे में कल्याण सिंह जी ने कहा है । वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं । सन् 74 में यह आये थे और मंत्री भी थे । जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे । जनता पार्टी से चुनकर आये थे । शायद विदेश भी गये थे । मान्यवर, इन्होंने ध्यान आकर्षित

किया कि कुछ लोग दिवंगत हो गये, उनके स्थानान्तरण की बात की गयी। कुछ लोग अवकाश प्राप्त कर लिये उनके लिए भी बात की गयी ।

मान्यवर, सही बात तो यह है कि गल्तियां हो सकती हैं, चपरासी भी गलती कर सकता है, अधिकारी भी गलती कर सकता है, आई0 ए0 एस0 भी गलती कर सकता है और मंत्री भी गलती कर सकता है । वह व्यक्ति ही नहीं है जिसमें गल्तियां न हों । कहा भी है कि "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय । जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा ना कोय" । मान्यवर, हम तो मानकर चलते हैं कि हमारी गल्तियां हैं । आप हमारी गलती बताइये । "निंदक नियरे राखिए" नीति के अनुसार चलते हैं । मान्यवर, आलोचना नहीं होगी तो गल्तियों का सुधार कैसे होगा ? मैं कल्यान सिंह जी से कहना चाहूंगा कि चपरासी की गलती को मान लें, क्लर्क की गलती को मान लीजिये लेकिन क्लर्क की गलती को, चपरासी की गलती को, राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी की गलती को मंत्री की गलती न मानें । हम तो शिरोधार्य कर लेंगे लेकिन राजस्थान के शेखावत साहब नहीं मानेंगे, हिमाचल प्रदेश के शांता राय जी नहीं मानें और मध्य प्रदेश में पटवा साहब भी नाराज हो जायेंगे । मैं कल्यान सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूं । मैं नहीं चाहता कि शेखावत साहब, शांता कुमार साहब और पटवा साहब के लिए आप खुद ही मुसीबत बन जायें । क्योंकि जो चपरासी की गलती है, क्लर्क की गलती है हमें बताओगे तो हम उसे दंड देंगे । लेकिन जनतंत्र में चुनी हुई सरकार को चपरासी क्लर्क के बराबर रखना ठीक नहीं होगा । हमें तो आपत्ति नहीं होगी लेकिन शांता साहब, शेखावत साहब और पटवा साहब के बारे में सोचिये । उनके प्रति सहानुभूति रखिये । जब जनता पार्टी की सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री ने, बड़े-बड़े लोगों की सिफारिश न मान कर, कल्यान सिंह जी ने स्थानान्तरण कर दिया तो कर दिया लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है । केवल कठोर और कड़ा दिमाग रखने से काम नहीं चलता ।

इसलिए नीति इस तरह की बनाई गयी है कि जनप्रतिनिधि यदि कोई बात ऐसी कहते हैं तो केवल आंख बन्द करके, दिल बन्द करके उसको अस्वीकार न किया जाय । गुण-दोष के आधार पर उसकी विवेचना की जाये । नियमों के अनुकूल जो हो वह किया जाय । मैं तो सोच रहा था कि कल्यान सिंह जी हमको कोई दिशा देंगे, बजट के बारे में । मैं पांच दस-मिनट सोचता रहा कि क्या यह सामान्य प्रश्न पर चर्चा हो रही है या फिर राज्यपाल महोदय ने जो संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया है, उसकी सामान्य चर्चा हो रही है. . . .

क्योंकि हमको तो यह जानना है विभिन्न सदस्यों से कि हम प्रदेश की औसत आमदनी को कैसे बढ़ायें ? कैसे बेरोजगारी को दूर करें कैसे गांव का विकास करें । जो हमारी 27 फीसदी साक्षरता है इसको कैसे बढ़ायें हमको अफसोस होता है जब हम केरल जाते हैं जहां 100 फीसदी साक्षरता है और हमारे यहां 40 फीसदी भी नहीं है । महिलाओं की साक्षरता कम है शासन को चिंता है कि महिलाओं को शिक्षित कैसे बनाएं । नौजवान कैसे शिक्षित बनें ? शिक्षा का जनतन्त्रीयकरण कैसे किया जाए ? शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब के बेटे को भी शिक्षा मिल सके । शिक्षा को तीन चार तरह का नहीं होना चाहिए, शिक्षा एक

जैसी होनी चाहिए । ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि एक शिक्षा आई0ए0एस0 बनाए और एक शिक्षा चपरासी बनाए, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के मद में कौन सी प्राथमिकतायें हों जिनके चलते ऐसी शिक्षा दी जाए जो रोजगार की शिक्षा हो ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका तीन मिनट समय और है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि जो हमारा बजट है, जो बजट हमारे मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, वह बुनियादी फर्क रखता है यह चौखम्भा राज्य की ओर जाता है, गांव की ओर जाता है । ऐसा नहीं है कि हम आई0 ए0 एस0 को गांव की ओर ले जा रहे हैं यह लोग इतने दिन शहरों में रहे हैं तो इनको गांव की हवा खिलाने ले जा रहे हैं हमने विकास की प्रक्रिया को परिवर्तित किया है । हमने नियोजित ढंग से चलकर विकास की प्रक्रिया को आम आदमी की भागीदारी को ग्राम सभा जिले और तमाम लोगों तक पहुंचाया गया है । योजनाओं की प्राथमिकतायें तय करके गांव के साथ विकास को सीधे जोड़ा जाएगा । इन तमाम लोगों को साथ में लेकर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गयी है । मान्यवर, इसमें जो महिलाओं की स्थिति है । महिलाओं की स्थिति चाहे आर्थिक रूप से न खराब हो, चाहे वह कहीं भी महिलायें हों, महिलाओं को तो वैसे ही अबला कहा गया है । कवि स्व0 मैथिली शरण गुप्त ने महिलाओं के बारे में कहा है कि–

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आखों में पानी ।

श्री अधिष्ठाता–

अबला के अलावा भी कुछ होती हैं, संकोची होती हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मर्दों का व्यवहार इनके साथ छिपा नहीं है, तो मान्यवर, गांव की महिलायें जो हैं राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में शान्ता कुमार और पटवा साहब ने कहा, गांव की महिलाओं की जो हालत है उसकी ओर पूरे के पूरे देश का ध्यानाकर्षित होना चाहिए । हमारे बजट में देखा होगा । जो गांव की महिलाओं की स्थिति है, गांव में मान्यवर, जो शौचालय बनाने की बात है उसको प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है और करोड़ों का प्राविधान किया गया है । अब मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहना चाहता हूं कि हमने विकास की प्रक्रिया में बुनियादी फर्क को दर्शाते हुए चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है ।

(श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि एक माननीय सदस्य उधर से बोलते हैं और एक माननीय सदस्य इधर से बोलते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मंत्री जी के बोलने से पहले 2 माननीय सदस्यों को इधर से बुलवाया था, इसलिये अब उनका हक बनता है।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मान्यवर, मुझे बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया है, माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो बजट यहां प्रस्तुत किया है उस बजट के बारे में, बजट की घोषणाओं के बारे में प्रशंसा करने के लिए 10 मिनट का समय बहुत कम है। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने क्रांति रथ पर बैठकर प्रदेश के अंदर जो घोषणायें की थीं आज सत्ता मे आकर वह उन घोषणाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। मुझको याद है 5 जनवरी, 90 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी लखनऊ शहर में रात 12 बजे असहाय लोगों का दु:ख एवं कष्ट देख रहे थे और मैं उनके साथ था। हजारों लोग जाड़े की रात में फुटपाथ पर सो रहे थे, प्रदेश के मुख्य मंत्री उनको कम्बल बांटने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे नगरों के अंदर जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है, रहने के लिए कच्चे मकान तक नहीं हैं उनके रहने के लिए रैन बसेरा घर बनाये जायेंगे। उन तमाम लोगों के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है और उनके लिए रैन बसेरा तथा मकान बनाये जायेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के हजारों लोगों के लिए मकान बनाने के लिए इस बजट के अंदर प्राविधान किया गया है। मान्यवर, पिछले 42 सालों से सफाई कर्मचारी अपने सर के ऊपर डलिया रखकर मैला ढोने का काम कर रहे थे। वर्तमान सरकार ने इस बजट में उनके लिए प्राविधान किया है कि ऐसे सफाई कर्मचारी जो सर पर डलिया रखकर मैला ढोने का काम करते थे उनको गाड़ियां दी जायगी। सर पर गंदगी ढोने की प्रथा को माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने बन्द किया है मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, कक्षा 12 तक नि:शुल्क शिक्षा देने का प्राविधान इस बजट के अंदर किया गया। हम लोगों ने अनेक बार आन्दोलन किये हैं, संघर्ष किया है कि शिक्षा में दोहरी नीति को समाप्त किया जाय और सबको समान शिक्षा मिले। पहली बार प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में 12वीं कक्षा तक सारे विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल थे जिनके भवन नहीं थे। गांवों में, मोहल्लों में बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते थे तो ऐसे 15 हजार स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए बजट के अंदर प्राविधान किया गया है जिससे पूरे प्रदेश में ऐसे प्राइमरी स्कूल जिनके पास अपने भवन नहीं थे उनके पास भवन हो जायेंगे। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों तथा विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है। पहले 60 रुपया मासिक पेंशन मिलती थी। हम लोगों ने अनेक बार इसके लिए संघर्ष किया है कि यह जो 60 रुपये पेंशन मिलती है यह कम है। कोई विधवा 60 रुपये में कैसे अपने परिवार का पेट पाल सकती है और इसलिए इसको बढ़ाया जाय।

बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है कि उनको 100 रु0 मासिक पेंशन मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि चुंगी कर समाप्त कर दिया गया। चुंगी कर के माध्यम से नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार और चुंगीकर की लूट जो चल रही थी, उसको समाप्त करके लाखों लोगों को राहत देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। बात हो रही थी कि चुंगी कर समाप्त करके कर कैसे इकट्ठा किया जायगा, कर को इकट्ठा करने की हमारी नीति यह होगी कि जैसे सूर्य समुद्र से पानी एकत्रित करता है और कोई जान नहीं पाता और वहां पर बरसता है, जहां पर आवश्यकता होती है, ऐसे ही जहां धन का समुद्र होगा, वहां से धन इकट्ठा करके वहां खर्च किया जायगा, जहां इसकी आवश्यकता होगी। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जो लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके पास आज झोपड़ी तक नहीं है, खाने का इन्तजाम नहीं है, उनकी व्यवस्था करने के लिए वर्तमान सरकार दृढ़ संकल्प है।

इस बजट में महिलाओं को पिछड़ा मान कर उनकी प्रगति का काम किया गया है। लाखों लोग ऐसे हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके रिक्शा चला कर पेट पालते थे, और उस कमाई में से आधा हिस्सा मालिक का हो जाया करता था, उन रिक्शावालों को रिक्शा का मालिक बनाने का काम वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। प्रदेश के अंदर, मोहल्लों और वार्डों के अंदर यह चर्चा है कि यह हमारे हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। आज लोगों को लगा है कि सत्ता बदलने के बाद यह सरकार हमारे लिए कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज उनको लगा है कि अधिकारी वातानुकूलित कक्षों से निकल कर गांवों में जा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। सत्ता बदलने के बाद व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया शुरू हुयी है। बजट में जो भाषा नीति के संबंध में प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो घोषणा की है कि सरकारी काम-काज हिन्दी में होगा, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, वह कम है। हिन्दी के उत्थान के साथ-साथ उर्दू के उत्थान के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उर्दू एकादमी के लिए, भवन निर्माण के लिए 50 लाख रु0 देने का प्राविधान करना इसका प्रमाण है।

जहां तक हिन्दी के उत्थान के साथ-साथ उर्दू के उत्थान की बात है, यह भी कार्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक सराहनीय कार्य है। योजनाओं के माध्यम से जनता को यह लगा है कि वास्तव में यह हमारी सरकार है और इस सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश के अन्दर बदलाव हुआ है। तमाम गरीब लोगों को राहत देने की बात है, बजट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनसे कर वसूल किया जाय और गरीबों को राहत दी जाय। इस तरह सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों से कर वसूल करके गरीब लोगों को राहत देगी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने क्रांति रथ पर बैठ कर जो घोषणाएं की थीं, आज सत्ता रथ पर बैठ कर उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आज मूर्त रूप में पूरे प्रदेश में अभियान शुरू हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश में एक नई व्यवस्था लागू होगी। मैं इसीके साथ अपनी बात समाप्त करके बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश का जो बजट प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने पेश किया है, उसमें बहुत से स्वागत योग्य कदम हैं। जहां मैं स्वागत के बारे में इशारा कर रहा हूं, वहीं पर यह भी कहूंगा कि इस बजट में कमजोरियां भी हैं। 51.3 प्रतिशत धन गांव के विकास हेतु देने का, 12 वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का,

10 लाख तक के कर्जे की माफी की बात, ग्रामों में दो लाख शौचालय बनाने का काम, प्राकृतिक आपदा राहत राशि में वृद्धि, पेंशनों में वृद्धि, प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण 100 विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाई स्कूल, चुंगी समाप्त, नये टैक्सों का न लगाना, इस प्रकार से और भी कई स्वागत योग्य कदम हैं, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए । इससे यह एहसास अवश्य होता है कि वर्तमान बजट में गांवों का और गांवों के रहने वालों का विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया गया है । लेकिन मान्यवर, अगर यह कह दिया जाय कि यह बजट व्यवस्था परिवर्तन का बजट है तो बात समझ में नहीं आई, अगर यह कह दिया जाय कि यह प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक मुकम्मल बजट है, यह बात भी न्याय संगत नहीं होगी । इस बजट की अपनी कमजोरियां हैं । जहां अच्छे कदम हैं वहीं इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं । मान्यवर, अगर तुलना की जाय पिछले वर्षों से तो यह एक अच्छा बजट है, मुकाबलन, तुलनात्मक यह एक अच्छा बजट है लेकिन यह राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर तथा पिछले 6 माह में सरकार ने जो बार-बार घोषणाएं की हैं अगर उनके आधार पर इस बजट का मूल्यांकन किया जाय तो न तो यह व्यवस्था परिवर्तन का बजट है और न इसे क्रान्तिकारी बजट की संज्ञा दी जा सकती है । सबसे बड़ा जोर इस बजट में किसानों के और गांवों के विकास की ओर दिया गया है ।

सबसे पहले मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । 10 हजार तक के कर्जे की माफी की बात कही गयी है लेकिन मान्यवर, जो बजट भाषण में कहा गया है, पृष्ठ 9 पर बजट भाषण में उससे यह लगता है कि 90-91 में ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्य और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो चर्चा होती थी तो यह अंदाजा लगाया जाता था कि अगर 10 हजार तक के कर्जे प्रदेश के किसानों दस्तकारों बुनकरों के माफ हों तो करीब 2400 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जब वह जवाब दें तो बतायें यहां है नहीं, अन्य माननीय मंत्रि मण्डल के सदस्यगण यहां मौजूद हैं । 350 करोड़ रुपये से वह 2400 करोड़ रुपये की धनराशि कैसे पूरी हो सकती है? इसका मतलब है कि 10 हजार तक के सभी कर्जदारों के कर्ज माफ नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, इसमें मुझे और मेरे दल के सभी सदस्यों को संदेह है कि सभी किसानों के कर्ज माफ हो जायेंगे । दूसरी बात यह कही गयी है कि कर्जा उन लोगों का माफ होगा जो आदतन ना दहेद नहीं हैं तो नादहेद कौन है और कौन नहीं है इसकी परिभाषा कौन करेगा । इसकी परिभाषा बैंक के अधिकारी करेंगे और किसानों के भाग्य का फैसला बैंक में बैठे अधिकारी, जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं, उनके हाथों में किसानों के भाग्य का फैसला छोड़ दिया गया है कि वह तय करें । मान्यवर, इससे भी विषम बात यह है काश्त की कोई सीमा नहीं रखी गयी। चाहे 100 बीघे का काश्तकार हो उसका 10,000 का कर्जा है तो उसके बारे में भी वही सोच है और 10 बीघे की काश्त वाले के बारे में भी वही सोच है । इसमें कुछ विचार आप भी कर लीजिए तो किसानों की 10 हजार रुपये तक की कर्ज माफी को सही ढंग से किया जा सकता है । मान्यवर, हम लोगों को अनुभव है इस सदन के तमाम सदस्यों को अनुभव है कि यह हरियाना स्टाइल पर माफ किया जा रहा है तो मुझे जानकारी है कि हरियाणा में सब लोगों के कर्जे नहीं माफ हुए थे।

बैंक के अधिकारियों ने कैसे माफ किया उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दें ? मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें डिस्क्रिप्शन बैंक के अधिकारियों को न दें, यह सरकार स्वयं परिभाषित करे कि किन लोगों का किस सीमा तक कर्ज माफ होगा। इससे आगे कहता है इस सरकार ने इस बात पर भी चिंतन नहीं किया कि आखिर किसान कर्जा देने की स्थिति में क्यों नहीं रहा । क्या कारण है कि आज कोई किसान कर्जा अदा करने की स्थिति में नहीं है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि सरकार की ऋण देने की दोहरी नीति रही है । पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को आसान शर्तों पर ऋण देने की नीति अपनाई जाती रही है । पूंजीपति को ऋण दिया जायगा तो साधारण ब्याज पर 10 परसेंट की दर से और किसान को सवा बारह परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज पर । उद्योगपति को कैश पेमेंट नकद भुगतान किया जायगा और किसान को बिचौलियों के माध्यम से 10,000 कर्जा दिया जायगा, जिसमें से 5000 उसके हाथ में बचेगा और बाकी बैंकों, दुकानदारों और डाक्टरों के हाथ में जायगा ।

दूसरे किसान जिस साल कर्जा लेता है, उसका भुगतान अगले ही वर्ष से शुरू कर देना पड़ता है, चाहे काम पूरा हुआ हो या नहीं, कभी कभी तो देखने में आया कि इंजन घर पहुंचा तो इन्सटालमेंट या किश्त भी साथ में पहुंची । मेरा अनुरोध है कि अगर वास्तव में किसान को सुविधा देना चाहते हैं तो 10 हजार तक के कर्जे चाहे जैसे माफ कीजिये, यह हमारी मांग है, लेकिन भविष्य में किसान को वही सहूलियत दी जाय जो पूंजीपतियों को दी जाती है । किसान को सामान लेने पर विवश न किया जाय, अपनी चीज कहीं से भी ले ले । उसको ऋण भुगतान नकद किया जाय, उसकी मर्जी पर हो कि कौन सा सामान कहां से ले । दूसरे अगर वास्तव में गांव में रहने वाले किसानों, दस्तकारों बुनकरों आदि का उत्थान करना चाहते हैं तो उनको 4 परसेंट साधारण ब्याज पर कर्ज दिया जाय । तीसरे उसकी वसूली 10 साल में कराई जाय और शुरू के दो साल तक कोई किश्त न दी जाय । किसी भी कीमत पर किसान के हल, बैल और जमीन को नीलाम न किया जाय । यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है । किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में धान के क्रय केन्द्र नहीं खोले गये, तो यह केवल फैजाबाद का सवाल नहीं है, जो पुरानी व्यवस्था थी कि समर्थन मूल्य घोषित किये गये, लेकिन क्रय केन्द्र के अभाव में किसान सेल नहीं कर पाया । खाद्य मंत्री मौजूद हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पुरानी क्रय मशीनरी है, वह पूरी की पूरी सड़ी गली है । वास्तव में होता यह है कि बिचौलियों के माध्यम से धान और गेहूं की खरीद की जाती है । वास्तविकता यह है कि जो भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, किसान के गल्ले की खरीद उस मूल्य पर नहीं की जाती । क्रय केन्द्र खोल दिये जाते हैं, बोर्ड लग जाते हैं लेकिन कोई मिलता नहीं है । लोग सीधे गेहूं ले जाते हैं तो खरीदा नहीं जाता है । कहा जाता है कि खराब है, छान कर लाए, साफ कीजिये आदि । मा0 सदस्यगण इस समस्या से परिचित हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों के गल्ले को खरीदने के लिये स्थायी क्रय केन्द्र, स्थायी मशीनरी कायम की जाय । पी0सी0 एफ0 आदि के माध्यम से खरीद बन्द की जाय । जो उपभोक्ता सामग्री हैं, वह किसानों को खरीदनी पड़ती है, बेचनी भी पड़ती हैं । मैं कहना चाहूंगा कि स्थायी रूप से कोई

ऐसी चीज कायम की जाय जहां खाद, मिट्टी का तेल, शक्कर, कपड़ा आदि तमाम आवश्यक वस्तुयें उन्हें मिल सके । कर्मचारियों के लिये आपने कल्याण निगम की स्थापना की है, अच्छी बात है । इसी तरह से किसानों के लिये भी सोचा जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह जी अपना भाषण कल आप 10 मिनट और दे दीजियेगा। कल आप बोलेंगे आपके बाद माननीय ओझा जी बोलेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मान्यवर, हमारी तरफ के काफी सदस्य बोलना चाह रहे हैं, उन्हें आप मौका दे दें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लोग बैठें ।

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, माननीय अध्यक्ष ने श्री राज किशोर सिंह की सूचना को स्वीकार किया है जिसमें दिनांक 25-5-90 को ग्राम दलौनी का पुरवा मजरा बकोर, थाना मऊ, जिला बांदा श्री कल्लू केवट पुत्र श्री राम प्रसाद की मऊ पुलिस द्वारा पीट पीटकर की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । शेष जो सूचनाएं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री श्याम देवराय चौधरी दादा, डा0 दिनेश जौहरी, श्री दयाराम भास्कर, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री पंचानन राय, श्री पूर्णवासी तथा श्री अमरनाथ यादव की हैं, इनको माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया है ।

अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
21 जून, 1990

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 1 पर)

संलग्नक

"अ" श्रेणी में माने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाला प्रमाण-पत्र--

श्रेणी	विवरण	संलग्न किया जाने वाला प्रमाण-पत्र
अ (1)	भवन स्वामी	गृहकर/जलकर की रसीद
अ (2)	किराएदार	किरायेदारी की रसीद/बिजली/टेलीफोन का बिल।
अ (3)	पूव निवास स्थान से राशन कार्ड समर्पण प्रमाण-पत्र लाने वाले।	राशन कार्ड समर्पण प्रमाण-पत्र।
अ (4)	पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड रखने वाले।	पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड।
अ (5)	सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी।	निवास एवं परिवार की सदस्य संख्या के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र (हस्ताक्षर एवं मुहर सहित)।
अ (6)	पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति।	निवास एवं परिवार की यूनिट संख्या के संबंध में लेबर आफिसर/मैनेजर/मालिक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
अ (7)	शहर में रहने वाले छात्र	प्रधानाचार्य/डीन, विद्यार्थी कल्याण द्वारा जारी निवास (स्थायी एवं स्थानीय) तथा शिक्षा ग्रहण करने संबंधी प्रमाण-पत्र।

उत्तर प्रदेश सूचना विभाग

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

नहरों की सफाई पर व्यय (रुपयों में)

क्रम-संख्या	नहर का नाम	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90
1	शिवराजपुर रजवाहा	27881.00	68351.00	64783.00	31185.00	67536.00
2	देबहा माइनर	स. नहीं की	स. नहीं की	1248.00	2200.00	494.00
3	सैब्सू राज0	33012.00	23003.00	39022.00	13132.00	6972.00
4	बिल्हौर माइनर	स. नहीं की	4514.00	4636.00	स. नहीं की	4255.00
5	जैसरमऊ माइनर	2050.00	1864.00	3166.00	,, ,,	2180.00
6	दुबियान राज0	स. नहीं की	46378.00	15465.00	,, ,,	20369.00
7	नदीहा राज0	24779.00	3527.00	11097.00	22175.00	15898.00
8	औरों राज0	31143.00	29649.00	35380.00	स. नहीं की	12991.00
9	उटठा राज0	21056.00	19671.00	31407.00	,, ,,	15498.00
10	विसधन माइनर	8035.00	6103.00	11221.00	,, ,,	4142.00
11	टक्टोली राज0	74891.00	6787.00	25022.00	,, ,,	29663.00
12	गढ़ेवा माइनर	9094.00	8811.00	14225.00	,, ,,	3979.00
13	मधुपुर राज0	76004.00	10562.00	18503.00	,, ,,	25316.00
14	जौहर राज0	19949.00	18707.00	19961.00	41446.00	22697.00
15	सिकन्दरपुर राज0	24717.00	स. नहीं की	17967.00	14325.00	9791.00
16	अन्ता माइनर	3050.00	9281.00	15590.00	8470.00	4443.00
17	बिरहन माइनर	7381.00	7278.00	12118.00	स. नहीं की	स. नहीं की
पश्चिमी इलाहाबाद शाखा की नहरें----						
18	असालतगंज माइनर	9326.00	स. नहीं की	8727.00	,, ,,	,, ,,
19	बहादुरपुर माइनर	3658.00	,, ,,	9463.00	,, ,,	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
20	मऊ माइनर	6120.00	स.नहीं की	9800.00	,,	स0 नहीं की ,,
21	सुनासी माइनर	8280.00	8980.00	9450.00	9660.00	,, ,,
22	खड़ा कुर्सी माइनर	5300.00	6200.00	6700.00	7360.00	,, ,,
23	रतनपुर माइनर राज0 ..	9295.00	स.नहीं की	स.नहीं की	स. नहीं की	,, ,,
24	मौजनपुर माइनर	13236.00	,, ,,	9163.00	14479.00	,, ,,
25	बिल्हा माइनर	14384.00	,, ,,	12709.00	12442.00	,, ,,
26	उसरी माइनर	15127.00	,, ,,	14623.00	12694.00	,, ,,
27	रसूलाबाद माइनर	7777.00	,, ,,	5780.00	8654.00	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

सिंचाई खण्ड-प्रथम इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 1989 90 में कराये गये कार्यों का विवरण

अ लेखा शीर्षक 4701 निर्माण कार्य (लाख रुपये में)

(1)	डायनताल ड्रेन के कि0 मी0 14.375 पर ग्रामीण मार्ग पुलियों का निर्माण।	0.88
(2)	राजापुर माइनर के शीर्ष का निर्माण	0.66
(3)	बहादुरपुर माइनर के कि0 मी0 2.10 पर ग्रामीण मार्ग पुलिया का निर्माण।	0.005
(4)	बहादुरपुर माइनर के कि0 मी0 3.70 पर ग्रामीण मार्ग पुलिया का निर्माण।	0.006
(5)	कैनाल कालोनी	0.05
(6)	गोविन्दपुर कालोनी के अस्थाई गैरेज का निर्माण	0.10
(7)	सोरांव रजवहा के कि0 मी0 21.25 पर पैदल पुलिया का निर्माण	0.20
(8)	सोरांव रजवहा के कि0 मी0 1.20 पर पैदल पुलिया का निर्माण	0.03
(9)	सोरांव रजवहा के कि0 मी0 22.80 पर पैदल पुलिया का निर्माण	0.10
(10)	मऊ आइमा ड्रेन के कि0 मी0 4.50 पर ग्रामीण मार्ग पुलिया का निर्माण	0.66
(11)	मऊ आइमा ड्रेन के कि0 मी0 2.150 पर ग्रामीण मार्ग पुलिया का निर्माण	0.95
(12)	मऊ आइमा ड्रेन के कि0 मी0 19.45 पर ग्रामीण मार्ग पुलिया का निर्माण।	0.18
(13)	मऊआइमा ड्रेन के कि0 मी0 8.15 पर पैदल पुलिया का निर्माण	0.30
(14)	सूफी माइनर के कि0 मी0 3.95 पर ग्रामीण मार्ग पुलिया का निर्माण	0.07
(15)	सलेमपुर भण्डार गृह का निर्माण	0.04
(16)	मड़ियाह ब्रांच	12.88
(17)	मऊआइमा राजवहा	0.45
(18)	बहादुरपुर माइनर	0.01
(19)	रायपुर राजबहा	0.05
(20)	कैनाल कालोनी	0.07
(21)	सर्वे आफ न्यू चैनेल	0.35
(22)	ए आर 2 एम. सी. ब्रांचेज	0.004
(23)	सोरांव ब्रांच	0.04
(24)	सोरांव राजवहा	1.51
(25)	घटनपुर राजबहा	0.20
(26)	इलाहाबाद राजवहा	0.12
(27)	कंजिया राजवहा	0.22
(28)	मालापुर माइनर	0.21
(29)	सिसवा माइनर	0.17
(30)	बसदेइया माइनर	0.41
(31)	छतपालगढ़ स्केप	0.31
(32)	कलानी माइनर	0.08
(33)	विशुनपुर राजवहा	0.43
(34)	बी0 लैण्ड	5.47
(35)	एम0 एण्ड आर0 गाड़ियां	2.055
	योग ..	29.270

ब लेखा शीर्षक 2701 अनुरक्षण कार्य—

		(लाख रुपये में)
(1)	सोरांव ब्रांच	1.00
(2)	सोरांव राजवहा	5.72
(3)	रूहो माइनर	0.27
(4)	चांदपुर माइनर	0.20
(5)	सिरसा माइनर	0.47
(6)	इलाहाबाद राजवहा	0.80
(7)	मड़ियाह ब्रांच	12.52
(8)	एम0 एण्ड आर0 पम्प	0.04
(9)	ए आर 3 राजवहा एवं माइनर	0.07
(10)	मरखामऊ माइनर	0.19
(11)	अलावलपुर माइनर	0.14
(12)	बसदेईया माइनर	0.24
(3)	देवगलपुर माइनर	0.13
(14)	गढ़चम्पा माइनर	0.17
(15)	मालापुर माइनर	0.04
(16)	धामपुर माइनर	0.05
(17)	होलागढ़ माइनर	0.10
(18)	तुलसीपुर माइनर	0.32
(19)	कंजिया राजवहा	0.12
(20)	रायपुर राजवहा	2.44
(21)	बारामऊ माइनर	0.20
(22)	रघुनाथपुर माइनर	0.15
(23)	सेमरी माइनर	0.10
(24)	मऊआइमा राजवहा	0.80
(25)	हरीसेनगंज माइनर	0.12
(26)	घटनपुर राजवहा	0.58
(27)	रैया माइनर	0.17
(28)	पालखोर ताल ड्रेन	0.58
(29)	कलानी माइनर	0.08
(30)	भगवानपुर माइनर	0.12
(31)	तवक्कलपुर माइनर	0.15
(32)	छतपालगढ़ स्केप	0.17
(33)	बहादुरपुर माइनर	0.20
(34)	अचलूपुर माइनर	0.20
(35)	चमनपुर माइनर	0.14
(36)	राजपुर माइनर	0.01
(37)	देवरी माइनर	0.13
(38)	नवदेइया माइनर	0.006
(39)	सराय गोपाल माइनर	0.07
(40)	खलीशपुर माइनर	0.08
(41)	मवार आई0 एच0	0.02
(42)	गोविन्दपुर कालोनी	0.05

प्रदेश विधान सभा

		(लाख रुपये में)
(43)	सूफीपुर माइनर	0.24
(44)	मावापुर माइनर	0.24
(45)	नसीरपुर राजबहा	1.08
(46)	शिव गढ़ माइनर	0.31
(47)	दिघवट माइनर	0.02
(48)	गौरा रजबहा	0.07
(49)	सिलवां माइनर	0.008
(50)	जगदीशपुर माइनर	0.02
(51)	कुरगांव माइनर	0.36
(52)	अर्जुनपुर माइनर	0.22
(53)	उदयचंदपुर माइनर	0.07
(54)	बलाक चौधरी माइनर	0.03
(55)	जलखुरी माइनर	0.07
(56)	बसनाकट ड्रेन	0.20
(57)		0.15
(58)	ऊंचडीह माइनर	0.04
(59)	बिशुनपुर रजबहा	1.40
(60)	सुजहा माइनर	..
(61)	आई0 एच0 कस्तूरीपुर	0.15
(62)	बादलपुर माइनर	0.05
(63)	बीरपुर माइनर	0.02
(64)	उठगो माइनर	0.06
(65)	जगदीशपुर माइनर	0.18
(66)	शाहपुर माइनर	0.04
(67)	बहोरांकपुर माइनर	0.02
(68)	मधेशा माइनर	0.02
(69)	सघनगंज माइनर	0.09
(70)	बजहा माइनर	0.01
(71)	पिन्ड्रा माइनर	0.19
(72)	मलाका माइनर	0.12
(73)	हसनपुर माइनर	0.015
(74)	ददौली माइनर	0.03
(75)	कटरा दयाराम माइनर	0.05
(76)	सुल्तानपुर माइनर	0.03
(77)	बहारपुर माइनर	0.04
(78)	देवनी माइनर	0.08
	योग ..	34.39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स लेखाशीर्षक 2711-बाढ़ कार्यों का अनुरक्षण---- (लाख रुपये में)

(1)	सराय ख्वाजा ड्रेन	0.17
(2)	छाता ड्रेन	0.24
(3)	मऊआइमा ड्रेन	1.45
(4)	कमालपुर ड्रेन	0.28
(5)	काशीपुर ड्रेन	0.11
(6)	राम देशपुर ड्रेन	0.25
(7)	ए आर 4 ड्रेन	0.44
(8)	डायनताल ड्रेन	0.55
(9)	उमरनताल ड्रेन	0.48
(10)	मैरी रैया ड्रेन	0.67
(11)	सोरांव ड्रेन	0.004
(12)	बसना ड्रेन	0.24
(13)	नूरअलीपुर ड्रेन	0.05
(14)	छतपालगढ़ स्कीप	0.13
(15)	दलईपुर ड्रेन	0.10
(16)	बेघन गोपालपुर ड्रेन	0.07
(17)	अटरामपुर ड्रेन	0.02
(18)	खुंतनताल ड्रेन	0.04
(19)	खेमानन्दपुर ड्रेन	0.03
(20)	विशुनपुर ड्रेन	0.008
(21)	संगीपुर ड्रेन	0.005
(22)	घारीताल ड्रेन	0.010
(23)	चन्दीताल ड्रेन	0.05
(24)	गढ़चम्पा ड्रेन	0.08
(25)	घरोता ड्रेन	0.05
(26)	बसदेईया ड्रेन	0.02
(27)	देवगलपुर ड्रेन	0.02
(28)	लपकम ड्रेन	0.05
(29)	कंधारीताल ड्रेन	0.06
(30)	शाहपुर ड्रेन	0.03
(31)	बहदुलकला ड्रेन	0.05
(32)	मिर्जापुर ड्रेन	0.02
	योग ..	5.79

उमाशंकर लखटकिया,
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

हरैया ब्लाक के सगड़ी कलस्टर के अन्तर्गत छोटी सरजू एवं महुला गढ़वाल बांध के मध्य लगे विश्वबैंक नलकूपों की सूची

क्रमांक	नलकूप संख्या	ग्राम का नाम
1	2	3
1	160 एस0 जी0	रोहुआर
2	161 ,, ,,	बेदपुर
3	162 ,, ,,	पिहार
4	163 ,, ,,	रसूलपुर
5	164 ,, ,,	शंकरपुर
6	166 ,, ,,	कनोरथपुर/दुबोली
7	169 ,, ,,	सपहा पाक
8	170 ,, ,,	सपहा बाद
9	173 ,, ,,	सोन बुजुर्ग
10	174 "एम0" जी0	हरकौली
11	175 ,, ,,	खोजौली
12	179 ,, ,,	अराजी अवेरा
13	130 ,, ,,	अराजी अवेरा
14	181 ,, ,,	
15	182 ,, ,,	,, ,,
16	183 ,, ,,	,, ,,
17	184 ,, ,,	,, ,,
18	185 ,, ,,	,, ,,
19	186 ,, ,,	,, ,,
20	187 ,, ,,	,, ,,
21	177 ,, ,,	करमैनी
22	178 ,, ,,	,, ,,
23	176 ,, ,,	जमुवारा
24	147 ,, ,,	,, ,,
25	145 ,, ,,	,, ,,
26	144 ,, ,,	करमुल्ला पट्टी
27	73 ,, ,,	,, ,,
28	190 ,, ,,	अराजी देवारा करार वेया
29	134 ,, ,,	कवचकलपुर
30	153 ,, ,,	,, ,,
31	107 ,, ,,	असरा

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

संलग्नक

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 67 पर)

"अ" श्रेणी में माने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

श्रेणी	विवरण	संलग्न किया जाने वाला प्रमाण-पत्र
अ (1)	भवन स्वामी	गृहकर/जलकर की रसीद
अ (2)	किराएदार	किरायेदारी की रसीद/बिजली/टेलीफोन का बिल।
अ (3)	पूर्व निवास स्थान से राशन कार्ड समर्पण प्रमाण पत्र लाने वाले	राशन कार्ड समर्पण प्रमाण-पत्र
अ (4)	पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड रखने वाले	पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड
अ (5)	सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी	निवास एवं परिवार की सदस्य संख्या के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (हस्ताक्षर एवं मुहर सहित)
अ (6)	पंजीकृत औद्योगिकप्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति	निवास एवं परिवार की यूनिट संख्या के सबंध में लेबर आफिसर/मैनेजर/मालिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
अ(7)	शहर में रहने वाले छात्र	प्रधानाचार्य/डीन, विद्यार्थी कल्याण द्वारा जारी निवास (स्थायी एवं स्थानीय) तथा शिक्षा ग्रहण करने संबंधी प्रमाण पत्र।

पी0एस0यू0पी0–एल0 251 विधान सभा–(427)–17-8-90–813।